गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
की 127 वीं बैठक

दिनांक : 24.12.2011

समय : 11.30 बजे

स्थान : कान्फ्रेन्स हाल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

एक सुन्दर शहर–हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24–12–2011 की कार्यसूची।

कम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1–	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 19–9–2011 की अनुपालन आख्या ।	02–9
3–	शासनादेश सं0 1106/9–आ–1–(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 1–3–01 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	10–19
4–	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे प्रस्तावित संशोधनो को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	20–22
5–	गाजियाबाद में कियान्वित की जा रही हाईटैक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में ।	23–29
6–	ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति के विवरण के सम्बन्ध मे।	30–31
7–	श्री आसिफ रजा जैदी, अवर अभियन्ता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।	32
8–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।	33
9–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को मानव हास्पिटल एण्ड लेजर आई सेन्टर में इलाज कराने पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।	34
10–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/अतिकमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	35
11–	संजय नगर योजना हेतु ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं0 1092 का अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का अभी तक अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण बदले में 55 प्रतिशत भूमि की मॉग किये जाने के सम्बन्ध में।	36–47
12–	प्राधिकरण की मधुबन/बापूधाम योजना के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि अवस्थापना/सुविधाओं के अन्तर्गत आ जाने के कारण उक्त के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	48–50
13–	इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड–2 में हाईस्कूल भूखण्ड सं०–16 व हॉस्पीटल भूखण्ड पर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	51–59
14–	अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण में प्रचलित टू बिड सिस्टम के अनुसार विकीत सम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में।	60–72
15–	सेक्टर–23 राजनगर गाजियाबाद स्थित डा0 अम्बेडकर भवन व बुद्ध बिहार की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में ।	73–77
16–	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	78–113

मद संख्या : 01

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2011 के कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी थी । इस कार्यवृत्त पर माननीय बोर्ड के किसी सदस्य से कोई टीका/टिप्पणी प्राप्त नही हुई है।

अतः बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद संख्याः 02

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 126 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19.9..2011 की अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 12.07. 2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 12.07. 2011 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 12.07.2011 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :– 1–मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में पूर्व में आवंटित भवनों के आवंटन में अनियमितता की शिकायत की जॉच जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से एक माह में पूरी करा ली जाये । 2– गाजियाबाद विकास क्षेत्र में निर्मित इन्जीनियरिंग/डेन्टल कालेज जो महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत बने हैं, के अवशेष प्रकरणों के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायें।	कार्यवाही वांछित नहीं है । अवशेष 08 कालेजों में से 02 कालेजों (एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी एवं आर0डी0 फाउन्डेशन इन्जी0 काजेल कादराबाद, मोदीनगर) का लैण्ड यूज नई महायोजना–2021 में स्वतः परिवर्तित हो गये हैं। अन्य 06 कालेजों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव में पायी गयी आपत्ति/कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित कालेजों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। आपत्ति निस्तारित होंने पर परीक्षणोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

		3– मद सं0 11 के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मै0 उप्पल चढडा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित की जा रही टाउनशिप में आवासीय उपयोग की भूमि में से विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत कय की गयी भूमि की पुष्टि कराते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
		4– चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 ने अवगत कराया गया कि उनके द्वारा एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस–वे के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गयी हैं। निर्देशित किया गया कि उक्त का अध्ययन करते हुए प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये ।	निर्णयानुपालन में कार्यवाही की जा रही है ।
		5– ट्रैफिक प्लान में प्रस्तावित रिंग रोड़ (हापुड रोड़ से मेरठ रोड़ होते हुए पाईप लाईन तक तथा पाईप लाईन रोड़ की वाईडनिंग सहित) हेतु कार्यवाही समय से करा ली जाये तथा पी0पी0पी0 माडल पर सड़क का विकास करने हेतु भूमि के चयन की भी कार्यवाही कर ली जाये। इस हेतु कन्सैल्टेंट की शीघ्र नियुक्ति करते हुए एक समय सारणी तैयार कर ली जाये ताकि तदानुसार भूमि के संबंध में धारा–4 की अधिसूचना निर्गत की जा सके ।	सम्बन्धित मार्ग की प्री–फिजीबिलटी रिपोर्ट प्राधिकरण स्तर से तैयार कर इसका पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन दिनांक 10–12–11 को सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन के समक्ष किया गया था। तदकम में सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यू0पी0स्टेट हाईवे अथारटी से समन्वय कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।
		6– गाजियाबाद नगर में जिन–जिन स्थलों पर रेलवे ब्रिज तथा फ्लाईओवरों निर्माण की आवश्यकता हो, ऐसे जंक्शन्स को चिन्हित करा लिया जाये तथा ब्रिज कॉरपोरेशन के सहयोग से ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण कराते हुए निर्माण हेतु	प्राधिकरण द्वारा प्रथम चरण में निम्न स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है:– 1– महाराजपुर अण्डरपास 2– ब्रजबिहार अण्डरपास 3– साहिबाबाद स्टेशन के

4

		आवश्यक कार्यवाही की जाये। 7— गाजियाबाद नगर में विद्युत सब–स्टेशन्स की स्थापना हेतु विद्युत विभाग द्वारा प्राधिकरण में प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। प्राधिकरण की नियोजित/विकसित की जा रही कालोनियों में सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाये किन्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राधिकरण के पास भूमि नही है उक्त की सूची नगर निगम को इस आशय से उपलब्ध करा दी जाये कि ऐसे क्षेत्रों में ग्राम समाज की भूमि चिन्हित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायें।	निकट अण्डर पास 4— हिण्डन नदी के निकट अण्डरपास इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद को पत्रांक 1/4/पी0ए0टी0/2011–12, दिनांक 21–9–11 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है ।
		8— हिण्डन नदी के आसपास स्थित नगर निगम एवं सिचाईं विभाग की भूमि की पैमाईश एक सप्ताह मे करा ली जाये तथा नगरीय वनीकरण हेतु भूमि प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये। 9— यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निगम, गाजियाबाद सीमा के अन्तर्गत ग्राम सभा की रिक्त भूमि को चिन्हित करते हुए उसकी सूची गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उसका परीक्षण कर ले कि यदि वह भूमि उनके लिए उपयोगी है तो नियमानुसार प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाये ।	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्रांक 108/एच0ओ0/11, दिनांक 29–9–2011 के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग एवं नगर निगम को संयुक्त बैठक आहूत कर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा इससे पूर्व दो बार संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया है, परन्तु अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है।
3—	शासनादेश संख्या 1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–	विस्तृत प्रस्ताव पुनः मद सं0–3 पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

	बिन्दुओं पर सूचना ।	1– यह देखा जा रहा है कि सम्पत्तियों का निस्तारण समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है । अतः अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाये तथा प्राधिकरण की आय बढायी जाये ।	अनुपालन किया जा रहा है ।
		2– कोयल इन्क्लेव योजना के भू–अर्जन /अर्जित भूमि का कब्जा प्राप्त किये जाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों व नामित प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का सहयोग भी लिया जाये ।	अनुपालन हेतु प्रयासरत हैं ।
		3– प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित पुरानी कालानियों जिनका पुर्नविकास सम्भव है, के रि–डेवलपमेंट हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को नीति तैयार करने के निर्देश दिये गये ।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है ।
		4– गालन्द में डम्पिंग ग्राउन्ड हेतु 25 एकड भूमि 15 दिन के अन्दर व 10 एकड भूमि एक माह में नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये ।	15 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है तथा अवशेष भूमि की व्यवस्था की जा रही है ।
		5– हाईटैक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाये। साथ ही साथ महायोजना मार्गों के विकास की प्रगति की भी जानकारी उपलब्ध करायी जाये। साथ ही मानचित्र पर विकासकर्ता द्वारा किये गये आन्तरिक एवं बाह्य विकास को भी दर्शाया जाये ।	हाईटैक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव मद सं0 05 पर प्रस्तुत है ।
		6– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के फेज–2 के भवनों का आवंटन 15 सितम्बर, 2011 तक किया जाना था । निर्देश दिये गये कि भवनों का निर्माण पूर्ण करते हुए तत्काल आवंटन हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद को अवगत करा दिया जाये । यह भी संज्ञान में लाया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माह अक्टूबर, 2011 में इन भवनों का निरीक्षण एवं कब्जा दिये जाने	दिनांक 19–12–11 तक 1200 भवनों का आवंटन किया जा चुका है । समस्त 1504 भवनों की छत कास्ट की जा चुकी है । फिनीशिंग कार्य प्रगति पर है, जिसको 31–12–11 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

		का कार्यक्रम प्रस्तावित है ।	
4—	मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मैट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को वहन करने व प्रतिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये ।	इस सम्बन्ध में दिनांक 29—11—11 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अन्य विभागों तथा प्राधिकरण के साथ सम्पन्न बैठक में हुए विचार विमर्श के क्रम में परियोजना के सम्बन्ध में इक्विटी अंश को यथासम्भव कम करते हुए परियोजना लागत के अवशेष भाग को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर व्यवस्थित किये जाने पर विमर्श हेतु दिनांक 22—12—11 को डी0एम0आर0 सी0 के साथ बैठक की गयी है।
5—	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया । विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्देशों के साथ प्रारूप को अनुमोदन किया गया :— 1— उ0प्र0 शासन द्वारा 09 गॉवों में सम्मिलित हसनपुर को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना में प्रथमतः यह देख लिया जाये कि यह गॉव उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में तो नहीं है। यदि आवास विकास परिषद द्वारा अधिसूचित है तो यह निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है कि किस अभिकरण क्षेत्र में यह गॉव सम्मिलित रहेगा। यदि उक्त ग्राम आवास विकास परिषद के विकास क्षेत्र में सम्मिलित नही है तो आवास विकास परिषद द्वारा इन्टिग्रेटिड	ग्राम हसनपुर लोड़ा के अन्तर्गत एलायन्स प्रमोटर्स प्रा0लि0 एवं मै0 ओपस बिल्डटेक प्रा0लि0 को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने पत्रांक 201 / पी0डी0आर0—09 / 12—1 दिनांक 8—11—11 द्वारा प्रकरण पर नोडल एजेन्सी के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भ

7

		टाउनशिप हेतु निर्धारित भू–उपयोग को आधार मानकर ही महायोजना में तदानुसार भू–उपयोग दर्शाया जाये।	प्रेषित किया गया है । प्राधिकरण द्वारा भी पत्र सं0 212एम0पी0/2011 दिनांक 16–12–11 के द्वारा शासन के निर्णय हेतु अनुरोध किया गया है।
		प्रस्तावित महायोजना में स्थित आबादी के सापेक्ष व्यवसायिक भू–उपयोग नही दर्शाया गया है। अतः मानचित्र में उक्त की व्यवस्था की जाये। उक्त संशोधन के साथ जन समान्य से आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।	वांछित संशोधनोंपरान्त विस्तारित विकास क्षेत्र महा योजना–2021(प्रारूप) पर दिनांक 8–11–11 से 8–12–11 तक आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये गये हैं । प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई दिनांक 22–12–11 को की गयी है । गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना 2021 पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।
		2– गाजियाबाद विकास क्षेत्र महायोजना 2021 में कई विसंगतियॉ हैं, उन्हें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व एन0सी0आर0 सैल के सहयोग से ठीक कराने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये।	बैठक आयोजित कर आगामी बोर्ड बैठक में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ।
		3–इस्टर्न पैरिफेरल व अपर गंगा कैनाल एक्प्रेस वे के साथ साथ क्षेत्रीय यातायात के दृष्टिगत सर्विस रोड़ के प्राविधानों के सम्बन्ध में परीक्षण करा लिया जाये। हाईटैक टाउनशिप में यदि उक्त मार्गों के साथ साथ सर्विस रोड़ प्राविधानित है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त मार्ग निर्माण के बाद जनसामान्य को यातायात हेतु उपलब्ध हो सके।	हाईटैक टाउनशिप मे सर्विस रोड का प्रावधान किया गया है।
		4– यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में योजना बनाते समय पर्यावरण विभाग	अनुपालन किया जा रहा है।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

8

		से भी अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये ।	
6–	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कतिपय शासनादेशों को प्राधिकरण में अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तुत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इंगित चारों शासनादेशों के अनुपालन के साथ–साथ नर्सिंग होम्स, होटल्स व ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के संबंध में भी एक्शन प्लान तैयार किया जाये तथा बोर्ड को अवगत कराया जाये ।	ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी भवनों की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव मद सं0 06 पर प्रस्तुत है ।
7–	निजी क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज / मेडिकल कालेज / डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु मानक सिद्वान्तों के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया । सड़कों की 18 मी0 चौडाई सुनिश्चित करने हेतु संस्था से कास्ट शेयरिंग के आधार पर धनराशि वसूल करते हुए सड़कों का विकास किया जाये।	बोर्ड निर्णय के अनुपालन में 03 कालेजों (इण्टर नेशनल कालेज आफ इन्जी, ए0सी0एम0ई0 इजी0 कालेज, मोदीनगर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी) का भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था । जिसमें से 02 में शासन द्वारा आपत्ति भेजी गयी है । आपत्तियों का निराकरण करने हेतु सम्बन्धित कालेजो को अवगत कराया जा रहा है। आपत्तियां दूर होनें पर शासन को अवगत कराया जायेगा। शासन का अनुमोदन अभी तक किसी प्रस्ताव पर प्राप्त नहीं हुआ है। शासन का अनुमोदन प्राप्त होनें पर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। अवशेष 08 कालेजों में से 02 कालेजों (एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी एवं आर0डी0 फाउन्डेशन इन्जी0 काजेल कादराबाद, मोदीनगर) का लैण्ड यूज नई महायोजना–2021 में स्वतः परिवर्तित हो गये है। अन्य 06 कालेजों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव में पायी गयी

नरेन्द्र कुमार
सचिव

9.

			आपत्ति/कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित कालेजों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। आपत्ति निस्तारित होंने पर परीक्षणोपरान्त प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जायेगा ।
8–	पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आवंटित साईट एवं सर्विसेज विजयनगर सैक्टर–11–12 के भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
9–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/वाहन चालकों को दिये जाने वाली शीतकालीन वर्दी की दर में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापिस लिया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।

सचिव

मद सं0: 03

विषयः शासनादेश सं0 1106/9–आ–1–(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 दिनांक 1–3–01 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना

1– प्राधिकरण की आय बढाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरणः–

1– वर्ष 2011–12 में अर्जित आय हेतु शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू0 1000 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30–11–11 तक रू0 700.53 करोड़ की आय हुई है जो दिनांक 30–11–11 तक के लक्ष्य के (60 प्रतिशत) की तुलना में 70.05 प्रतिशत है ।

2– वर्ष 2011–12 में दिनांक 30–11–11 तक कुल 1733 सम्पत्तियों की रजिस्ट्री की गयी, जिससे रू0 1364.50 लाख का स्टाम्प राजस्व आय के रूप में प्राप्त हुआ। वर्तमान में प्राधिकरण दर पर सम्पत्तियों की रजिस्ट्री किये जाने विषयक शासनादेश सं0 क0नि0–5–3757/11–2010–500(100)/2008 दिनांक 16 नवम्बर 2011 के क्रम में सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु प्रत्येक माह कैम्प आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में विक्रय विलेख निष्पादित कराने हेतु प्राधिकरण प्रयासरत है ।

3– विकास क्षेत्र की सीमा में वर्ष 2011–12 में चिन्हित अवैध निर्माणों में दिनांक 15–12–11 तक 648 प्रकरणों में शमन की कार्यवाही की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप रू0 36.37 करोड़ की आय हुई ।

4– मानचित्रों के निस्तारण हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत ही मानचित्रों का निस्तारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 में दिनांक 30–11–11 तक रू0 133.93 करोड़ की धनराशि विकास शुल्क मद में प्राप्त हुई।

2– प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के संबंध में किये गये प्रयासों का विवरण :–

बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत 346 भवनों का आवंटन निरस्त करते हुए वर्तमान दर पर आवंटन हेतु दिनांक 01–11–2011 से दिनांक 30–11–2011 तक विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी है और वर्तमान दर पर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है । व्यवसायिक अनुभाग द्वारा अनिस्तारित सम्पत्तियों को टू बिड सिस्टम तथा नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु प्रयास के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में 12 बार विज्ञापन प्रकाशित किये गये तथा इन प्रयासों में 14 भूखण्ड व 2 बहुमंजिला टावर विक्रय किये जाने में सफलता प्राप्त हुई । इनको विक्रय करने में आरक्षित दर के सापेक्ष लगभग 1.5 गुना से 2.5 गुना तक का मूल्य प्राप्त हुआ । कुल 16 सम्पत्तियों को लगभग रू0 150 करोड़ में विक्रय किया गया ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

3– (1) **प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिये की गई कार्यवाहीः–**

प्राधिकरण की 30.771 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में अतिक्रमित थी। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1.36 हेक्टेयर भूमि गोविन्दपुरम योजना में अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी, जिसका मूल्य रू0 10.44 करोड़ है । शेष भूमि को मुक्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित निर्माण खण्डों के अधिशासी अभियन्तागण को जिम्मेदारी सौंपी गयी है ।

(2) **शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की विकसित योजनाओं के अन्तर्गत भूमि का सम्परीक्षण**

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जन सामान्य को आवासीय सुविधाये उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न कालोनियां विकसित की गयी है । पूर्णरूप से विकसित की गयी कॉलोनियों के अन्तर्गत भूमि अर्जन एवं अन्य माध्यमों से प्राधिकरण को प्राप्त भूमि के सापेक्ष उक्त के निस्तारण की स्थिति का सम्परीक्षण का कार्य किया जा रहा है । प्रथम चरण में कौशाम्बी योजना एवं गोविन्दपुरम आवासीय योजनाओं का सम्परीक्षण कराया गया, जिसके अनुसार कौशाम्बी योजना में लगभग 3100 वर्गमीटर भूमि अनावंटित पायी गयी, जिसपर ग्रुपहाउसिंग का भूखण्ड सृजित करते हुए कार्यवाही की जा रही है । इसी प्रकार गोविन्दपुरम आवासीय योजना में लगभग 13611 वर्गमीटर भूमि अनिस्तारित पायी गयी, जिसमें 144 एल0आई0जी0 भवनों का नियोजन किया गया । वैशाली, शास्त्रीनगर, सूर्यनगर योजना एवं लोहियानगर के सम्परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। प्राधिकरण द्वारा वैशाली, कौशाम्बी एवं इन्दिरापुरम योजनाओं का GIS तकनीक से कम्पलीशन प्लान अपट्रॉन के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है ।

4– **महत्वपूर्ण शासनादेशों की स्थिति :–**

प्राधिकरण में 19–9–11 के उपरान्त समय–समय पर शासन से प्राप्त हुए महत्वपूर्ण शासनादेशों–सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति दिनांक 26–9–11, उ0प्र0 अपार्टमेन्ट(निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण सम्बन्धी) नियमावली 2011, दिनांक 16–11–11, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन, दिनांक 21–11–11, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में संशोधन दिनांक 7–10–11, गाजियाबाद विकास अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की पेन्शन नियमावली दिनांक 11–11–11 एवं केन्द्रीयत सेवा कर्मचारियों से सम्बन्धित पेन्शन नियमावली दिनांक 17–11–11, सम्पत्तियों की रजिस्ट्री लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

5– **लैण्ड बैंक बढाने के संबंध में की गई कार्यवाही :–**

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 500 हैक्टेयर भूमि अर्जन किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा कुल 519.5492 हैक्टेयर भूमि अर्जन के विभिन्न प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये, जिनमें से 22.123 हेक्टेयर भूमि का अर्जन प्रस्ताव धारा–4(1) की विज्ञप्ति का गजट प्रकाशन दिनांक 30–7–11 में हो चुका है, तथा 28.34 हेक्टेयर भूमि हेतु धारा–6(1) की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव शासन को दिनांक 9–9–11 को प्रेषित हुआ है, 28.34 हेक्टेयर एवं 5.1368 हेक्टेयर के दो प्रस्ताव धारा–6 हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनके अतिरिक्त 98.7447 हैक्टेयर भूमि का अर्जन प्रस्ताव धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति पर उ0प्र0शासन द्वारा प्रस्ताव पर धारा–17 के औचित्य से सहमत न होनें के कारण प्रस्ताव पर धारा–4(1) की अधिसूचना हेतु कलैक्टर गाजियाबाद को निर्देशित किया गया है, तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है तथा 28.4748 हैक्टेयर भूमि के अर्जन प्रस्ताव पर भूमि अध्याप्ति निदेशालय लखनऊ द्वारा शासनादेश का उल्लेख करते हुए भूमि अर्जन प्रस्ताव पर धारा–4(1) की कार्यवाही धारा–16 के साथ करने की अपेक्षा के साथ कलैक्टर गाजियाबाद को वापस प्रेषित किया गया है। अवशेष 784.9002 हैक्टेयर भूमि के अर्जन प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानीय स्तर पर विचाराधीन है। इन प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये शासन द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिये 500 हैक्टेयर भूमि अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा 145.4413 हैक्टेयर भूमि का अर्जन प्रस्ताव कलैक्टर गाजियाबाद को प्रेषित किया गया है। शेष लक्ष्य की पूर्ति के लिये भूमि चयन का कार्य किया जा रहा है ।

6– **हाईटैक/इन्टीग्रेटेड सिटी के विकास के संबंध में की गई कार्यवाही :–**
हाईटेक टाउनशिप की प्रगति

विस्तृत प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

7– **शासन द्वारा गरीबों के लिये घोषित विभिन्न योजनाओं /ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0 जी0 श्रेणी के भवनो की अद्यतन स्थिति :–**

(1) **मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति समीक्षा :–**

(I) योजना के द्वितीय चरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 1500 भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा अपनी मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में 5.22 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर 1504 चार मंजिले आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 30–11–2011 तक 1504 भवनों की छत पड़ चुकी है । फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

(II) योजना के तृतीय चरण हेतु निर्धारित 1000 आवासों के लक्ष्य की पूर्ति हेतु टीला गांव के निकट प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना में 2.92 हेक्टेयर भूमि पर 1008 चार मंजिले आवासों तथा आवासों के सन्दर्भ में हेल्थ सेन्टर, प्राईमरी स्कूल, पुलिस चौकी, सामुदायिक केन्द्र तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित 1008 भवनों के निर्माण हेतु निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही प्रगति पर है।

(2) "सबके लिए आवास कार्यक्रम"

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी** के अन्तर्गत **3000 भवनों** के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा **2384 भवनों** का निर्माण किया जाना निम्नवत् प्रस्तावित है :–

योजना का नाम	कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या	दिनांक 30–11–11 तक पूर्ण भवनों की संख्या	प्रगतिमान भवनों की संख्या
मधुवन–बापूधाम	1696	1020	676
इन्दिरापुरम	640	608	32
प्रताप विहार	48	48	0
योग	**2384**	**1676**	**708**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में **अल्प आय वर्ग श्रेणी** के अन्तर्गत **1300 भवनों/भूखण्डों** के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा **648 भवनों** एवं **652 भूखण्डों** का निर्माण/विकास किया जाना निम्नवत् प्रस्तावित है :–

योजना का नाम	कुल प्रस्तावित इकाईयों की संख्या	दिनांक 30–11–11 तक पूर्ण इकाईयों की संख्या	प्रगतिमान इकाईयों की संख्या
मधुवन–बापूधाम	भवन 648	584	48
	भूखण्ड 652	0	652
योग	**1300**	**584**	**700**

8– <u>अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण व शमन से प्राप्त आय का विस्तृत ब्यौरा :–</u>

वर्ष 2011–12 में कुल 716 अवैध निर्माण चिन्हित किये गये 457 अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए 76 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया एवं इसी अवधि में 648 प्रकरणों को शमनित किया गया, जिससे शमन शुल्क के रूप

नरेन्द्र कुमार
सचिव

में प्राधिकरण को रू0 36.37 करोड़ की आय हुई है । इसी अवधि में कुल 32 निर्माण सील भी किये गये ।

9— **विगत 06 माह में किये गये, कार्यों का विवरण :—**

(1) **नई आवासीय योजना का प्रारम्भ**

प्राधिकरण द्वारा कोई नई आवासीय योजना प्रारम्भ न करते हुए प्राधिकरण द्वारा एन.एच.—24 से एन.एच.—58 पर मधुवन—बापूधाम योजना के नाम से 1398 एकड़ क्षेत्रफल में योजना के कार्यो को गति प्रदान की गयी, जिसमें 6048 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों, मा0 काशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत 1504 आवासीय भवनों तथा 1072 एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकताओं के दृष्टिगत योजना में 60 वर्गमीटर, 120 वर्गमीटर, 200 वर्गमीटर, 300 वर्गमीटर के लगभग 3700 भूखण्डों सहित ग्रुप हाउसिंग के 34 भूखण्ड व व्यावसायिक भूखण्ड प्रस्तावित करते हुए योजना के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। ग्रुप हाउसिंग के 03 भूखण्डों पर प्राधिकरण द्वारा स्वयं एम0आई0जी0 श्रेणी के 1188 तथा एच0आई0जी0श्रेणी के 660 बहुमंजिले आवासीय फ्लैट का निर्माण स्ववित्त पोषित पद्धति पर प्रस्तावित है ।

(2) **फ्लाईओवर एवं आर.ओ.बी. का निर्माण**

प्राधिकरण द्वारा हिण्डन नदी पर दोनों सेतुओं के मध्य तीन लेन चौड़े सेतु तथा करैहड़ा के निकट हिण्डन नदी पर सेतु का निर्माण प्रगति पर है ।

(3) **मैट्रो रेल परियोजना**

परियोजना के प्रथम चरण "आनन्द विहार से वैशाली तक मैट्रो रेल विस्तार (2. 57 कि0मी0)" के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा रु0 260.00 करोड़ का भुगतान डी0एम0आर0सी0 को किया गया है। परियोजना दिनांक 14—7—11 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय मन्त्री जी, पंचायत राज, भूमि विकास, जल संसाधन एवं नेता सदन, विधान परिषद उ0प्र0 , लखनऊ द्वारा परियोजना का लोकार्पण किया जा चुका है ।

(4) **यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण**

प्राधिकरण द्वारा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत वर्तमान में शहर के निम्न मार्गों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण कराया जा रहा है:—

- जी.टी. रोड को मेरठ रोड से जोड़ने वाली परियोजना के अन्तर्गत हिण्डन तटवर्ती बन्ध पर 6—लेन चौड़े (8.0 कि0मी0) मार्ग का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है ।
- एन0एच0—24 स्थित यू0पी0गेट (दिल्ली बार्डर) पर यातायात के सुगम आवागमन हेतु सड़क निर्माण/चौड़ीकरण (0.60 कि0मी0) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।
- मोहन नगर तिराहे से झानी बॉर्डर तक (5.60 कि0मी0) जी.टी. रोड को 4—लेन से बढ़ाकर 8—लेन किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

- यू0पी0गेट(एन0एच0–58) से प्रारम्भ कर डाबर तिराहे तक (1.60 कि0मी0) लिंक रोड का 6–लेन से बढ़ाकर 8–लेन में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- जी.टी. रोड को एन.एच.–24 से जोड़ने हेतु समानान्तर हिण्डन कट कैनाल एवं हिण्डन कट कैनाल के मध्य स्थित बैंक पर 2–लेन चौड़े सड़क तथा हिण्डन कट कैनाल के राईट बैंक पर 2–लेन चौड़े सड़क (7.70 कि0मी0) के निर्माण हेतु दृढ़ता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है ।
- डाबर तिराहे से प्रारम्भ कर मोहन नगर होते हुए मेरठ तिराहे तक (8.50 कि0मी0) लिंक रोड का 6–लेन से बढ़ाकर 8–लेन में चौड़ीकरण का कार्य 1–5–11 से प्रारम्भ किया गया है ।
- एन0एच–24 से न्यू हालैण्ड फैक्ट्री, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले 6 लेन लिंक रोड (1.50 कि0मी0) का निर्माण प्रगति पर है ।
- हिण्डन तटवर्ती बन्ध पर निर्माणाधीन सड़क के विस्तार के अन्तर्गत लोनी रोड को जोड़ने हेतु हिण्डन नदी पर सेतु सहित सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।
- एन0एच–24 से सी0आई0एस0एफ(इन्दिरापुरम)को जाने वाली सड़क सं0–12 के टी जंक्शन का सुधार कार्य प्रगति पर है ।
- एन0एच–24 से काला पत्थर (इन्दिरापुरम)को जाने वाली सड़क सं0–1 के टी जंक्शन का सुधार कार्य प्रगति पर है ।
- एन0एच–24 से अभय खण्ड (इन्दिरापुरम)को जाने वाली सड़क सं0–2 के टी जंक्शन का सुधार कार्य प्रगति पर है ।
- एन0एच–24 से इन्दिरापुरम को जाने वाली सड़क सं0–11 के टी जंक्शन का सुधार कार्य प्रगति पर है ।
- मेरठ रोड व ए0एल0टी की ओर से आने वाली सड़क के संयोजन बिन्दु स्थित चौराहे का विकास कार्य प्रगति पर है ।

(5) **सीवरेज व्यवस्था**

प्राधिकरण द्वारा सीवेज निस्तारण के अन्तर्गत 56 एम.एल.डी. क्षमता के 05 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एस.बी.आर- (Sequential Batch Reactor) तकनीक पर डूंडाहेडा क्षेत्र में, इन्दिरापुरम, गोविन्दपुरम तथा मधुवन–बापूधाम आवासीय योजना एवं नूरनगर क्षेत्र के अन्तर्गत कराया जा रहा है, डूंडाहेड़ा, इन्दिरापुरम एवं गोविन्दपुरम योजना के अन्तर्गत एस0टी0पी0 को 31–12–11 तक, मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत 30–6–12 तक एवं नूरनगर क्षेत्र के अन्तर्गत 31–1–2013 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । निर्माण के पश्चात निर्माण एजेन्सी द्वारा आगामी 5 वर्षो तक इनके संचालन एवं रख–रखाव का कार्य भी किया जायेगा।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित की जा रही "लोनी सीवरेज परियोजना" धनांक रु0 103.32 करोड़ के अन्तर्गत रु0 29.90 करोड़ की धनराशि सहभागिता के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

(6) **पेयजल परियोजना**

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित की जा रही 100 क्यूसैक गंगाजल परियोजना–फेस–2, धनांक रु0 169.42 करोड़ के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम, वैशाली एवं कौशाम्बी में 15 क्यूसैक गंगाजल उपलब्ध कराने हेतु समानुपातिक धनराशि रु0 19.43 करोड़ प्राधिकरण द्वारा निगम को उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त 15 क्यूसैक गंगाजल के आन्तरिक वितरण हेतु धनांक रु0 53.40 करोड़ की परियोजना प्राधिकरण द्वारा पूर्ण की जा चुकी है एवं 2000 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 05 ओवर हैड टैंक का निर्माण किया गया । वर्तमान में 1500 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 11 ओवर हैड टैंक का निर्माण तथा 28 नलकूपों का निर्माण प्रगति पर है ।

(7) **विद्युत परियोजना**

प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 01 नग 400 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु लगभग चार एकड़ भूमि इन्दिरापुरम योजना क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 33/11 के.वी. 20 एम.वी.ए. क्षमता के 07नग विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण इन्दिरापुरम–03 राजनगर, शास्त्रीनगर, प्रताप विहार–01, सेक्टर–6 वैशाली–01में पूर्ण किया गया एवं 05 नग विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण (कौशाम्बी–01, अम्बेडकर रोड–01, तथा मधुबन बापूधाम योजना–03) प्रगति पर है।

(8) **अवस्थापना विकास निधि**

अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत विगत 6 माह में प्रगतिमान 109 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष 85 कार्ययोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अवशेष कार्ययोजनाओं का कार्य गतिमान है।

(9) **निर्माण–विकास परियोजनाओं पर व्यय**

विगत 6 माह में योजनान्तर्गत एवं अवस्थापना निधि से निर्माण एवं विकास कार्यों पर रु0 309.98 करोड़ की धनराशि का व्यय हुआ है।

10– प्रवर्तन से सम्बन्धित प्रत्येक अधिकारी/ अभियन्ता को उनका Job Chart उपलब्ध कराते हुए उनका तदनुरूप लक्ष्य प्राप्ति हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाये :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 में शमन शुल्क का कुल लक्ष्य रू0 200 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 15–12–11 तक रू0 36.37 करोड़ की प्राप्ति हुई। शमन के मद में लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभियन्तावार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ।

11– न्यायालय में निस्तारित वादों की प्रगति एवं उपलब्धि

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है :–

- नीलम विहार सहकारी आवास समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 62588/2011 इस आशय से प्रस्तुत की कि खसरा नम्बर 241, 329, 327, 332, 316, 362, 396एम, 397एम, 328 एवं 330 ग्राम हसनपुर भोवापुर के विषय में दिनांक 7/7/84 को जारी धारा–4/17 की अधिसूचना एवं 9/7/84 को जारी 6/17 की अधिसूचना को शून्य घोषित किया जाय तथा याची समिति को भूमि का 12 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रतिकर दिलाया जाय। उक्त भूमि श्री अतुल सत्संगी के नाम से थी जो नीलम विहार सहकारी आवास समिति द्वारा क्रय कर ली गयी तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन याचिका 6512/85 अतुल सत्संगी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिया तथा उसके पश्चात एक दूसरी याचिका 17966/86 प्रस्तुत की गयी जो 30/8/88 को खण्डित हुई। उक्त याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका 12193/88 एवं 12757/88 नीलम विहार सहकारी आवास समिति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 31/1/90 द्वारा कुल अर्जित भूमि का 2.70 एकड़ भूमि समिति को आवंटित की गयी, शेष भूमि का स्वामी प्राधिकरण रहा। समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 38787/93 प्रस्तुत की जो दिनांक 28/7/97 को खण्डित हो गयी तथा एक दूसरी याचिका 27512/96 प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 16/7/09 को पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में खण्डित हो गयी। पुनः समिति द्वारा याचिका संख्या 62588/2011 प्रस्तुत की। यह याचिका भी अर्जन प्रक्रिया के बाद में भूमि क्रय करने के कारण अर्जन प्रक्रिया की वैधानिकता को चुनौती देने का कोई आधार न होने के आधार पर खण्डित कर दी गयी।
- प्राधिकरण द्वारा मेसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0लि0 हेतु ग्राम नायफल, बयाना, सादिकपुर काजीपुर, मेहरौली एवं शाहपुर बम्हैटा की भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि के विषय में माननीय उच्च न्यायालय में 45 याचिकायें दाखिल की गयी थी जिनके अन्तर्गत भू–अर्जन अधिनियम की धारा–17 लागू करते हुए धारा–5(ए) के अन्तर्गत आपत्तियों का अवसर समाप्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में उक्त विषय में दायर 45 याचिकायें गुण–दोष के आधार पर दिनांक 19/8/11 को खण्डित की गयी तथा भू–अर्जन की कार्यवाही को वैध ठहराया गया।
- प्राधिकरण की इन्दिरापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत 05 एकड़ भूमि पर मै0 रामप्रस्थ बिल्डर्स द्वारा मौखिक विनिमय का उल्लेख करते हुए अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था तथा न्यायालय में वाद सं0 1326/10 रामप्रस्थ बिल्डर बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ था, जिसकी प्रभावी पैरवी कर उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कराया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी दायर विशेष अनुमति याचिका भी खण्डित हुई और लगभग 60 करोड़ की भूमि मुक्त कराकर प्राधिकरण द्वारा विक्रय की गयी।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मधुबन बापूधाम योजना हेतु दायर 120 याचिकायें प्राधिकरण के पक्ष में निर्णीत हुई थी, जिनमें से मात्र 76 याचिकाओं से आच्छादित भूमि के विषय में 18 विशेष अनुमति याचिकायें उच्चतम न्यायालय में दाखिल हुई है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है तथा शीघ्र ही सुनवाई कराकर विशेष अनुमति याचिकायें निस्तारित कराई जायेगी जिनमें लगभग 160 एकड़ भूमि प्रभावित है। मोहिउद्दीनपुर कनावनी, इन्दिरापुरम विस्तार से सम्बन्धित 05 प्रकरण समझौते के आधार पर निस्तारित हो चुके हैं तथा अवशेष 25 याचिकाओं का निस्तारण कराया जा रहा है ।
- अम्बेडकर रोड पर लैण्ड पॉलिसी के अन्तर्गत दो लैण्ड पॉलिसी धारकों के मध्य भूमि आवंटन के विषय में वर्ष 1979 से वाद न्यायालय में विचाराधीन था । इस महत्वपूर्ण प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकरण का तर्क स्वीकार करते हुए कि व्यावसायिक भूमि लैण्ड पॉलिसी के अन्तर्गत आवंटित नहीं की जा सकती, प्राधिकरण की याचिका स्वीकार की गयी तथा श्री उग्रसेन के वारिसान का लैण्ड पॉलिसी का क्लेम नियत समय के अन्तर्गत प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त हुआ । श्री मनोहर लाल के वारिसान को भी व्यावसायिक भूमि लैण्ड पॉलिसी के अन्तर्गत न आवंटित करने के निर्देश दिये ।
- प्राधिकरण की वैशाली योजना हेतु पुर्नग्रहण से प्राप्त खसरा नं0–735 ग्राम मकनपुर के विषय में वर्ष 1996 में अनाधिकृत अध्याशी द्वारा याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था । जिससे 25 मीटर के लगभग 300 भूखण्ड प्रभावित थे । मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर याचिका सं0 3397/97 लिखिराम उर्फ मूला बनाम उ0प्र0 सरकार खण्डित कराई और आवंटियों के पक्ष में विलेख निष्पादित कराकर कब्जा दिलाया गया ।

इस प्रकार प्राधिकरण को विगत माह में न्यायालय में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। अवलोकनार्थ आख्या प्रस्तुत है ।

12– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शहर के सुनियोजित विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार

विगत 06 माह के कार्यो का विवरण

(1) **वृक्षारोपण–** सत्र 2011–12 में हरित क्षेत्र में वृद्धि के क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित 97500 वृक्षारोपण लक्ष्य के सापेक्ष 1,20,000 पौधे रोपित किये जाने की कार्य योजना शासन को प्रेषित कर दी गयी है, जिसके अन्तर्गत 30 सितम्बर 2011 तक 1,20,200 नग पौधे रोपित किये गये तथा आगामी समुचित रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ।

(2) **पार्क/हरित पट्टी का विकास एवं सौन्दर्यकरण**

- वैशाली योजना में मेट्रो रेल योजना से प्रभावित 23 एकड़ हरित पट्टी का सौन्दर्यकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें मेट्रो रेल स्टेशन के सामने, चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्ण वाटिका तथा पोडियम पार्क का सौन्दर्यकरण पूर्ण हो गया है, और जनता को समर्पित कर दिया गया है। रख–रखाव कार्य जारी है।

- इन्दिरापुरम योजना में चिल्ड्रन पार्क एरिया लगभग 3 एकड़ तथा यमुना प्रदूषण इकाई द्वारा सीवर लाईन बिछाये जाने से प्रभावित इन्दिरापुरम योजना एवं हिण्डन कैनाल के मध्य 29 एकड़ ग्रीन वेल्ट में ग्रीन वैली का उद्यानिक सौन्दर्यकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसमें लगभग 20 एकड़ क्षेत्र का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है ।
- मधुबन बापूधाम योजना में मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में 03 पार्क तथा भाउराव देवरस प्रताप विहार योजना में हाईब्रिड कैना गार्डन/ प्रप्रोगेशन सेन्टर क्षेत्रफल 04 एकड़ का विकास किया गया है । समुचित रख–रखाव जारी है ।
- मलिन बस्ती, पप्पू कालोनी एवं सर्वोदय नगर में 01–01 पार्क का विकास कार्य प्रगति पर है ।
- राजेन्द्र नगर योजना में 01 पार्क का विकास कार्य प्रगति पर है ।
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 124 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2011 के मद संख्या 2 के पैरा 2 में दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देश पर हिण्डन नदी के साथ नगर निगम द्वारा हस्तान्तरित 12 एकड़ एरिया में पिकनिक स्पॉट विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

(3) पार्क / हरित पट्टी एवं वृक्षारोपण का रख–रखाव

- वैशाली योजना सेक्टर–4 में याचिका समिति पार्क का विकास एवं सौन्दर्यकरण / रख–रखाव कार्य किया जा रहा है ।
- इन्दिरापुरम योजना में वैभव पार्क का विकास एवं सौन्दर्यकरण / रख–रखाव कार्य किया जा रहा है ।
- विगत 05 वर्षो में प्राधिकरण द्वारा रोपित पौधों का रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ।
- जिला मुख्यालय के सामने हापुड़ रोड के दोनों तरफ उपलब्ध कच्ची पटरी पर फ्लाई ओवर से हापुड़ चुंगी तक शोभाकारी एवं अलंकृत छायादार / झांड़ीदार वृक्षारोपण के साथ हरियाली विकसित करने का कार्य / रख–रखाव किया जा रहा है ।
- विगत 05 वर्षा में प्राधिकरण द्वारा विकसित 86 पार्को का रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः राजेन्द्र नगर स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क क्षेत्रफल 40 एकड़ इन्दिरापुरम स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क क्षेत्रफल 25 एकड़, रानी अवन्तिबाई पार्क क्षेत्रफल 07 एकड़ राजनगर स्थित सेन्ट्रल पार्क क्षेत्रफल 25 एकड (विस्तारीकरण पार्क प्रगति पर) एवं मानव औषधीय पार्क क्षेत्रफल 4.5 एकड़ तथा कविनगर स्थित कलाधाम पार्क क्षेत्रफल 7.5 एकड़ शामिल है ।

उल्लेखनीय है कि विकसित पार्को एवं रोपित पौधों का समुचित रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध प्रकिया के अन्तर्गत निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुरूप स्थानीय पंजीकृत एजेन्सियों के माध्यम से कराया जा रहा है ।

सचिव

मद सं0 : 4

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे प्रस्तावित संशोधनो को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे संशोधन प्रस्तावित करते हुए समस्त विकास प्राधिकरणो से सुझाव प्राप्त कर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे प्रस्तावित संशोधनो को अंतिम रूप दिया गया है। उक्त प्रस्तावित संशोधनो मे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित लगभग सभी सुझावो को समाहित कर लिया है।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27.09.11 (छायाप्रति संलग्न) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे संशोधनो को प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर अंगीकार किये जाने की अपेक्षा की गई है। प्रस्तावित संशोधन सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप तथा औचित्यपूर्ण है, इनके अनुमोदन से भवन निर्माण एवं विकास अनुज्ञा मे अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता एवं सरलता आ सकेगी।

उपरोक्तानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे शासन स्तर पर समीक्षा बैठक दिनांक 10.09.11 मे विचार विमर्श के उपरान्त शासन के पत्र सं0 4384/8–3–11–181विविध/2008 दिनांक 27.09.11 के साथ प्राप्त प्रस्तावित संशोधनो को प्राधिकरण मे अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

सी० ए० टी० पी०
गा० वि० प्रा०

सचिव

संख्या : 4384/8-3-11-181विविध/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 27 सितम्बर,2011

विषय :- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 में प्रस्तावित संशोधन का शासन द्वारा अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आवास बन्धु के माध्यम से समस्त विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं से सुझाव प्राप्त करने हेतु विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया गया। संशोधन के प्रस्ताव पर 13 विकास प्राधिकरणों तथा 09 निजी विकासकर्ताओं एसोसिएशन के सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों पर विकास प्राधिकरणों की दिनांक 10.09.2011 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दिनांक 27.08.2011 को होटल व्यवसाय के प्रतिनिधियों से भी पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श एवं प्राप्त सुझावों का संज्ञान लेते हुए विसंगतियों का निराकरण कर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है।

2- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 में प्रस्तावित संशोधन की प्रति जिसमें विकास प्राधिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं से प्राप्त सुझावों, अध्याय-22 के पश्चात 23, 24 एवं 25 जो कमशः सर्विस अपार्टमेंट्स हेतु अपेक्षाएं, दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा अन्य आय वर्गों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग के मानक एवं प्राधिकरण के सृजन के पूर्व नियोजित सिनेमा भूखण्ड अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर व्यावसायिक सुविधाओं से युक्त सिनेमाहाल/मल्टीप्लेक्स बनाये जाने हेतु अपेक्षाएं भी सम्मिलित है, संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 की धारा-57 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया इस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें। स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कार अपेक्षित हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय
आलोक
(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 में प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति संलग्न करते हुए आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त उपविधि पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2 निदेशक,आवास बन्धु, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2008 के प्रस्तावित संशोधन की प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0,लखनऊ।
4. अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

मद संख्या– 5

विषयः–गाजियाबाद में कियान्वित की जा रही हाईटैक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में :–

(क) हाईटैक टाउनशिप

उ.प्र. शासन द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से गाजियाबाद में हाईटैक टाउनशिप के विकास हेतु गाजियाबाद में दिनांक 21–5–2005 को दो निजी विकासकर्ता मै. उप्पल चढ्ढ़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा.लि. एवं मै. सनसिटी हाईटैक इन्फ्रा. प्रा.लि. का चयन किया गया। उक्त दोनों विकासकर्ताओं के साथ शासन द्वारा प्रेषित एम.ओ.यू. क्रमशः दिनांक 30–11–05 तथा दिनांक 22–12–05 को निष्पादित किया गया तथा संशोधित एम.ओ.यू. दिनांक क्रमशः 17–3–09 तथा 24–4–10 को निष्पादित किये गये।

मै. उप्पल चढ्ढ़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा.लि. द्वारा 1503 एकड़ भूमि पर प्रस्तुत पुनरीक्षित डी.पी.आर. व कन्सेप्चुअल ले–आउट प्लान दिनांक 23–5–09 को अनुमोदित किया गया। विकासकर्ता द्वारा प्रथम चरण में 501.05 एकड़ भूमि के विकास हेतु प्रस्तुत ले–आउट प्लान का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 12–6–09 को प्रदान किया गया। तत्क्रम में प्रथम चरण के विकास हेतु दिनांक 10–7–09 को डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित किया गया, जो कि विकासकर्ता द्वारा 1671.071 एकड़ भूमि पर प्रस्तुत प्रथम चरण के पुनरीक्षित ले–आउट प्लान की स्वीकृति के उपरान्त निरस्त किया जा चुका है ।

हाईटैक टाउनशिप विस्तार (2991.31 एकड़) का प्रस्ताव शासन द्वारा दिनांक 18–1–2010 में अनुमोदन उपरान्त दिनाक 17–2–10 को पुनरीक्षित एम.ओ.यू. निष्पादित हो चुका है। विकासकर्ता द्वारा मूल एवं विस्तारित क्षेत्रफल सहित 4494.31 एकड़ की योजना हेतु पुनरीक्षित डी0पी0आर0 प्राधिकरण में प्रस्तुत की गयी जो कि दिनांक 14–9–2010 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में परिचालन के माध्यम से बोर्ड द्वारा दिनांक 19–10–10 को अनुमोदित की गयी । डी0पी0आर0 के अनुमोदन के साथ साथ प्रथम चरण में प्रस्तुत 1671.081 एकड़ के ले–आउट पर दिनांक 19–10–10 को प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 29–10–10 को ले–आउट प्लान निर्गत किया गया ।

विकासकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत स्थित ग्रामों के आकार में वृद्धि/ग्रामों के आस पास अनाधिकृत निर्माण होनें तथा ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े मार्ग का प्रश्नगत योजना से होकर गुजरने के दृष्टिगत शासन द्वारा स्वीकृत ग्रामों के अन्तर्गत ही अतिरिक्त क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए 4494.41 एकड़ की पुनरीक्षित कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 एवं सम्पूर्ण योजना क्षेत्रफल पर ले–आउट प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, तथा योजनान्तर्गत पड़ने वाली भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, जिसपर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 12–7–11 में अनुमोदन उपरान्त दिनांक 22–7–11 को डी0पी0आर0 निर्गत की जा चुकी है । बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में महायोजना में दर्शित आवासीय भू–उपयोग के

प्रभारी अधिकारी
मास्टर प्लान–(II)

अन्तर्गत 2911.70 एकड़ पर प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र दिनांक 27–9–2011 को स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 20–10–11 को निर्गत किया गया । तत्क्रम में विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं ।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव दिनांक 23–7–11 को शासन को प्रेषित किया गया था, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में महायोजना में संशोधन हेतु समाचार पत्र के माध्यम से जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये । प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 18–10–2011 में की गयी सुनवाई का कार्यवृत्त शासन को प्रेषित किया गया। शासन के पत्र दिनांक 23–11–2011 के सन्दर्भ में अद्यतन स्थिति से प्राधिकरण के पत्र सं0 249/एम0पी0/11 दिनांक 17–12–2011 द्वारा अवगत कराया गया है। विकासकर्ता की योजनान्तर्गत लीज रेण्ट के निर्धारण, भूमि बन्धक पत्र, सिटी डवलपमेन्ट चार्ज व भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क गुणांक का प्रकरण शासन को सन्दर्भित है। जिसपर शासन का मार्गदर्शन प्रतीक्षित है।

मै. सनसिटी हाईटैक इन्फ्रा. प्रा.लि. द्वारा 1500 एकड़ भूमि पर प्रस्तुत कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. दिनांक 20–7–06 को अनुमोदित हुई है। हाईटैक टाउनशिप नीति–2007 के क्रम में शासन द्वारा प्रेषित अमेन्डमेंट–टू–एम.ओ.यू. दिनांक 28–4–2010 को निष्पादित किया जा चुका है। विकासकर्ता के अनुरोध पर पूर्व में जारी की गई धारा–4 की विज्ञप्ति कालबाधित हो जाने के कारण सम्पूर्ण भूमि (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से प्रभावित भूमि को छोड़कर)के अर्जन हेतु धारा–4 की कार्यवाही प्रगति पर है जिसमें से 1259.015 एकड़ भूमि की धारा–4(1) की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत हाईटैक टाउनशिप विस्तार(2812.99 एकड़) का प्रस्ताव शासन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में हाईटैक के विस्तार सहित कुल 4312.99 एकड़ का संशोधित एम0ओ0यू0 दिनांक 17–3–11 को निष्पादित हो चुका है ।

विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित योजनान्तर्गत प्रस्तावित पैरिफेरल एक्सप्रेस–वे तथा कुछ बड़े निर्माणों के दृष्टिगत शासन द्वारा स्वीकृत ग्रामों की सीमाओं के अन्तर्गत मूल अनुमोदित योजना की सीमाओं के परिवर्तन के कारण विस्तार सहित कुल 4312.99 एकड़ के विकास हेतु डी0पी0आर0 एवं प्रथम चरण में 717.94 एकड़ पर ले–आउट प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया तथा योजनान्तर्गत पड़ने वाली भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया, जिसपर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 12–7–11 में अनुमोदन उपरान्त दिनांक 22–7–11 को डी0पी0आर0 निर्गत की जा चुकी है तथा बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में 717.94 एकड़ का ले–आउट दिनांक 5–11–2011 को निर्गत किया जा चुका है ।

भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव दिनांक 23–7–11 को शासन को प्रेषित किया गया था, शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में महायोजना में संशोधन हेतु समाचार पत्र के माध्यम से जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये । प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 18–10–2011 को सुनवाई की गयी है । हाईटैक टाउनशिप की प्रगति का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

प्रभारी अधिकारी
मास्टर प्लान–(II)

नरेन्द्र कुमार
सचिव

(ख) इन्टीग्रेटेड टाउनशिप

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए घोषित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी–2005 के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 10 निजी विकासकर्ता पंजीकृत हैं। जिसमें श्रेणी 'ए' में 8 तथा श्रेणी 'बी' में 2 विकासकर्ता पंजीकृत हैं। उक्त सभी 10 विकासकर्ताओं द्वारा नियमानुसार भू–स्वामित्व प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण से लाईसेंस प्राप्त किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार पंजीकृत एवं लाईसेंस प्राप्त कुल 10 निजी विकासकर्ताओं में से 7 विकासकर्ताओं मै. क्रासिंग इन्फ्रा. प्रा.लि., अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा. लि., सामग कन्स.लि., एस.एम.वी.एजेन्सीज प्रा.लि., मै. अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि., मै. लैण्ड क्राफ्ट डवलपर्स प्रा.लि. व मै. एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि. की डी.पी.आर. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, जिसके क्रम में विकासकर्ताओं के साथ विकास अनुबन्ध निष्पादित किये जा चुके हैं। जिनकी योजनाओं में विकास कार्य प्रगति पर है। विकासकर्ता मै0 अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि0 एवं मै0 अन्सल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि0 द्वारा अपनी योजनाओं की पुनरीक्षित डी0पी0आर0/ले–आउट प्राधिकरण में प्रस्तुत की गयी, जिसको प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25–4–11 में अनुमोदन उपरान्त आरोपित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा चुका है।

लाईसेंस प्राप्त 10 निजी विकासकर्ताओं में से अवशेष तीन विकासकर्ताओं में से 2 विकासकर्ता मै. साहनी बिल्डर्स प्रा.लि. एवं मै. आचिर्ड आइरियो रियल्टी प्रा.लि. द्वारा क्रमशः दिनांक 15–9–08 एवं 5–7–08 को अपनी योजना की डी.पी.आर. प्राधिकरण में प्रस्तुत की गई। मैसर्स साहनी के प्रकरण में डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मैसर्स आर्चिड आइरियों द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर कतिपय आपत्तियों से विकासकर्ता को दिनांक 5–11–09 को अवगत कराया गया, जिसमें यह भी अवगत कराया गया कि लाईसेन्स की अवधि दिनांक 22–1–09 को समाप्त हो चुकी है। विकासकर्ता द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है।

मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर कतिपय आपत्तियों से विकासकर्ता को अवगत कराया जा चुका है। जिसके क्रम में मैसर्स साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा योजना की संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 01–11–10/7–2–11 को प्राधिकरण में प्रस्तुत की गयी, जिसपर दिनांक 25–11–10/28–2–11 को आहूत समिति की बैठक के निर्णय से विकासकर्ता को अवगत कराया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा सूचित आपत्तियों पर निराकरण नहीं किये जाने के कारण डी.पी.आर. अभी अनुमोदित नहीं है। एक विकासकर्ता मै. जयकिशन एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. की लाईसेंस अवधि दिनांक 24–3–11 तक थी, जिसके लाईसेन्स नवीनीकरण का प्रकरण शासन को सन्दर्भित है। इन्टीग्रेटिड टाउनशिप प्रगति का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

इन्टीग्रेटिड विकासकर्ताओं की योजनान्तर्गत ग्राम समाज की भूमि को एकजाई करने, एस्क्रों अकाउन्ट के सम्बन्ध में एवं मै0 क्रासिंग इन्फ्रा0 प्रा0लि0 की योजना के

प्रभारी अधिकारी
मास्टर प्लान–(II)

सचिव

समयवृद्धि के प्रकरण शासन को सन्दर्भित है। जिसपर शासन का मार्गदर्शन प्रतीक्षित है।

(ग) महायोजना मार्गो का विकास

इन्टीग्रेटिड एवं हाईटैक टाउनशिप के अन्तर्गत पड़ने वाले महायोजना मार्गो के विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही/प्रगति का विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम डूण्डाहेडा में प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड :–

प्रश्नगत महायोजना मार्ग में स्थल पर 60 प्रतिशत सडक का निर्माण हो चुका है। शेष भूमि के अर्जन हेतु धारा 6(1)/17 की अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन से दिनांक 27.04.2011 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। हितबद्ध भू–स्वामियों से प्रतिकर हेतु समझौते का प्रयास किया जा रहा है।
0.2126 है0 भूमि के अर्जन का पूरक प्रस्ताव दिनांक 04.07.2011 को प्रेषित किया गया है। जो अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन कार्यालय स्तर पर विचारधीन है।

ग्राम शाहपुर बम्हैटा में प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड :–

प्रश्नगत महायोजना मार्ग में स्थल पर 20 प्रतिशत सडक का निर्माण हो चुका है। शेष भूमि के अर्जन हेतु धारा 4(1)/17 की अधिसूचना उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15.09.2010 को जारी कर दी गयी है। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन सिचांई गाजियाबाद की मांग के अनुसार अनुमानित प्रतिकर की 10 प्रतिशत धनराशि एवं अर्जन व्यय रू0– 5,69,04,640.00 एवं पुर्नस्थापना/पुर्नवास हेतु धनराशि रू0–99,37,500/– प्रेषित की जा चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के क्रम में 20.27 है0 भूमि के स्थान पर न्यूनतम आवश्यक 5.1368 है0 भूमि की धारा–6 हेतु संशोधित प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन सिचांई गाजियाबाद को दिनांक 02.07.2011 को प्रेषित किया गया है। जिसके अनुस्मारक भी प्रेषित किये गये है किन्तु अभी धारा–6 की कार्यवाही प्रतीक्षित है।

ग्राम महरौली में प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड :–

प्रश्नगत महायोजना मार्ग में स्थल पर 40 प्रतिशत सडक का निर्माण हो चुका है। शेष भूमि के अर्जन हेतु धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जिसका कब्जा अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन सिचांई गाजियाबाद द्वारा दिनांक 01.05.2010 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हस्तगत किया जा चुका है। प्रश्नगत अर्जन के कुछ हितबद्ध कृषकों/भू–स्वामियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर कर उनकी भूमि के अर्जन के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये है। विकासकर्ताओं के स्तर से भी समझौता वार्ता कर केस वापिसी के प्रयास किये जा रहे है।

प्रभारी अधिकारी
मास्टर प्लान–(II)

सचिव

(घ) आन्तरिक / वाहय विकास की प्रगति का विवरण

हाईटैक टाउनशिप योजनाओं के अन्तर्गत विकासकर्ताओं द्वारा किये गये विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है एवं इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं के अन्तर्गत विकासकर्ताओं द्वारा किये गये विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक / इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति विवरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रभारी अधिकारी
मास्टर प्लान--(II)

नरेन्द्र कुमार
सचिव

गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप विकास की प्रगति का विवरण

परिशिष्ठ-क

क्र स	नगर एवं प्राधिकरण का नाम.	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	एम.ओ.यू. निष्पादन की तिथि	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	विकासकर्ता द्वारा क्रय की गई भूमि (एकड़)	कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. अनुमोदन	ले-आउट प्लान अनुमोदन	डवलपमेंट एग्रीमेंट के निष्पादन की तिथि (चरणवार)	ग्राम समाज के पुर्नग्रहण की स्थिति (एकड़)	क्रियान्वयन से आलोच्य माह तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	पूँजी निवेश की धनराशि (रू0 करोड में)	
											वर्तमान वित्तीय वर्ष में	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल धनराशि
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		16.	17.
1	गा.वि.प्रा.	मै. उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा.लि.	हाईटेक के विस्तार सहित कुल 4494.31 एकड़ का रिवाईन्ड एम.ओ.यू. दि. 17.02.10 को निष्पादित हुआ।	4494.31	2709	• योजना की पुनरीक्षित डी.पी.आर.बोर्ड बैठक दिनांक 12.07.11 में अनुमोदित।	प्रथम चरण में 1671.081 एकड़ का ले-आउट दि.29.10.10 को अनुमोदित। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण योजना के ले-आउट पर बोर्ड बैठक दिनांक 12.07.11 के निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित 2911.70 एकड़ पर ले-आउट प्लान दिनांक 21.10.11 को निर्गत।	29.10.10	115.68 पुर्नग्रहीत	सड़क सीवर का कार्य प्रगति पर है।	615	1588
		मै. सनसिटी हाईटेक इन्फ्रा.प्रा.लि.	हाईटेक के विस्तार सहित कुल 4312.99 एकड़ का रिवाईन्ड एम.ओ.यू. दिनांक 17.03.11 को निष्पादित हुआ	4312.99	440	• विस्तार सहित कुल 4312.99 एकड़ पर प्रस्तुत योजना की डी.पी.आर.बोर्ड बैठक दिनांक 12.07.11 में अनुमोदित	प्रथम चरण में 717.94 एकड़ पर प्रस्तुत ले-आउट बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 05.11.11 को निर्गत।	05.11.11	89.657 पुर्नग्रहीत	शून्य	46	482

गाजियाबाद में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति का विवरण

परिशिष्ठ-ख

क्र स	अभिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनियों के नाम, जिनके लाईसेंस निर्गत हो चुके हैं	लाइसेन्स निर्गमन की तिथि	योजना का क्षेत्रफल (एकड़)	विकासकर्ता द्वारा क्रय/असेम्बली की गई भूमि (एकड़)	विकासकर्ता कम्पनी के नाम जिनकी डी.पी.आर. प्रस्तुत हुई	विकासकर्ता कम्पनी के नाम, जिनकी डी.पी.आर. अनुमोदित नहीं हुई। (मुख्य-मुख्य कारण अंकित करें)	डवलपमेंट एग्रीमेंट के निष्पादन की तिथि	क्रियान्वयन से आलोच्य माह तक भौतिक प्रगति (% में)	ग्राम समाज के पुर्नग्रहण की स्थिति (एकड)	योजनान्तर्गत कुल दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग के भवनों का लक्ष्य		प्रारम्भ से आलोच्य माह तक दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग के भवनों की उपलब्धि		आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित आवासीय इकाईयों की संख्या (ई.डब्लू.एस./एल.आई.जी. को छोड़कर)	पूँजी निवेश की धनराशि (रू0 करोड में)	
											दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग		वर्तमान वितीय वर्ष में	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल धनराशि
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18
1	गा. वि. प्रा.	मै0 क्रासिंग इन्फ्रा. प्रा.लि.	29.5.06	360.00	242.31	प्रस्तुत	अनुमोदित	03.02.07	37	शून्य	2214	2214	स्वीकृत 656 प्रगति पर	-	1980 इकाई	88.60	802.60
2	"	अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा.लि.	29.5.06 नेट एरिया	140.63	88.68	प्रस्तुत	अनुमोदित	09.05.07	25	शून्य	392	392	स्वीकृत 256 प्रगति पर	स्वीकृत 208 प्रगति पर	155 भूखण्ड	25.50	169.00
3	"	अग्रवाल एसो. प्रमोटर्स लि0	29.5.06	185.00	116.98	प्रस्तुत	अनुमोदित	07.05.07	05	8.638 एकड़ पुर्नग्रहित	523	526	स्वीकृत 16 प्रगति पर	स्वीकृत 288 प्रगति पर	-	23.30	160.50
4	"	एम्मार एम.जी. एफ. लैण्ड लि0	20.9.06 12.09.08	120.55	75.02	प्रस्तुत	अनुमोदित	18.05.11	शून्य	शून्य	163	171	-	-	-	2.85	72.85
5	"	एस0एम0वी0 एजेन्सीज प्रा0 लि0	29.5.06	300.00	180.073	प्रस्तुत	अनुमोदित	13.02.07	20	शून्य	450	450	स्वीकृत 232		-	11.70	287.70
6	"	सामग कन्स. लि0	29.5.06	72.90	60.04	प्रस्तुत	अनुमोदित	23.02.07	15	शून्य	161	161	-	-	-	7.00	269.00
7	"	लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा0 लि0	25.11.06	91.60	63.70	प्रस्तुत	अनुमोदित	22.10.07	30	0.3158 एकड़ पुर्नग्रहीत	303	303	स्वीकृत 152	स्वीकृत 32	-	70.67	248.91
8	"	साहनी बिल्डर्स प्रा0 लि0	25.11.06	200.00	120.00	प्रस्तुत	अनुमोदित नहीं। सूचित आपत्तियों का निराकरण विकासकर्ता द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।	निष्पादित नहीं	-		-	-	-	-		-	90.00
		योग :		1470.68	946.80											229.62	2100.56

मद सं0: 6

विषयः ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति के विवरण के सम्बन्ध मे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कतिपय शासनादेशों को प्राधिकरण में अंगीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 19.09.11 मे मद सं0 6 पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया : –

" विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इंगित चारों शासनादेशों के अनुपालन के साथ–साथ नर्सिंग होम्स, होटल्स व ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के संबंध में भी एक्शन प्लान तैयार किया जाये तथा बोर्ड को अवगत कराया जाये।"

उपरोक्तानुपालन मे शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यो की प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा अपनी आवासीय योजनाओं के अर्न्तगत ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी श्रेणी के भवनो का नियोजन / निर्माण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1. **राजेन्द्र नगर आवासीय योजना :–**

   राजेन्द्र नगर आवासीय योजना मे 4.5 एकड भूमि पर 560 ई0डब्लू0एस0 भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

2. **प्रताप विहार आवासीय योजना :–**

   प्रताप विहार आवासीय योजना 2.5 एकड भूमि पर 492 ई0डब्लू0एस0 भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

3. **इन्दिरापुरम आवासीय योजना :–**

   इन्दिरापुरम आवासीय योजना के अर्न्तगत विभिन्न आवासीय भू–उपयोग की रिक्त भूमि पर 632 ई0डब्लू0एस0 भवनो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4. **मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना :–**

   मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना मे 58.83 एकड भूमि पर 6240 ई0डब्लू0एस0 भवनो, 10.5 एकड भूमि पर 1056 एल0आई0जी0 भवनो का निर्माण कार्य अन्तिम चरण मे है। इसके अतिरिक्त लगभग 10 एकड भूमि पर 1280 ई0डब्लू0एस0 भवनो का निर्माण प्रस्तावित है।

ए० टी० पी०
गा० वि० प्रा०

सचिव

5. हाईटैक / इन्टीग्रेटिड टाउनशिप :–

हाईटैक / इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओ द्वारा अपनी–2 योजनाओं मे प्राविधानित / निर्मित कराये जाने वाले ई0डब्लू0एस0 / एल0 आई0जी0 भवनो का विवरण निम्नवत है :–

कम सं0	विकासकर्ता	ई0डब्लू0एस0		एल0आई0जी0	
		ले–आउट मे प्राविधान	स्वीकृत इकाई	ले–आउट मे प्राविधान	स्वीकृत इकाई
1	उप्पल चढढा हाईटैक डवलपर्स प्रा.लि.	4981	–	4981	–
2	सनसिटी हाईटैक इन्फ्रा0 प्रा. लि.	960	–	960	–
3	कासिंग्स इन्फ्रा0 प्रा0लि0	2214	656	2214	–
4	अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0	392	256	392	208
5	एस.एम.वी. एजेन्सीज प्रा0लि0	450	232	450	–
6	अग्रवाल एसो0 प्रमोटर्स लि0	523	16	526	288
7	लैण्डकाफट डवलपर्स प्रा0लि0	303	152	303	32
8	सामन कन्स0 प्रा0लि0	161	–	161	–
9	एम्मार एम.जी.एफ. लैण्ड लि0	163	–	171	–

शहरीकरण प्रकिया अर्न्तगत आने वाले ग्रामो के विकास हेतु शासन द्वारा शासनादेश सं0 2157 / 8–1–11–184विविध / 2010 दिनांक 22.07.11 के माध्यम मे से निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अपनी–अपनी योजनाओं के चारो ओर स्थित ग्रामीण आबादीयों के सुनियोजित विकास हेतु हाईटैक / इन्टीग्रेटिड योजनाओं के समस्त विकासकर्ताओं को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 31.10.11 के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचित किया जा चुका है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 मे प्रस्तावित संशोधनो को अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त ही नर्सिंग होम व होटल्स के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः उपरोक्तानुसार ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों की प्रगति का विवरण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सी० ए० टी० पी०
गा० वि० प्रा०

करेन्द्र ...
सचिव

मद सं0: 7

विषय : श्री आसिफ रजा जैदी, अवर अभियन्ता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक।

श्री आसिफ रजा जैदी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता के पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं । इनको ब्रेन ट्यूमर था, जिसका आपरेशन इनके द्वारा कराया गया था, उसी दौरान इनको हैपैटाईटिस–सी की बीमारी हो गयी, जिसका ईलाज यशोदा अस्पताल में डा0 अजय गुप्ता से कराया गया । इनके द्वारा अपने ईलाज पर कुल रू0 4,64,642/–व्यय किया गया, जिसका भुगतान इनके द्वारा प्राधिकरण से किये जाने का अनुरोध किया गया है । इनके द्वारा भेजे गये बिल रू0 4,64,642/– को सत्यापन हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नियुक्त डा0 संजीव अग्रवाल को भेजा गया था । डा0 अग्रवाल द्वारा भेजे गये बिल रू0 4,64,642/– के विरूद्ध रू0 3,31,530/– को भुगतान योग्य पाया गया है । प्राधिकरण की पूर्व बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मात्र रू0 2,50,000–00 तक के मेडिकल बिलों का भुगतान का अधिकार उपाध्यक्ष को है तथा इससे अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किया जाना है ।

अतः श्री आसिफ रजा जैदी, अवर अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बिल रू0 3,31,530/– का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद संख्या : 8

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों पर पेन्शन व्यवस्था पूर्व से ही बोर्ड बैठक दिनांक 3–9–90 में लिये गये निर्णय अनुसार दी जा रही है, परन्तु अभी तक यह व्यवस्था केवल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू थी । अब उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की अधिसूचना सं0 3851/आठ–5–11–10ई/11, दिनांक 11–11–2011 प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को पेन्शन व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्गत की गयी है । अतः उक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद संख्याः 9

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को मानव हास्पिटल एण्ड लेजर आई सेन्टर में इलाज कराने पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 3–6–99 में प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों का इलाज कराये जाने हेतु निम्न अस्पतालों को नामित किया गया था, जिनमें इलाज कराये जाने पर उनका भुगतान प्राधिकरण द्वारा नामित डा0 से बिल सत्यापित कराकर शासनादेश अनुसार किया जाता है ।

1– यशोदा अस्पताल गाजियाबाद ।
2– नरेन्द्र मोहन अस्पताल मोहन नगर गाजियाबाद ।
3– कैलाश/ नवीन उपचार केन्द्र/मेट्रो/एन0एम0सी0 नोएडा।
4– अपोलो अस्पताल दिल्ली ।
5– एस्कार्ट हास्पिटल दिल्ली ।
6– सन्तोष मेडिकल कालेज गाजियाबाद ।

उक्त अस्पतालों को नामित किये जाने के पश्चात पुनः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20–2–2003 में आर0जी0स्टोन यूरोलाजिकल रिसर्च इन्सटीट्यूट नई दिल्ली को प्राधिकरण के पैनल पर रखा गया ।

उक्त अस्पतालों के अतिरिक्त मानव हास्पिटल एण्ड लेजर आई सेन्टर गाजियाबाद को प्राधिकरण के पैनल पर रखा गया है, जिसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद संख्या : 10

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य/ अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य / अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय –समय पर ,जिला प्रशासन से पुलिस बल की मांग की जाती है किन्तु पुलिस बल समय पर उपलब्ध नहीं होती है जिसके कारण प्रवर्तन / अतिक्रमण सम्बन्धी अभियान प्रभावित एवं बाधित होते है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने भी अपने पत्र सं0 मीमो/आर–एस0एस0पी0 /06 दिनांक 30.12.2066 द्वारा प्राधिकरण को यह सुझाव दिया गया था कि उचित होगा अतिक्रमण / प्रर्वतन अभियान हेतु 100 होमगार्डस जी0डी0ए0 के भुगतान के आधार पर प्राधिकरण अपने स्तर से व्यवस्था कर लें तथा यदि इसके अतिरिक्त भी पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है तो समय –समय पर आवश्यकता के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रर्वतन /अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य लगातार चलता रहता है तथा कभी – कभी समय पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो पाता है जिस कारण अभियान प्रभावित होते हैं। अतः प्राधिकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए गत बोर्ड बैठक दिनांक 25.04.2011, में छः माह के लिये 25 होमगार्ड रखे गये थे। यह व्यवस्था प्राधिकरण के लिए हितकर/प्रभावी सिद्ध हुई, जिसके कारण प्राधिकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक 25 होमगार्डस से कार्य लिया जा रहा है, जिसकी औपचारिक स्वीकृति वांछित है तथा आगामी व्यवस्था हेतु पुनः छः माह के लिए 25 होमगार्ड प्राधिकंरण से भुगतान के आधार पर प्रर्वतन/ अतिक्रमण अभियानों के लिए रखे जाने पर विचारार्थ प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

20/12/2011
तेजेन्द्र सिंह
इन्सपैक्टर पुलिस
जी0डी0ए0

नरेन्द्र कुमार
सचिव

मद संख्या : 11

विषयः संजय नगर योजना हेतु ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं0 1092 का अर्जित एवं कब्जाशुदा भूमि का अभी तक अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण बदले में 55 प्रतिशत भूमि की मॉग किये जाने के सम्बन्ध में।

संजय नगर योजना हेतु ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं0 1092 रकबा 1–16–0–0 बीघा भूमि का अर्जन तत्समय सुधार मण्डल, गाजियाबाद द्वारा कराया गया था। जिसकी धारा 4(1) एवं धारा 6(1)/17 की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 02.01.64 एवं 17.12.68 को होने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 17.12.79 को प्राधिकरण को हस्तगत हुआ। एवं इस भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संजय नगर के नाम से आवासीय योजना विकसित भी की जा चुकी है।

प्रश्नगत भूमि के भू–स्वामी श्री राजवीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, मेरठ द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी अर्जित हुई भूमि का अभी तक न तो प्रतिकर प्राप्त हुआ है एवं न ही अभी तक उस भूमि का अभिनिर्णय घोषित हुआ है। इसलिए प्रश्नगत खसरा सं0 1092 रकबा 1–16–0–0 बीघा भूमि के बदले 55 प्रतिशत विकसित भूमि के मॉग करते हुए ग्राम मकनपुर के खसरा सं0 282 की भूमि के 50 प्रतिशत समायोजन सम्बन्धी बोर्ड बैठक का उल्लेख करते हुए उक्त के आधार पर समायोजन करने हेतु कहॉ गया है एवं साथ ही श्री राजवीर सिंह, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन द्वारा अवगत कराया गया है कि हितबद्ध भू–स्वामियों को 37 वर्ष बाद अब अगर एवार्ड घोषित कराकर प्रतिकर दिया जाता है तो प्रार्थीगण कोर्ट में जायेंगे। प्रार्थीगण मा0 न्यायालय में जाते है तो धारा 28ए के अन्तर्गत हितबद्ध भू–स्वामी को प्रतिकर बढौत्तरी का लाभ मिलने पर धारा 4 की अधिसूचना के अन्तर्गत शेष भूमि के हितबद्ध भू–स्वामी भी उक्त प्रतिकर वृद्धि का लाभ पाने के पात्र हो जायेंगे। यदि ऐसा होता है तो प्राधिकरण पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पडेगा।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि ग्राम ढरगल की भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) एवं 6(1)/17 की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 02.01.64 एवं 17.12.68 को होने के उपरान्त भूमि का कब्जा दिनांक 28.04.69 में प्राप्त हुआ था जिसमें खसरा संख्या 1092 सम्मिलित नही था। प्रश्नगत खसरा सं0 1092 की भूमि का कब्जा पृथक से दिनांक 17.12.79 को प्राधिकरण को दिया गया। सम्भवतः इसी कारण खसरा सं0 1092 की भूमि का अभिनिर्णय घोषित नही हो सका। तथा उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान भी प्रार्थी को नही हुआ। इस प्रकार के ओर प्रकरण होने की सम्भावनों से इंकार नही किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि का अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को कार्यालय पत्रांक 152/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 24.04.11,पत्रांक 248/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 03.06.11 एवं पत्रांक 319/12/भू0अ0 अ0/11 दिनांक 27.06.11 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद द्वारा

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

[illegible]
सचिव

अपने कार्यालय पत्र संख्या 486/आठ–अ0जि0अ0 (भू0अ0)/सिं0गा0बाद दिनांक 09.08.11 के माध्यम से प्रार्थी के पत्र में इंगित बिन्दुओं पर सहानूभूतिपूर्व विचार करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कहॉ गया। इस सम्बन्ध में शासन को भी कार्यालय पत्र सं0 347/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 06.07.11 के माध्यम वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

तक ग्राम मकनपुर के खसरा संख्या 282 की भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वैशाली योजना के विकास हेतु 1986 में मकनपुर की लगभग 454 एकड भूमि का अर्जन प्रस्ताव किया गया था जिसमें खसरा सं0 282, 691 एवं 692 की भूमि के राजस्व अभिलेखों में त्रुटि के कारण प्रेषित प्रस्ताव में सम्मिलित नही किया जा सका था। तदोपरान्त उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के अर्जन हेतु 1989 में अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे जिसमें धारा 4(1) एवं धारा 6(1)/17 की अधिसूचना क्रमशः दिनांक 29.09.89 एवं 16.02.90 को होने के पश्चात भूमि का कब्जा दिनांक 16.03.90 को प्राधिकरण को हस्तगत हुआ। परन्तु खसरा सं0 691 एवं 692 के भू–स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। दोनों खसरा नम्बर की भूमि वैशाली योजना को इन्दिरापुरम योजना से जोडें जाने वाले मुख्य मार्ग पर पडते थे। उक्त सडक का निर्माण कार्य अवरूद्व होने के कारण शासन के आदेश दिनांक 15.06.94 के क्रम में खसरा सं0 691 एवं 692 कुल क्षेत्रफल 4 एकड भूमि के बदले 3.5 एकड भूमि छोडे जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 29.02.96 अनुमोदनोपरानत शाासन की अनापत्ति दिनांक 13.05.96 के क्रम में उक्त भूमि समायोजित कर दी गयी। चूँकि खसरा सं0 691 एवं 692 की भूमि का समायोजना हो जाने के कारण कदाचित कलैक्टर द्वारा खसरा सं0 292 की भूमि का अभिनिर्णय घोषित नही किया जा सका। अतः खसरा सं0 282 के स्वामी द्वारा भूमि के बदले भूमि समायोजना किये जाने के अनुरोध पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 02.07.10 को लिये गये निर्णय के अनुसार कुल अर्जित भूमि की 50 प्रतिशत विकसित भूमि उपलब्धता के आधार पर बाह्य विकास शुल्क, आन्तरिक विकास शुल्क, लीजरेन्ट, फ्री–होल्ड चार्ज प्राप्त कर समायोजित किया जा चुका है।

इस प्रकार अभिनिर्णय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से अनुरोध किये जाने एवं वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराये जाने के बावजूद भी श्री राजवीर सिंह द्वारा प्रार्थना पत्रो के माध्यम से एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किसान बैठकों में लगातार यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। अतः प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

सचिव

38 ~~36~~
(18)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

पत्रांक 319 / 12 / भू0अ0अ0 / 11 दिनांक : 27-6-11

प्रेषक

संयुक्त सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी, भू-अर्जन
सिचांई गाजियाबाद।

विषय: श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजन सिंह ग्राम व पोस्ट रईसपुर गाजियाबाद अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक रहित के अनुसार राजस्व ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0 1092 के अर्जित रकबा 1 6-16-0 बीघा भूमि का प्रतिकर एवार्ड करते हुए सम्बन्धित हितबद्व भू स्वामियों को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजन सिंह के दिनांक रहित पत्र की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिस पर प्रमुख सचिव-मुख्यमन्त्री द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए 15 दिन में आख्या प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी तक उपरोक्त अर्जित भूमि का न तो एवार्ड किया गया है और न ही प्रतिकर का भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में कृपया आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अर्जित भूमि का प्रतिकर एवार्ड घोषित एवं प्रतिकर का भुगतान करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि वस्तु स्थिति से प्रमुख सचिव-मुख्यमन्त्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

27-6-11

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
संयुक्त सचिव

AE (LA)
10/8/11
11/8/11

-46-
39

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0),
सिचांई, गाजियाबाद।

सेवा में,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांकः 486 /आठ–अ0जि0अ0/(भू0अ0)/सिं0/गा0बाद, दिनांक 09-8-11

विषयः– ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा सं0–1092 रकबा 1–16–0 बीघा का अभिनिर्णय घोषित कर हितबद्ध भू–स्वामियों को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–152/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 26.04.11 एवं पत्र सं0–248/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 03.06.11 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

तत्क्रम में अवगत कराना है कि श्री राजवीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, मेरठ द्वारा दिनांक 22.07.11 में जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा भूमि के बदले भूमि दिये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी आशय का पत्र प्रार्थी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को भी प्रेषित किया जा चुका है।

कृपया पत्र के साथ संलग्न प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में इंगित बिन्दुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– प्रार्थी द्वारा दिये गये
प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

9.8.11
(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0)
सिंचाई, गाजियाबाद।

JS-G

AE (LA)

10/8/11

11/8/11

12/8/11

40 (4)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

पत्रांक 152 /12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 26-4-11

प्रेषक

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद।

महोदय,

राजनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नम्बर 1092 कुल क्षेत्रफल 1-16-0 बीघा भूमि हैं जिसकी धारा 4(1) की विज्ञप्ति सं0 6523एच 37-113(गा0बाद)-63 दिनांक 02.01.64 एवं धारा 6/17 की विज्ञप्ति सं0 5599 के0 1 37-120(गा0बाद)-68 दिनांक 17.12.68 को शासन द्वारा जारी होने के पश्चात प्रश्नगत भूमि का विधिवत कब्जा कलैक्टर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 17.12.79 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया है सम्भवतः जिसके कारण प्रश्नगत भूमि का मुआवजा अभी तक वितरित नही किया जा सका है सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा भूमि के मुआवजे की मॉग की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम ढरहल की अर्जित व प्राधिकरण को हस्तगत भूमि का अभिनिर्णय शीघ्र घोषित कराते हुए नियमानुसार सम्बन्धित हितबद्ध भू-स्वामियों को भुगतान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार)

सचिव

12

47

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

पत्रांक : 347 E 12/भू0अ0अ0/10 दिनांक : 06-7-11

सेवा में,

विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग--3
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

विषय: ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नम्बर 1092 की वर्ष 1969 में अधिग्रहीत भूमि के बदले प्रार्थी को विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0 176 सी0एम0 18-3-11-115विविध/11 दिनांक 15.06.11 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके साथ श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजन सिंह के पत्र के दिनांक रहित की प्रति संलग्न करते हुए आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि प्रश्नगत भूमि का अर्जन प्राधिकरण की राजनगर आवासीय योजना हेतु शासन द्वारा दिनांक 17.12.68 को किया गया था तथा कलैक्टर गाजियाबाद द्वारा दिनांक 17.12.79 में भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तगत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर की धनराशि तत्समय ही कलैक्टर गाजियाबाद को उपलब्ध करायी जा चुकी है। तथा प्रश्नगत भूमि का उपयोग राजनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है।

जहाँ तक भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने का सम्बन्ध है उक्त परिधि में प्रार्थी नहीं आते है तथा प्रतिकर वितरण की कार्यवाही कलैक्टर गाजियाबाद के स्तर से होनी हैं। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 152 दिनांक 26.04.11, 248 दिनांक 03.06.11, एवं पत्रांक 319/12/भू0अ0 अ0/11 दिनांक 27.06.11 के माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद से अनुरोध किया गया है।

संलग्नक: जिलाधिकारी गाजियाबाद को प्रेषित
पत्र की छायाप्रति। कुल--3

भवदीय

06.07.11
(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

06.07.11
(उपाध्यक्ष)

42 – 20

मुख्यमंत्री संदर्भ
संख्या–176सी.एम. / 8–3–11–115विविध / 11

प्रेषक,

अजय दीप सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 04/07/जून,2011

विषयः ग्राम ढरगल, परगना जलालाबाद खसरा नं0 1092 की वर्ष 1969 में अधिग्रहीत भूमि के बदले प्रार्थी को विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–176सी.एम. / 8–3–2011–115 विविध / 11, दिनांक–15जून,2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में सुस्पष्ट आख्या शसन को विलम्बतम तीन दिन में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अभी तक सुस्पष्ट आख्या अप्राप्त है। कृपया वांछित आख्या शासन को निश्चित रूप से तीन दिन में उलपब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी लम्बित कम्प्यूटर संदर्भो की सूची में सूचीबद्ध है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

338
11-7-2011

सचिव

18/7/11

907
11/7/11

M.G.O.(1)

AE (LA)

18.7.11
नरेन्द्र कुमार चौधरी
उपाध्यक्ष

से. प्रा.वि.अ.जी

18.7.11

43

~~23~~

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः-248 /12/भू0अ0अ0 /2011 दिनांक 03-6-11

प्रेषक,

संयुक्त सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी–भू0अ0
(सिंचाई), गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 152/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 26.04.11 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो राजनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नं0 1092 जिसका कुल क्षेत्रफल 1–16–0 वीघा है। जिसके पूर्ण क्षेत्रफल की धारा–4 (1) की विज्ञप्ति संख्या 6523–एच–37–113/गा0बाद–63 दिनांक 02.01.64 एवं धारा–6/17 की विज्ञप्ति संख्या 5599–के–137–120/गा0बाद–68 दिनांक 17.12.68 को शासन द्वारा जारी होने के पश्चात भूमि का विधिवत कब्जा कलेक्टर गाजियाबाद द्वारा दिनांक 17.12.79 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया है। प्रश्नगत भूमि का मुआवजा अभी तक वितरित नहीं किया जा सका है। सम्बन्धित भूस्वामी द्वारा भूमि के मुआवजे की मांग की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम ढरगल की अर्जित व प्राधिकरण को हस्तगत भूमि का अभिनिर्णय घोषित कराते हुए नियमानुसार सम्बन्धित हितबद्ध भूस्वामियों को भुगतान कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
संयुक्त सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

~~47~~ 44

गाजियाबाद।

पत्रांक 451 /12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 16-8-11

प्रेषक

संयुक्त सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
सिचांई, गाजियाबाद।

विषय : **ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नम्बर 1092 की भूमि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया संलग्न उपरोक्त विषयक श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजन सिंह के पत्र दिनांक 01.08.11 को सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1092 स्थित ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद की भूमि का अर्जनोपरान्त अभिनिर्णय घोषित होने के कारण प्रतिकर न मिल पाना अवगत कराते हुए भूमि के बदले विकसित भूमि की मॉग की गयी है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पत्र संख्या 152/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 26.04.11, 248/12/भू0अ0अ0/11, दिनांक 03.06.11 एवं पत्रांक 319/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 27.06.11 के माध्यम से पूर्व में भी आपसे अनुरोध किया गया है। परन्तु अभी तक अभिनिर्णय घोषित नही हो सका है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि का अर्जन प्राधिकरण की राजनगर आवासीय योजना हेतु दिनांक 17.12.68 को शासन द्वारा किया गया था तथा कलैक्टर, गाजियाबाद द्वारा भूमि का कब्जा दिनांक 17.12.79 को प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया था। जिसके पश्चात भूमि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा योजना के अन्तर्गत कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व प्राधिकरण का नही है।

अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 1092 रकबा 1-16-0-0 बीघा स्थित ग्राम ढरगल का अभिनिर्णय घोषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : 1. प्रार्थी का पत्र मूल रूप से
2. प्राधिकरण द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 26.04.11, 03.06.11 एवं 27.06.11 की छायाप्रति।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
संयुक्त सचिव

पृष्ठाकंन दिनांक

प्रतिलिपि : श्री राजबीर सिंह पुत्र स्व0 श्री निरंजन सिंह ..., नि0-बी-9, लोहिया नगर, गाजियाबाद।

16.8.11

संयुक्त सचिव

८।।। - ७।-/५ 45 ~~81~~

चौ0 महेन्द्र सिंह टिकैत जिन्दाबाद

जय किसान

भारतीय किसान यूनियन

रजि0 नं. 4981

मेरठ मण्डल मेरठ

क्रमांक ....

दिनांक 19-9-11

श्रीमान प्रमुख सचिव (आवास)
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– **2 जून 2011 को शासन व किसानों की पंचायत में दिये गये प्रार्थना–पत्र की धारा–4 के द्वारा अधिग्रहित व अवार्डरहित भूमि के बदले विकसित भूमि शासनादेशानुसार देने के विषय मे।**

महोदय,

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र, अपनी जमीन खसरा नं0 1092 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम ढरगल, तहसील व जिला गाजियाबाद की बावत दिया था प्रार्थी की पुरी जमीन का अधिग्रहण धारा 4(1) दि0 02.01.64 एवं धारा 6/17 दि0 17.12.68 को प्राप्त करके अवार्ड दि0 22.06.70 को घोषित करके किया गया था परन्तु प्रार्थी का एक खसरा नं0 1092 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा का एवार्ड किसी वजह से नहीं हुआ प्रार्थी ने खोज–बीन की तो प्राधिकरण ने 10साल बाद 17–12–79 में उपरोक्त खसरा नं0 1092 का कब्जा प्राप्त कर लिया परन्तु एवार्ड आज तक भी नहीं हुआ है।

प्रार्थी ने 2 जून 2011 को लखनऊ में शासन व किसानों की हुई पंचायत में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया जिस पर प्रमुख सचिव आवास उत्तर प्रदेश जी ने 09.06.11 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 15 दिन में आख्या मांगते हुए मूल प्रार्थना पत्र सहित भेजा गया था तथा मुख्यमंत्री संदर्भ (संख्या 176 सी.एम/8–3–11–115 विविध/11 के द्वारा विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन ने 15 जून 11 को पुनः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मूल प्रार्थना पत्र के साथ सुस्पष्ट आख्या विलम्बतम 3 दिन में मांगी गई थी।

परन्तु प्राधिकरण ने 37 वर्ष बाद भी अपना व्यवहार नहीं बदला शासन ने स्पष्ट आख्या मांगी लेकिन प्राधिकरण ने ए.डी.एम. (भू अर्जन) को पत्र भेज दिया कि प्रार्थी ने अपनी भूमि के मुआवजा की मांग की है। अतः अभिनिर्णय (एवार्ड) घोषित कर प्रति कर का भुगतान प्रार्थी को करने का कष्ट करे जबकि प्रार्थी की मांग शासन आदेश दिनांक 15.06.94 व शासन आदेश दि0 4128/9–आ–3–2000–20 एल.ए./92 आ व दि0 22.10.02 के अनुसार 55 प्रतिशत विकसित भूमि दिलाये जाने की है।

क्रमशः...2 पर

CM-313/8-3-11 46

प्रार्थी अनेकों बार पत्र के द्वारा प्राधिकरण से मांग कर चुका है परन्तु प्राधिकरण हर बार गलत विश्लेषण/गलत आख्या तय करता है और आम जन को शासन के प्रति भडकाने का काम करता है। जबकि प्राधिकरण पूर्व में भी अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 20.12.2006 को ग्राम मकनपुर की खसरा नं0 282 की भूमि को जो इसी प्रकार की है (जी0डी0ए0 बोर्ड बैठक की छाया प्रति में दर्शित) के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दी गई है। इसी प्रकार कनावनी गांव में बैंक सहयोगी आवास नीति को भी 50 प्रतिशत विकसित भूमि का लाभ दिया गया है। दोनों प्रकरणों की बोर्ड बैठक की छाया प्रति सलंग्न है प्रार्थी को 37 साल बाद अगर अवार्ड घोषित करवाकर प्रतिकर दिया जायेगा तो प्रार्थी को मानसिक आघात होगा तथा प्रार्थी के कोर्ट में जाने से प्राधिकरण के ऊपर भू अधिग्रहण की धारा 28ए के अन्तर्गत अतिरिक्त भार भी पडेगा और एक गलत परम्परा की शुरूआत होगी जिसमें पुनः 30/40 साल प्रार्थी को हक की प्राप्ति में लगाने पडेंगे तथा प्राधिकरणा को भी मुकदमें बाजी में अनावश्यक खर्चे वहन करने पडेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरणों का परीक्षण कराकर प्रार्थी को भी भूमि के बदले 50% विकसित भूमि दिलवाने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

राजवीर

राजवीर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह
मण्डल अध्यक्ष भा0कि0यू0, मेरठ।
निवासीः बी–9, लोहिया नगर, गाजियाबाद।
19-9-11

विशेष

1. G.D.A बोर्ड मिटिंग की फोटो कापी
2. विशेष सचिव लखनऊ द्वारा भेजा पत्र की कापी
3. २ जून को लखनऊ से किसान पंचायत से दिये पत्र की कापी

विषय : वैशाली योजना में ग्राम मकनपुर खसरा नम्बर–282 को अधिग्रहित एवं कब्जा शुदा भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा वैशाली योजना के विकास हेतु वर्ष 1986 में ग्राम मकनपुर की लगभग 454 एकड़ भूमि का अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव में खसरा नम्बर 282, 691, 692 ग्राम मकनपुर की भूमि को राजस्व अभिलेख में त्रुटि होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया, उक्त भूमि के अर्जन हेतु 1989 में पुनः अर्जन प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके भू–अर्जन अधिनियम–4 की अधिसूचना दिनाँक 29.09.89 को जारी होकर धारा 6/17 की अधिसूचना दिनाँक 16.02.90 को जारी हुई तथा भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 16.03.90 को प्राप्त किया गया। खसरा नं.–691 व 692 के भू–स्वामी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर विकास कार्य न करने का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। उक्त दोनों खसरा नम्बर वैशाली योजना को इन्दिरापुरम योजना से जोड़े जाने वाली सड़क में पड़ते हैं। सड़क का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने के कारण शासन के आदेश दिनाँक 15.06.1994 के क्रम में समस्त तथ्यों के परीक्षण उपरान्त खसरा नं.–691 व 692 क्षेत्रफल 4 एकड़ के बदले 3.5 एकड़ भूमि छोड़े जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 29.02.1996 के अनुमोदन उपरान्त शासन की अनापत्ति दिनाँक 13.05.96 के माध्यम से भू–स्वामियों के पक्ष में भूमि समायोजित कर दी गयी, जिस कारण उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरों की भूमि का अभिनिर्णय घोषित नहीं हुआ। खसरा नम्बर–282 के स्वामी श्री संजीव कुमार द्वारा भूमि के बदले भूमि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण इनकी भूमि वर्ष 1989 में ही उपयोग कर चुका है। श्री संजीव कुमार को उनकी कुल अर्जित भूमि की 50 प्रतिशत भूमि उपलब्धता के आधार पर बाह्य, आन्तरिक विकास शुल्क, लीज किराया व फ्री–होल्ड शुल्क प्राप्त कर समायोजित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनाँक 20.12.2006 को प्रेषित किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि भूमि का आवंटन/समायोजन प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ योजना (कोयल एन्कलेव) में किया जाये। प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–610/12/भू.अ./07 दिनाँक 09.01.07 के माध्यम से प्रार्थी को बोर्ड निर्णय से अवगत कराया जा चुका है। कोयल एन्कलेव योजना की भूमि अभी प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख कर पक्ष द्वारा अपने पत्र दिनाँक 27.05.10 के माध्यम से कोयल एन्कलेव के स्थान पर इन्दिरापुरम योजना में भूमि आवंटन की माँग की गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पक्ष की ग्राम मकनपुर की भूमि को वैशाली योजना हेतु प्रयुक्त किया गया अतैव उपलब्धता के आधार पर पक्ष की उक्त माँग पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में इन्दिरापुरम योजना में भूमि उपलब्ध नहीं है। भविष्य में भूमि की उपलब्धता के आधार पर कुल भूमि की 50 प्रतिशत भूमि नियमानुसार बाह्य विकास व्यय, आन्तरिक विकास व्यय, लीज रेन्ट व फ्री–होल्ड शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी को इन्दिरापुरम योजना में आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्याः 12

विषय : प्राधिकरण की मधुबन/बापूधाम योजना के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि अवस्थापना/सुविधाओं के अन्तर्गत आ जाने के कारण उक्त के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा मधुबन/बापूधाम योजना हेतु ग्राम सदरपुर की कुल 771.126 एकड़ भूमि का अर्जन कराया गया है जिसमें खसरा संख्या 691 कुल रकबा 4810 वर्ग मीटर में से 1560 वर्ग मीटर भूमि भी सम्मिलित है, काश्तकार श्री मंगल सिंह की अर्जित की गयी है जो कि उत्तर दिशा में पडती है।

प्राधिकरण द्वारा मधुबन/बापूधाम योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे है। अधिशासी अभियन्ता (प्रथम) द्वारा अवगत कराया गया कि काश्तकार, श्री मंगल सिंह द्वारा दुर्बल आय वर्ग हेतु बनाये जा रहे भवनों के साथ लगभग 10 मीटर चौडाई की भूमि जो सडक एवं भवनों के सैट बैक हेतु छोडी गयी है, को अपनी भूमि बताते हुए भवनों के प्लिन्थ प्रोटेक्शन एवं इन्सपैक्शन चैम्बर तथा सडक/इलैक्ट्रीकल डक्ट/नाली निर्माण का कार्य नही करने दिया जा रहा हैं।

अधिशासी अभियन्ता (प्रथम) के अनुरोध के क्रम में राजस्व विभाग के सहयोग से प्रश्नगत भूमि का सीमाकंन कराया गया। (जिसकी छायाप्रति संलग्न है।) जिसके अनुसार खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर भूमि प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत आ रही है, जो कि पश्चिम दिशा में है तथा अनार्जित हैं। जिसके कारण काश्तकार द्वारा स्थल पर अवस्थाना सुविधाओं के कार्य नही होने दिया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता (प्रथम) द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि भूमि विवाद के चलते योजना पर रू0 582.00 लाख व्यय होने के उपरान्त भी योजना का लाभ गरीबों को प्राप्त नही हो पा रहा हैं, यह कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 17.01.09 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनार्जित भूमि के उपयोग कर लेने के कारण सम्बन्धित भू–स्वामियों को 50 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि देने की व्यवस्था है। अतः प्राधिकरण हित में आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव है कि ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर भूमि के बदले 50 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि भू–स्वामी से नियमानुसार विकास शुल्क एवं फ्री–होल्ड चार्ज प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए साथ ही उक्त भूमि के पंजीकरण में होने वाला व्यय भी भू–स्वामी द्वारा वहन करने कि शर्त के साथ आवंटित कर दी जाये। प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

ज्ञानेन्द्र वर्मा
संयुक्त सचिव

नरेन्द्र कुमार
सचिव

श्रीमान जी

सचिव महोदय, गा0वि0प्रा0 के पत्र सं0 25/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 16.03.11 के क्रम में उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सख्या 2820/एस0टी0/एस0डी0एम0/गा0बाद/11 दिनांक 22.03.11 के अनुपालन में राजस्व ग्राम सदरपुर परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा नम्बर 691 की भूमि का स्थल पर सीमाकंन दिनांक 13.06.11 को कराया गया जिसका नजरी नक्शा निम्न प्रकार है:-

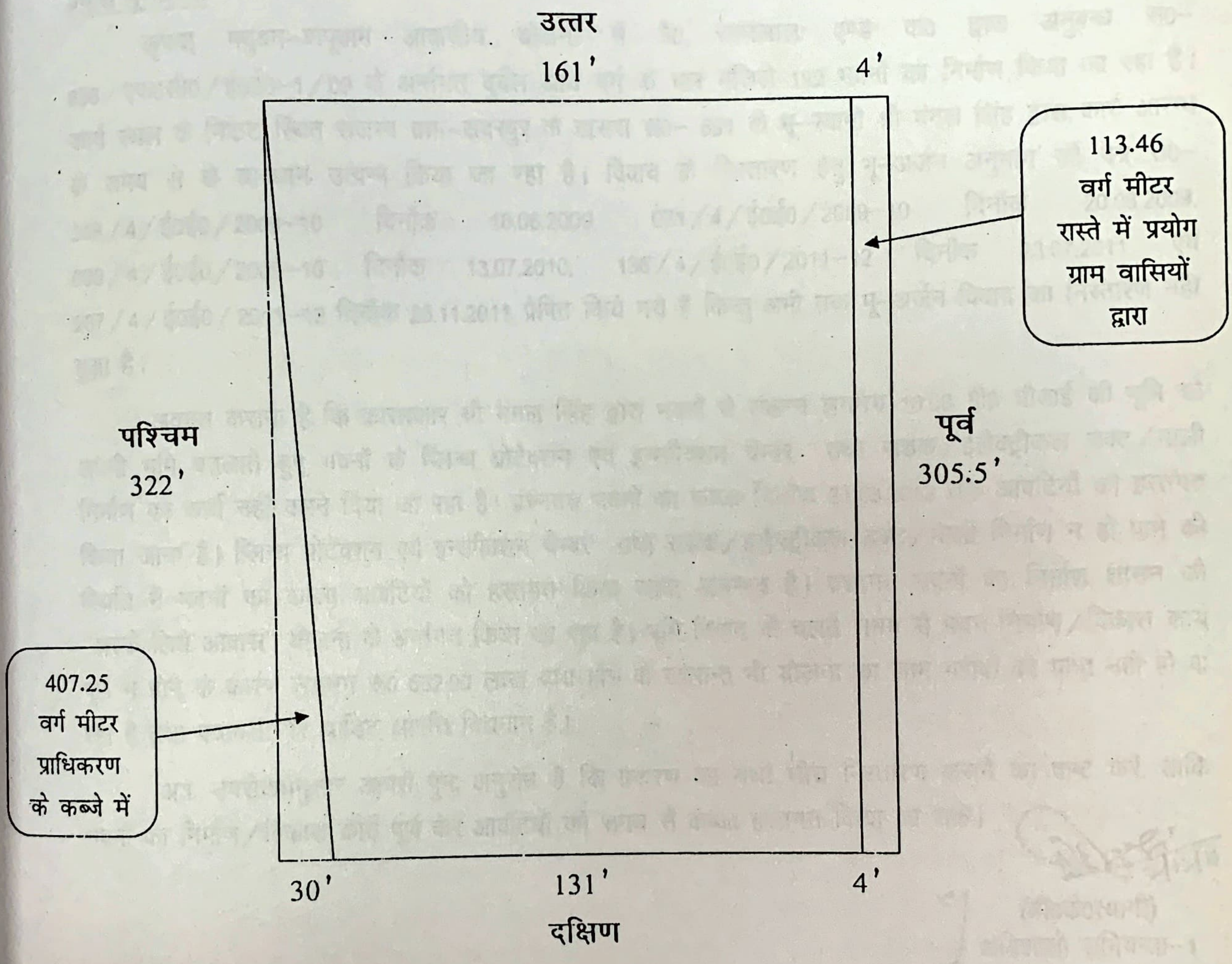

उपरोक्तानुसार भू-स्वामी श्री मंगल सिंह पुत्र अजीत सिंह द्वारा मौके के अनुसार 2767.04 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा मौके पर है तथा इसी खसरा संख्या में पूर्व दिशा में भू-स्वामी की भूमि पर 75.71 वर्ग मीटर भूमि ग्राम के रास्ते में प्रयोग की जा रही है। एवं इसी खसरा नम्बर में प्राधिकरण की भूमि के पूर्व दिशा में 37.75 वर्ग मीटर में ग्राम के रास्ते में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्राधिकरण की मौके पर 1522 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा हैं। इस खसरा संख्या की 407.25 वर्ग मीटर भूमि पश्चिम दिशा में प्राधिकरण द्वारा रोड के रूप में प्रयोग की जा रही है।

30/6/11 आनन्द स्वरुप शर्मा अमीन — नारायण अमीन — 30/6/11 आलोक कुमार लेखपाल — 30/6/11 महीपाल सिंह अमीन — 30/6/11 — 30/6/11

तहसीलदार
गाजियाबाद

pk letter doc

423 50

महत्वपूर्ण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

पत्रांकः ! -297 /4/ई0ई0–1/2011–12 दिनांक 03/12/11

प्रभारी भू–अर्जन

कृपया मधुबन–बापूधाम आवासीय योजना में मै0 रतनलाल एण्ड कं0 द्वारा अनुबन्ध सं0–696/एफ0सी0/ई0ई0–1/09 के अर्न्तगत दुर्बल आय वर्ग के चार मंजिले 192 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। कार्य स्थल के निकट स्थित राजस्व ग्राम–सदरपुर के खसरा सं0– 691 के भू–स्वामी श्री मंगल सिंह द्वारा कार्य आरम्भ के समय से से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। विवाद के निस्तारण हेतु भू–अर्जन अनुभाग को पत्र सं0–348/4/ई0ई0/2009–10 दिनाँक 16.06.2009, 071/4/ई0ई0/2009–10 दिनाँक 20.08.2009, 099/4/ई0ई0/2009–10 दिनाँक 13.07.2010, 136/4/ई0ई0/2011–12 दिनाँक 23.07.2011 एवं 287/4/ई0ई0/2011–12 दिनाँक 25.11.2011 प्रेषित किये गये हैं किन्तु अभी तक भू–अर्जन विवाद का निस्तारण नहीं हुआ है।

अवगत कराना है कि कास्तकार श्री मंगल सिंह द्वारा भवनों से संलग्न लगभग 10.00 मी0 चौडाई की भूमि को अपनी भूमि बतलाते हुए भवनों के प्लिन्थ प्रोटेक्शन एवं इन्सपैक्शन चैम्बर तथा सड़क/इलैक्ट्रीकल डक्ट/नाली निर्माण का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। प्रश्नगत भवनों का कब्जा दिनाँक 31.03.2012 तक आवंटियों को हस्तगत किया जाना है। प्लिन्थ प्रोटेक्शन एवं इन्सपैक्शन चैम्बर तथा सड़क/इलैक्ट्रीकल डक्ट/नाली निर्माण न हो पाने की स्थिति में भवनों का कब्जा आवंटियों को हस्तगत किया जाना असम्भव है। प्रश्नगत भवनों का निर्माण शासन की "सबके लिये आवास" योजना के अर्न्तगत किया जा रहा है। भूमि विवाद के चलते समय से भवन निर्माण/विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण लगभग रू0 582.00 लाख व्यय होने के उपरान्त भी योजना का लाभ गरीबों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा पत्रावली पर आडिट आपत्ति विद्यमान है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रकरण का यथा शीघ्र निस्तारण कराने का कष्ट करें, ताकि भवनों का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण कर आवंटियों को समय से कब्जा हस्तगत किया जा सके।

(डी0के0त्यागी)
अधिशासी अभियन्ता–1

पृष्ठांकन ! -297 /4/ई0ई0–1/2011–12 दिनाँक 03/12/11

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को प्रकरण के समयवद्ध निस्तारण हेतु भू–अर्जन अनुभाग को निर्देशित किये जाने हेतु निवेदित है।

(डी0के0त्यागी)
अधिशासी अभियन्ता–1

मद सं०– 13

विषय :– इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड–2 में हाईस्कूल भूखण्ड सं०–16 व हॉस्पीटल भूखण्ड पर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा यशोदा फाउन्डेशन (ट्रस्ट फॉर डवलपमेन्टल डिटरमिनेशन) को इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड–2 में हाईस्कूल निर्माण/संचालन हेतु 12661.52 वर्गमी० भूमि, आवंटन समिति की संस्तुति दिनाँक 04.06.02 पर प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 07.06.2002 के निर्णय के क्रम में दिनाँक 08.07.02 को योजना की आवासीय सैक्टर दर की 40 प्रतिशत दर रु० 1672.00 प्रति वर्गमी० पर आवंटित की गयी थी तथा अस्पताल निर्माण/संचालन हेतु 32303.35 वर्गमी० भूमि सील्ड बिड के माध्यम से दिनाँक 09.07.2003 को 30 वर्ष की लीज पर योजना की सैक्टर दर की 30 प्रतिशत दर रु० 755.00 प्रति वर्गमी० पर आवंटित की गयी थी। भूमि का कुल मूल्य तथा लीज किराया प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए हाईस्कूल भूखण्ड की संविदा विलेख दिनाँक 20.09.03 एवं हॉस्पीटल भूखण्ड की संविदा विलेख दिनाँक 09.07.2003 को निष्पादित करा दी गयी तथा आवंटी को स्थल पर भूखण्ड का कब्जा प्रदान करने हेतु अभिलेखीय कब्जा–पत्र हाईस्कूल भूखण्ड हेतु दिनाँक 27.09.03 व हॉस्पीटल भूखण्ड हेतु दिनाँक 03.10.03 को जारी कर दिया गया।

यशोदा फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा स्थल पर भूखण्ड का कब्जा अतिक्रमण होने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके क्रम में इनके द्वारा, प्राधिकरण को दिनाँक 14.09.03, 29.11.03 व 19.12.08 को प्रेषित पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए दिनाँक 21.06.2011 को पुनः पत्र प्रेषित करते हुए भूखण्डों पर से अवैध कब्जा हटाते हुए भूखण्डों का कब्जा प्रदान किये जाने की माँग की गयी। यशोदा फाउन्डेशन के पत्र के क्रम में अभियन्त्रण खण्ड–2 द्वारा अपनी आख्या दिनाँक 19.09.2011 में सूचित किया गया कि "उक्त भूखण्डों के कुछ भाग पर अतिक्रमण है तथा अभियन्त्रण खण्ड में इन भूखण्डों के स्थलीय कब्जे से सम्बन्धित कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए आवंटी को भूखण्डों का स्थलीय कब्जा प्रदान किया जा सकता है।" अभियन्त्रण खण्ड की आख्या के क्रम में इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड–2 में यशोदा फाउन्डेशन को आवंटित भूखण्डों पर अतिक्रमण हटाते हुए पक्ष को भौतिक कब्जा दिये जाने के आदेश दिनाँक 29.09.2011 को उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गये, जिसके क्रम में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा स्थल पर अतिक्रमण हटाने हेतु तिथि निर्धारित करके पुलिस फोर्स तथा नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के साथ भूखण्डों में बनायी गयी झुग्गियों को हटाकर यशोदा फाउन्डेशन को स्थल पर उक्त दोनों भूखण्डों का कब्जा दिनाँक 15.12.2011 (छायाप्रति संलग्न) को प्रदान कर दिया गया।

वेद कुमार त्यागी
प्रथम श्रेणी लिपिक

पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी०डी०ए०

(पी० एन० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी मुख्य अधि०

करेन्द्र कुमार
सचिव

शासनादेश सं॰–5068/9–आ–1–भूखण्ड (आ॰ब॰)/2001 दिनाँक 14.02.2001 (छायाप्रति संलग्न) में लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु रजिस्ट्रेशन की तिथि से 5 वर्ष का समय अनुमन्य किया गया है तथा 5 वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के वर्तमान मूल्य पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सरचार्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है। विलेख की तिथि से 10 वर्षों के अन्दर निर्माण पूर्ण न किये जाने पर शासनादेश में भूखण्ड को निरस्त करते हुए भूखण्ड में पुनः प्रवेश का प्राविधान अंकित है। प्राधिकरण द्वारा यशोदा फाउन्डेशन को इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड–2 में हाईस्कूल भूखण्ड की संविदा विलेख दिनाँक 20.09.03 तथा हॉस्पीटल भूखण्ड की संविदा विलेख दिनाँक 09.07.03 को 30 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित की गयी थी, जिसके क्रम में इन भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु अवधि क्रमशः दिनाँक 19.09.08 व 08.07.08 तक थी। उक्त अवधि के उपरान्त 5 वर्षों तक हाईस्कूल भूखण्ड हेतु दिनाँक 19.09.13 तथा हॉस्पीटल भूखण्ड हेतु दिनाँक 08.07.13 तक निर्माण अवधि नियमानुसार अनिर्माण शुल्क लेकर बढ़ायी जा सकती है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्डों पर अवैध कब्जे को हटाये जाने हेतु दिनाँक 14.09.03, 29.11.03, 19.12.08 व 21.06.11 (छायाप्रति संलग्न) को किये गये अनुरोध के क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्डों का स्थल से अवैध कब्जा हटाकर आवंटी को भूखण्ड का स्थलीय कब्जा दिनाँक 15.12.11 को प्रदान किया गया। स्थलीय कब्जा से पूर्व भूखण्ड पर निर्माण किया जाना सम्भव नहीं था। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यशोदा फाउन्डेशन को आवंटित इन्दिरापुरम योजना शक्तिखण्ड–2 स्थित हाईस्कूल तथा हॉस्पीटल भूखण्डों पर इनके संविदा विलेख की तिथि से 10 वर्ष की अवधि क्रमशः दिनाँक 19.09.13 एवं 08.07.13 तक बिना अनिर्माण शुल्क लिये निर्माण हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

देव कुमार त्यागी
प्रथम श्रेणी लिपिक

पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी॰डी॰ए॰

(पी॰ एस॰ चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी ......

हरिन्द्र कुमार
सचिव

(17) 53

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक सं० 153/स्था० अनु०/03 दिनांक 03.10.03

अधिकार परिवर्तन प्रपत्र

योजना का नाम.........इन्दिरापुरम आवासीय योजना..

प्लाट संख्या	प्लाट की नाप	क्षेत्रफल वर्ग गज/वर्ग मीटर	विशेष विवरण
ग्रुप हाउसिंग प्लाट SK-II	उत्तर.......172.60 मी०....... दक्षिण.......191.00 मी०....... पूरब.......177.70 मी०....... पश्चिम.......177.70............	32303.35 व०मी०	

मैनें उपरोक्त प्लाट का अधिकार आज दिनांक..15/12/.............को ....2 ~.....................बजे मध्यान्ह पूर्व/पश्चात प्राप्त कर लिया है। प्लाट की पूर्ण पट्टे में दर्शायी गई/नाप मेरे सामने की गई है, जिससे मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूं।

अधिकार दिया गया
[signature] 15/12/11
(अधिकार प्रदान कर्ता के हस्ताक्षर)

तथा पद

[signature]
15/12/11
अधिकार प्राप्त किया
(अधिकार प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर)

नाम..पी०एन० अरोड़ा.........

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से

नाम यशोदा फाउंडेशन द्वारा
पी०एन० अरोड़ा ट्रस्टी

दिनांक

पता 113 गांधी नगर, गाजियाबाद

दिनांक

मेरे समक्ष अधिकार प्राप्त किया...

गवाह...

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/संयुक्त सचिव प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

दिनांक...................................अवर अभियन्ता।

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

16

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

54

पत्रांक : 1091/ला० अनु०/03 वि०प्रा०गा० दिनांक

अधिकार परिवर्तन प्रपत्र

योजना का नाम....इन्दिरापुरम आवासीय योजना....

प्लाट संख्या	प्लाट की नाप	क्षेत्रफल वर्ग गज/वर्ग मीटर	विशेष विवरण
हाउसकूल भूखण्ड SK-II	उत्तर....71.50 मी०.... दक्षिण....71.50 मी०.... पूरब....177.20 मी०.... पश्चिम....176.98 मी०....	12661.52	

मैनें उपरोक्त प्लाट का अधिकार आज दिनांक....15/12/11....को ....2.00....बजे मध्यान्ह पूर्व/पश्चात प्राप्त कर लिया है। प्लाट की पूर्ण पट्टे में दर्शायी गई/नाप मेरे सामने की गई है, जिससे मैं पूर्णतः सन्तुष्ट हूं।

15/12/11

अधिकार दिया गया 15/12/11 | अधिकार प्राप्त किया

(अधिकार प्रदान कर्ता के हस्ताक्षर) | (अधिकार प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर)

तथा पद | नाम....पी० एन० आजाद....

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से | नाम यशोदा फाउंडेशन, द्वारा पी० एन० आजाद ट्रस्टी

दिनांक | पता 113, गांधी नगर ...

दिनांक

मेरे समक्ष अधिकार प्राप्त किया....

गवाह....

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता/संयुक्त सचिव प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

दिनांक....अवर अभियन्ता।

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

संख्या 5068/६–आ–१–भूखण्ड(आ०वि०)

प्रेषक

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

१. आवास आयुक्त,
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

२. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

३. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–१

लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी २००१

विषय लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय

शासनादेश–संख्या ६७६५/११–५–८७–नि०/८६ दिनांक २३.१०.१९८६ में किए गए प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई है :–

१. रजिस्ट्रेशन की तिथि से ५ वर्ष का समय भवन निर्माण करने के लिए अनुमन्य होगा,

२. ५ वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के मूल्य पर २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से [illegible] बढ़ाया जा सकता है,

३. भूखण्ड का मूल्य ततसमय प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा।

४. १० वर्ष तक कोई निर्माण न किये जाने की दशा में भूखण्ड की लीज निरस्त कर दी जायेगी।

२. उक्त शासनादेश में निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

(i) छोटे एकल आवासीय भूखण्ड पर एक कमरा, रसोई घर बाथरूम, तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

(ii) बड़े एकल आवासीय भूखण्ड पर यदि दो कमरे, रसोई घर बाथरूम, तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

उक्त शासनादेश में बड़े भूखण्ड जिन्हें ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु लीज पर दिया गया हो, के सम्बन्ध में निर्माण को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इस श्रेणी के भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है –

भवन की श्रेणी	किये गये निर्माण की स्थिति
१. ग्रुप हाउसिंग	अनुमन्य तल क्षेत्र का २५ प्रतिशत
२. संस्थागत	अनुमन्य तल क्षेत्र का २५ प्रतिशत
३. व्यवसायिक	अनुमन्य तल क्षेत्र का ५० प्रतिशत

यदि उक्त सीमा तक निर्माण कर लिया जाता है तो सम्बन्धित भूखण्ड को अधिनियम [illegible] ...१. की उप धारा-४ के प्राविधान से छूट दी जायेगी।

(अतुल कुमार गु[illegible])

5068

संख्या (१)/६-आ-१-भूखण्ड(आ०ब०)/२००१ तद्दिनांक 15/3/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१ आवास विभाग के समस्त अनुभागों को।

२ आवास निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

(संजय भूसरेड्डी)
विशेष [illegible]

(1) CA/[illegible]

(2) SE

(3) UJD (M.M.)

(4) CSO (N)

(5) [illegible]

(6) JS-(P)

(7) JS-(L)

(8) [illegible]

56

"यशोदा फाउन्डेशन"
ट्रस्ट फार डवलपमैन्टल डिटरमींनेशन

113, गाँधी नगर, गाजियाबाद ।
फोन : 91-2752168, 2781153

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

विषय – अस्पताल व शिक्षण संस्था के लिये आवंटित भूमि (इन्दिरापुरम) के कब्जे के लिये प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

संस्था को इन्दिरापुरम में अस्पताल हेतु व शिक्षण संस्था हेतु भूखण्ड आवंटित है परंतु उक्त भूमि पर किसानो व असामाजिक तत्वों का कब्जा पाया गया जिनका कहना है कि उक्त भूमि प्राधिकरण की नही है ।

अतः महोदय जी निवेदन है कि उक्त भूमि को किसानो व असामाजिक तत्वो से मुक्त करवाकर संस्था को कब्जा दिलाने की कृपा करें ।

EE (Com.) / AE (enf.)
कृ. अवैध कब्जा हटवाकर आवंटी संस्था को नियमानुसार कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें
[signature]
14/9/03
Sachiv

[signature]
ट्रस्टी

"यशोदा फाउन्डेशन" 57

ट्रस्ट फार डवलपमैन्टल डिटरमीनेशन

113, गाँधी नगर, गाजियाबाद ।
फोन : 91-2752168, 2781153

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव / व्यवसायिक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय इंदिरा पुरम योजना में अस्पताल एवं शिक्षण संस्था के लिये आवंटित भूमि के कब्जे एवं 30-11-03 नवम्बर को देय किश्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

सामाजिक कार्यों में अग्रसित यशोदा फाउन्डेशन इंदिरा पुरम योजना में 8 एकड़ भूमि अस्पताल हेतु एवं 3 एकड़ भूमि शिक्षण संस्था हेतु आवंटित है जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है कब्जे हेतु मौके पर गये तो उक्त भूमि किसानों के कब्जे में पायी गई, किसानों का कहना है कि उक्त भूमि प्राधिकरण की नहीं है, किसानों की है। समझाने बुझाने पर वे लोग लड़ने पर उतारू हो गये।

महोदय हमारी यह संस्था गाजियाबाद में विभिन्न सामाजिक कार्यों एवं धर्मार्थ कार्यों में लगी रहती है।

1. उक्त भूमि का प्राधिकरण द्वारा लगभग 3½ वर्ष पहले आवंटन किया गया है।
2. सभी किस्तों का भुगतान नियमानुसार किया जाता रहा है।
3. कई बार कस्टडी के लिए प्राधिकरण से प्रार्थना की गई है किन्तु कस्टडी नहीं हो पायी, अनाधिकृत कब्जे के कारण।
4. संस्था का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे संस्था को वित्तीय हानि भी हो रही है।
5. 30-11-03 को Due किश्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण नया Payment Schedule वांछित है, कृपया कर नया Payment Schedule मंगवाने का कष्ट करें तथा ड्राफ्ट नं: 587726 State Bank of India रुपये 1,40,000/- और ड्राफ्ट नं 623598 P.N.B रुपये 28,10,000/- (कुल 29,10,000/-) रुपये उनतीस लाख दस हजार रुपये को ड्राफ्ट संलग्न है।

आप से अनुरोध है कि असामाजिक तत्वों से भूमि को मुक्त करा कर कब्जा दिलाने की कृपा करें।

ह०

ट्रस्टी

"यशोदा फाउन्डेशन"
ट्रस्ट फार डवलपमैन्टल डिटरमीनेशन

113, गाँधी नगर, गाजियाबाद ।
फोन : 91-2752168, 2781153

दिनांक 19/12/2008

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

विषय - इन्दिरापुरम योजना में अस्पताल व शिक्षण संस्था के लिये आवंटित भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सामाजिक कार्यों में अग्रसित यशोदा फाउन्डेशन को इन्दिरापुरम योजना में 4 एकड व 3 एकड भूमि क्रमशः अस्पताल एवं शिक्षण संस्था हेतु आवंटित की गयी है जिसकी रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात भी कब्जा नही मिल पा रहा है उक्त भूमि किसानो के कब्जे में है तथा समझाने पर वे लोग लडने पर उतारू हो जाते है, किसानो का कहना है कि भूमि प्राधिकरण की नही है।

इस सन्दर्भ में हमारे पत्र दिनाँक 21/12/07 द्वारा संस्था ने उक्त भूमि को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराकर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गयी थी।

महोदय हमारी संस्था गाजियाबाद में विभिन्न सामाजिक कार्यों व धार्मिक कार्यों में लगी हुई है।

उक्त भूमि का प्राधिकरण द्वारा आवंटन करने के पश्चात सभी किस्तों का भुगतान नियमानुसार किया गया है परंतु कब्जा न मिल पाने के कारण निर्माण कार्य शुरू नही हो पाया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त भूमि को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराकर कब्जा दिलाने की कृपा करें।

(Margin note: Ex. Engr. ... नियमानुसार ... भुगतान ... कब्जा ...)

ट्रस्टी

19/12

"यशोदा फाउन्डेशन"

ट्रस्ट फार डवलपमैन्टल डिटरमीनेशन

113, गांधी नगर, गाजियाबाद।
फोन : 91-2752168, 2781153

दिनांक :- 21.06.2011

सेवा में

अध्यक्ष / सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

विषय :- इन्दिरापुरम में शक्तिखंड-II में आवंटित भूखंड संख्या-02 पर अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में

महोदय

सविनय निवेदन है कि इन्दिरापुरम में अस्पताल एवं शिक्षण संस्था हेतु संस्था को भूखंड आवंटित किया गया था किंतु उक्त भूमि असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा किया है। पूर्व में समय-समय पर प्राधिकरण से संस्था द्वारा पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि उक्त भूखंड से अनाधिकृत कब्जे को हटाकर संस्था को कब्जा दिलाया जाए। आपके संज्ञान में पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्रों [illegible] कर रहे हैं।

संस्था को कब्जा न मिलने से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है जिस कारण संस्था को वित्तीय हानि हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर विशेष ध्यान देते हुए इस समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त आदेश देकर शीघ्र अतिशीघ्र कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें।

आपकी अति कृपा होगी।

[illegible signature]

FC
22.06.11

E.E. (C)
22/06/11

AE/CC
22.6.11

22.6

मद सं०– 12

विषय : अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण में प्रचलित टू बिड सिस्टम के अनुसार विक्रीत सम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में प्रचलित टू बिड सिस्टम के अधीन निस्तारित अनावासीय सम्पत्तियों के विवरण से मा० बोर्ड को अवगत कराने हेतु शासन के पत्र संख्या 2989/आठ–6–11–27एक्यू/11 दिनाँक 15.11.2011 (संलग्नक–1) के क्रम में वस्तुस्थिति की आख्या निम्नानुसार है :–

प्राधिकरण में प्रचलित नीलामी की प्रकिया में मात्र आर्थिक पहलू ही प्रभावी था जिसमें कोई भी व्यक्ति/फर्म निर्धारित धरोहर राशि जमा कराकर बोली बोलने का अधिकार प्राप्त कर लेता था। बोलीदाता कई बार अपनी अन्य सम्पत्तियों (आसपास के क्षेत्र में) की मूल्य वृद्धि करने के उद्देश्य से अधिक बोली बोलते थे जो कि बाजार मूल्य से काफी अधिक होती थी। भूखण्ड आवंटन के पश्चात उनके द्वारा देय धनराशि जमा नहीं कराकर अपनी जमा धनराशि कटौती उपरान्त वापिस करा ली जाती थी अथवा भूखण्ड की देयता के विरुद्ध आंशिक धनराशि ही जमा करायी जाती थी एवं भूखण्ड का कब्जा आदि प्राप्त नहीं किया जाता था जिसके कारण से प्राधिकरण की योजनाओं में जन सुविधायें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। उक्त के दृष्टिगत भूखण्ड क्रय किये जाने वाले बिल्डर्स/केता के सम्बन्धित सम्पत्ति को क्रय करने एवं उक्त परियोजना को क्रियान्वित किये जाने की वित्तीय क्षमता एवं आवश्यक वांछित अनुभव रखने की जानकारी भूखण्ड को विक्रय किये जाने से पूर्व ही प्राप्त करना आवश्यक था। उक्त के आलोक में भूखण्ड निस्तारण की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करते हुए नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा अथोरिटी की भाँति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों (व्यावसायिक, गुप हाउसिंग, मल्टीप्लैक्स, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, बैंकट हॉल, पैट्रोल पम्प, नर्सिंग होम आदि) के निस्तारण हेतु टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 119वीं बैठक दिनॉक 05.09.09 को मद संख्या–14 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड निर्णय के कम में पत्र संख्या 351/व्याव०अनु/09 दिनाँक 14.10.09 द्वारा प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष विचारार्थ प्रेषित किया गया। शासन द्वारा पत्र संख्या 1266/आठ–1–2010–01 जीडीए/10 दिनाँक 23.04.2010 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पूर्व में शासन द्वारा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त शासनादेश संख्या 378/9–आ–1–सम्पत्तियाँ/आ.ब./2001 दिनाँक 26.06.01 जारी किये गये, जिसमें निर्देश दिये गये कि **"यदि किसी बिन्दु पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण किसी विशेष व्यवस्था/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार का बिन्दु अभिकरण के बोर्ड के**

पंकज कुमार शुक्ला अनुराग चौधरी (पी० एस० चौधरी)
अवर अभियन्ता सहायक अभियन्ता वित्त नियंत्रक/प्रभारी व्यवसाय
जी०डी०ए०

नरेन्द्र कुमार
सचिव

अनुमोदन उपरान्त लागू कर शासन को भी सूचित कर दिया जाये।" उक्त शासनादेश के प्राविधानों तथा प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में अप्रैल 2010 की समीक्षा बैठक में शासन स्तर पर हुए विचार–विमर्श में दिये गये मार्गदर्शन के कम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसे प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में शासन को पत्र संख्या 98/व्याव.अनु./10 दिनाँक 20.05.2010 (संलग्नक–2) द्वारा सूचित करते हुए उक्त प्रकिया में भूखण्ड के निस्तारण की कार्यवाही शुरु कर दी गयी जिसमें सर्वप्रथम दिनाँक 22.06.2010 को भूखण्डों की निविदायें आमंत्रित की गयीं तथा प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 02.07.2010 में मद सं.–4 पर उक्त की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी गयी एवं तद्दिनाँक से अब तक व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लैक्स, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, बैंकट हॉल, पैट्रोल पम्प, नर्सिंग होम आदि भूखण्डों का निस्तारण टू बिड सिस्टम से किया जा रहा है।

प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के उपरान्त भूखण्ड की प्राप्त दरें एवं इस प्रकिया से पूर्व विगत 3 वर्षों में भूखण्ड की प्राप्त दरों के विवरण की तुलनात्मक सूचना निम्नानुसार है :–

टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के तीन वर्ष पूर्व नीलामी में विकय की गयी सम्पत्तियों की विकय दरों का विवरण

क.	योजना का नाम	सम्पत्ति का विवरण	नीलामी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्गमी.)	आरक्षित दर (रु. प्रति वर्गमी.)	विकय दर (रु. प्रति वर्गमी.)	आरक्षित दर के सापेक्ष प्राप्त विकय दर (% उच्च)	अभ्युक्ति
1	वैशाली सै.–3	पैट्रोल पम्प भूखण्ड	01.11.07	1000	24000	50000	108.33	भूखण्ड कॉर्नर का है तथा 80 फुट चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित है।
2	वैशाली सै.–6	नर्सिंग होम भूखण्ड एन.एच.–1	05.09.07	1241	15000	29050	93.67	–
3	इन्दिरापुरम न्यायखण्ड–1	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.एच.–I	17.10.07	4481	23300	39750	70.60	–
4	प्रताप विहार	क्लब भूखण्ड	26.02.08	3497	12100	12500	3.31	–
5	तुलसी निकेतन	व्याव. भूखण्ड सं.–सी.–1	09.01.08	1230	13200	13600	3.03	–
6	इन्दिरापुरम शक्तिखण्ड –4	व्याव. भूखण्ड सं.–729/1	10.06.08	687	62000	74600	20.32	भूखण्ड के आवंटी द्वारा रु. 21.50 लाख फॉरफिट कराते हुए अपनी

पंकज कुमार शुक्ला अवर अभियन्ता । अनुराग चौधरी सहायक अभियन्ता बी.बी.ए. । (पी. एस. चौधरी) वित्त नियंत्रक/प्रभारी ....वि. । कोठेन्द्र कुमार सचिव

								जमा धनराशि वापिस प्राप्त कर ली।
7	स्वर्णजयन्ती पुरम डी. –ब्लॉक	कन्वीनियेन्ट शॉपिंग भूखण्ड सं.–सी.एस.–1	10.06.08	1200	18668	20300	8.74	–
8	राजनगर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर ए–ब्लॉक	व्याव॰ भूखण्ड सं.–ए–21	04.12.09	952	23760	68500	188.30	–

टू बिड सिस्टम के माध्यम से विकय की गयी सम्पत्ति की दरों का विवरण

क.	योजना का नाम	सम्पत्ति का विवरण	नीलामी की तिथि	क्षेत्रफल (वर्गमी.)	आरक्षित दर (रु. प्रति वर्गमी.)	विकय दर (रु. प्रति वर्गमी.)	आरक्षित दर के सापेक्ष प्राप्त विकय दर (% उच्च)	अभ्युक्ति
1	राजनगर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर ए–ब्लॉक	ए1 से ए4 मल्टीप्लैक्स कम कॉमर्शियल भूखण्ड	22.06.10	4000	33000	54200	64.24	भूखण्ड के पूर्व आवंटी मै. विक्ट्री ड्युरोबिल्ड प्रा. लि. द्वारा आर्थिक मन्दी का उल्लेख करते हुए भूखण्ड का समर्पण करके रु. 6. 15 करोड़ फॉरफिट करा लिये गये। पुनः विभिन्न समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर दिनाँक 04.12.09 को खुली नीलामी में उच्चतम बोली रु. 44,500.00 प्रति वर्गमी. प्राप्त हुई जो कि अस्वीकृत कर दी गयी।
2	कौशाम्बी	बैंकट हॉल /कॉन्फ्रेन्स हॉल/इसी प्रकार की सुविधायें हेतु भूखण्ड	22.06.10	711	32000	51100	59.69	–
3	कौशाम्बी	व्याव. भूखण्ड–1	22.06.10	498	35200	104250	196.16	–
4	कौशाम्बी	व्याव. भूखण्ड–2	22.06.10	498	32000	85000	165.63	–
5	इन्दिरा पुरम शक्ति खण्ड –4	व्याव. भूखण्ड–ए स.के.–4/ 729/1	13.09.10	700	33000	52800	60.00	भूखण्ड के पूर्व आवंटी द्वारा सम्भवतः आर्थिक मन्दी के कारण भूखण्ड का समर्पण करते हुए रु. 21.50 लाख की धनराशि फॉरफिट करा ली गयी। उक्त भूखण्ड हेतु पुनः विभिन्न समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर दिनाँक 22.06.10 एवं 19.08.10 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं, जिसमें दिनाँक 22.06.10 को भूखण्ड हेतु कोई भी

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी.डी.ए.

(पी. एस. चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी

								निविदा प्राप्त नहीं हुई जबकि दिनाँक 19.08.10 को रु. 51200.00 प्रति वर्गमी. की दर प्राप्त हुई जो कि अस्वीकृत कर दी गयी।
6	इन्दिरा पुरम अहिंसा खण्ड–2	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.एच.–11	18.11.10	12000	22500	30570	35.87	भूखण्ड से सम्बन्धित भूमि पूर्व में अनाधिकृत कब्जे में थी तथा प्राधिकरण के स्वीकृत ले–आउट में उक्त भूमि नियोजित नहीं थी। प्राधिकरण द्वारा यह भूमि खाली कराकर इस पर भूखण्ड नियोजित किये गये। भूमि पर पूर्व कब्जेदारों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में वाद योजित किये गये थे। मा. उच्च न्यायालय से उक्त वाद को प्रभावी पैरवी करते हुए निस्तारित कराया गया एवं तदोपरान्त पूर्व कब्जेदारों द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्पेशल लीव पिटीशन भी दाखिल की गयी जिसको प्राधिकरण द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए खरिज कराया गया। मा. न्यायालयों में भूमि से सम्बन्धित वाद योजित होने तथा प्रश्नगत भूखण्ड रेगुलर शेप का न होने के कारण भूखण्ड को कय किये जाने में आवेदकों द्वारा अधिक रुचि नहीं ली गयी।
7	कौशाम्बी	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	13.12.10	3136	24000	25500	6.25	योजना के स्वीकृत ले–आउट में उक्त भूखण्ड पूर्व में नियोजित नहीं था। यह भूमि ग्राम भोवापुर के अत्यन्त समीप स्थित है, जिस पर साइट एन्ड सर्विसिज के छोटे–छोटे भूखण्ड नियोजित किये गये थे। इस भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ था। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा खाली कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनाँक 19.08.10 को प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं। निविदा में किसी के भी द्वारा

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी.डी.ए.

पंकज कुमार
अवर अभियन्ता

(पी. एस. चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी

सचिव

								प्रतिभाग न किये जाने पर पुनः विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनाँक 18.11.10 को भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं। दिनाँक 18.11.10 को भूखण्ड हेतु प्राप्त निविदायें तकनीकी रुप से अर्ह न पाये जाने पर निरस्त कर दी गयीं। व्यापक प्रचार–प्रसार उपरान्त तीसरी बार किये गये प्रयास में प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 13.12.10 को भूखण्ड विक्रय किया गया, जिसका दिनाँक 26.05.2011 को अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराकर दिनाँक 06.06.2011 को अभिलेखीय कब्जा आवंटी को प्रदान कर दिया गया किन्तु स्थल पर उक्त भूखण्ड की भूमि में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अपने आवासीय पट्‌टे होने की शिकायत मा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की गयी, जिसके कम में राजस्व विभाग द्वारा जाँच भी की गयी है। मा. आयोग में प्रकरण अभी तक अनिस्तारित है तथा आवंटी अभी तक भूखण्ड का स्थलीय कब्जा प्राप्त नहीं कर पाये हैं।
8	इन्दिरा पुरम अहिंसा खण्ड–2	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.एच.–9	08.02.11	2787	22500	30670	36.31	भूखण्ड से सम्बन्धित भूमि पूर्व में अनाधिकृत कब्जे में थी तथा प्राधिकरण के स्वीकृत ले–आउट में उक्त भूमि अंकित नहीं थी। प्राधिकरण द्वारा यह भूमि खाली कराकर इस पर भूखण्ड नियोजित किये गये। भूमि पर पूर्व भू–स्वामियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में वाद योजित किये गये थे। मा. उच्च न्यायालय से उक्त वाद को प्रभावी पैरवी करते हुए निस्तारित कराया गया तथा पूर्व भू–स्वामियों द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्पेशल लीव पिटीशन भी

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी०डी०ए०

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी

सचिव

								दाखिल की गयी जिसको प्राधिकरण द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए खरिज कराया गया। मा॰ न्यायालयों में भूमि से सम्बन्धित वाद योजित होने तथा प्रश्नगत भूखण्ड रेगुलर शेप का न होने के कारण भूखण्ड को कय किये जाने में आवेदकों द्वारा अधिक रुचि नहीं ली गयी।
9	वैशाली सैक्टर –4	10 मंजिला कोसी टावर	11.05.11	2525	Rs. 18.44 Crore	Rs. 18.59 Crore	0.81	पूर्व में कोसी टावर को रु॰ 4.53 करोड़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार को वर्श 1998 में विकय किया गया था। उनके द्वारा रु॰ 3.76 करोड़ प्राधिकरण कोष में जमा कराये गये। यदि पी.डब्लू.डी. दिल्ली सरकार कोसी टावर को स्वीकार करता तो अवशेष धनराशि जोड़कर कुल रु॰ 7.70 करोड़ ही प्राधिकरण को प्राप्त होते। इसकी तुलना में कोसी टावर रु॰ 18.59 करोड़ में विकय किया गया। लगातार क्षरण होने के कारण स्थल पर टावर जर्जर तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसके पुनरोद्धार में अत्यधिक व्यय होना सम्भावित था। टावर के आवंटी द्वारा पूर्व में निर्मित टावर को पूर्ण रुप से ध्वस्त किया जा रहा है। इस प्रकार केता को रु॰ 18.59 करोड़ में मात्र 2525.90 वर्गमी॰ का ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड ही स्थल पर प्राप्त हुआ है।
10	इन्दिरा पुरम विस्तार योजना	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.एच.–1	20.05.11	7600	22500	30750	36.67	प्रश्नगत भूखण्ड से सम्बन्धित क्षेत्र नया है। भूखण्ड से सम्बन्धित भूमि बैंक सहयोग सहकारी आवास समिति लि॰ की भूमि के समायोजन के उपरान्त प्राप्त हुई थी। योजना में प्राधिकरण द्वारा अभी कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है तथा अभी कोई आबादी नहीं है। विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए दिनांक 28.03.11 को

पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी०डी०ए०

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी [illegible]

नरेन्द्र कुमार
सचिव

								भूखण्ड की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, किन्तु कोई रेस्पोन्स प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से पुनः दिनांक 07.04.2011 को निविदा आमंत्रित की गयीं। पुनः रेस्पोन्स न आने पर दिनाँक 19.04.2011 को भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें भूखण्ड हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात पुनः विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनाँक 20.05.11 को आमंत्रित की गयी निविदा में भूखण्ड विक्रय किया गया।
11	वैशाली सैक्टर–4	शॉपिंग भूखण्ड (निकट मैट्रो स्टेशन)	20.05.11	3800	33000	35050	6.21	भूखण्ड के कॉर्नर में हाईटैंशन लाइन का पिलर स्थित है जिसमें अत्यन्त हाई वोल्टेज की विद्युत लाइन गुजर रही है। भूखण्ड मुख्य मार्ग से दूर अन्दर की ओर 10 मंजिला टावर के मध्य 40 फुट रोड पर स्थित है तथा भूखण्ड पर एफ.ए.आर मात्र 1.20 ही अनुमन्य है। विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए दिनांक 28.03.11 को भूखण्ड की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, किन्तु कोई रेस्पोन्स प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से पुनः दिनांक 07.04.2011 को निविदा आमंत्रित की गयीं। पुनः रेस्पोन्स न आने पर दिनाँक 19.04.2011 को भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें भूखण्ड हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात पुनः विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनाँक 20.05.11 को आमंत्रित की गयी निविदा में भूखण्ड विक्रय किया गया।

पंकज कुमार शुक्ला
[illegible] अभियन्ता

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी०डी०ए०

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी [illegible]

[illegible] कुमार
[illegible]

12	वैशाली सैक्टर–4	10 मंजिला भागीरथी टावर	21.06.11	2000	Rs. 15.66 Crore	Rs. 15.81 Crore	0.96	पूर्व में प्राधिकरण द्वारा यह टावर दिनाँक 27.01.07 को इसके सन्निकट स्थित तीन अन्य टावरों के साथ एक साथ विक्रय किया गया। तत्आवंटी द्वारा टावर का समर्पण करने का अनुरोध किया गया, जिसके कम में भागीरथी टावर की रु. 10.15 करोड़ धनराशि रिफन्ड हेतु आगणित कर वापिस की जा चुकी है। लगातार क्षरण होने के कारण स्थल पर टावर जर्जर तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिसके पुनरोद्धार में अत्यधिक व्यय होने की सम्भावना है तथा पूर्ण रुप से ध्वस्त करने की स्थिति में निर्माण सामग्री का केवल मलवा ही शेष बचेगा और इस दशा में केता को रु. 15.81 करोड़ में मात्र 2000.00 वर्गमी. का ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड ही प्राप्त होगा।
13	वैशाली सैक्टर–1	आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड	20.10.11	25500	30000	40300	34.33	भूखण्ड से सम्बन्धित भूमि पी.ए.सी. के कब्जे से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी। इस भूमि के दो कार्यालय भूखण्ड क्षेत्रफल क्रमशः 11707.00 एवं 13735.00 वर्ग मी0 को रु0 22500.00 प्रति वर्ग मी0 की आरक्षित दर पर निस्तारित किये जाने हेतु विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनांक 10.08.10 को भूखण्डों की निविदाएं आमन्त्रित की गई। उचित रेस्पोन्स न आने पर पुनः दिनांक 19.08.10 को निविदायें आमंत्रित की गयी। दिनाँक 19.08.10 को भूखण्डों हेतु कोई भी निविदा प्राप्त न होने पर पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए दिनांक 13.09.10 को भूखण्डों की निविदाएं आमन्त्रित की गई जिसमें कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात पुनः समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर

अनुराग चौधरी सहायक अभियन्ता जी०डी०ए०

(पं० एस० चौधरी) वित्त नियंत्रक/प्रभारी

सचिव

								उक्त भूखण्डों की निविदायें दिनांक 18.11.10 को आमत्रित की गईं जिसमें भी किसी के द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। यह भूखण्ड एक बडे गन्दे नाले के साथ स्थित हैं, जिन पर पहुँचने हेतु कोई पहुँचमार्ग नहीं है तथा भूखण्ड की शेप भी रेगुलर नहीं है। लगातार तीन बार व्यापक प्रचार प्रसार करने के उपरान्त भी रु0 22500/– प्रति वर्ग मीटर की आरक्षित दर पर कोई भी निविदा प्राप्त न होने पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख सचिव आवास से विचार–विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव आवास महोदय के निर्देशों के क्रम में उक्त भूमि का भू–उपयोग कार्यालय से आवासीय सह व्यवसायिक परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर शासन को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा दिनाँक 16.09.11 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया। तत्क्रम में पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर दिनांक 20.10.2011 को आमंत्रित की गयी निविदाओं में भूखण्ड रु॰ 40,300.00 प्रति वर्गमी॰ की दर पर विकय किया गया।
14	इन्दिरा पुरम अभय खण्ड–4 अनुकम्पा सोसायटी के निकट	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी.एच.–1	01.11.11	2450	24750	40570	63.92	विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए दिनांक 28.03.11 को भूखण्ड की निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं, किन्तु कोई रेस्पोन्स प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण से पुनः दिनांक 07.04.2011 को निविदा आमंत्रित की गयीं। पुनः रेस्पोन्स न आने पर दिनाँक 19.04.2011 को भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें भूखण्ड हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः रेस्पोन्स न आने पर दिनाँक 20.05.2011 को

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी॰डी॰ए॰

शुक्ला
अधिशासी अभियन्ता

(पी॰ एस॰ चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी ...

... कुमार
सचिव

								भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें भूखण्ड हेतु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। लगातार दो बार कोई निविदा प्राप्त न होने पर पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए दिनांक 21.10.2011 को भूखण्ड की निविदायें आमंत्रित की गयीं जिसमें कोई रेस्पोन्स न आने पर निविदा की तिथि दिनाँक 01.11.2011 परिवर्तित कर दी गयी। भूखण्ड निस्तारण हेतु किये गये तीसरे प्रयास में दिनाँक 01.11.2011 को भूखण्ड हेतु रु. 40,570.00 प्रति वर्गमी. की उच्चतम निविदा दर प्राप्त हुई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने से पूर्व विगत तीन वर्षों में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में नीलामी के माध्यम से विक्रय किये गये भूखण्डों की दरें रु. 12500 प्रतिवर्गमी. से रु. 74600 प्रति वर्गमी. तक प्राप्त हुई थीं जबकि टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के उपरान्त विक्रय किये गये भूखण्डों की दरें रु. 25500 प्रति वर्गमी. से रु. 104250 प्रति वर्गमी. तक प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त तुलनात्मक स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि नीलामी के माध्यम से जो भूखण्ड उच्च दरों पर विक्रीत भी हुए थे बाद में उन्हें क्रेताओं द्वारा जमा धनराशि फॉरफिट कराते हुए प्राधिकरण को समर्पित कर दिया गया। विगत लगभग दो वर्षों में टू बिड सिस्टम से निस्तारित किये गये लगभग सभी भूखण्ड विवादग्रस्त क्षेत्र पर थे जिन्हें प्रयास कर खाली कराते हुए निस्तारित किया गया। यह भी सूच्य है कि जो भूखण्ड पूर्व में नीलामी के माध्यम से विक्रीत किये गये थे उनमें अधिकांशतः भूखण्डों पर अभी तक विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। वर्तमान पद्धति से विक्रय किये गये ज्यादातर भूखण्डों पर विकास एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जो कि प्राधिकरण के दायित्वों की पूर्ति का द्योतक है। इस प्रकार वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत वास्तविक विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला है वहीं प्राधिकरण की सम्पत्तियों से मुनाफा कमाने वाले निवेशक हतोत्साहित हुए हैं। कृपया शासन के निर्देशों के क्रम में उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

PKShukla

पंकज कुमार शुक्ला
अवर अभियन्ता

अनुराग चौधरी
सहायक अभियन्ता
जी०डी०ए०

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी ......

...न्द्र कुमार
सचिव

70

फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या:2959 / आठ–6–11–27एक्यू / 11

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 | लखनऊ: दिनांक:15 नवम्बर, 2011

विषयः भूखण्ड संख्या ए–1 से ए–4 आर0डी0सी0 राजनगर के विक्रय के विरूद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में प्रकरण पर विधान सभा में दिनांक 09.08.2011 को माननीय विधायक श्री कोकब हमीद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–836 / व्याव0अनु0 / 11, दिनांक 10.08.2011 का कृपया सन्दर्भ सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–03 में यह उल्लेख किया गया है कि निविदा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा व्यवसायिक सम्पत्तियों को निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने के निर्णय तथा उक्त से शासन को सूचित किये जाने के उपरान्त लागू प्रकिया के अनुसार की गई थी।

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में कौन सी नई प्रकिया लागू की गई थी और कब से? और इस नई प्रकिया के लागू होने से 3 वर्ष के पूर्व की अवधि में तथा इस नई प्रकिया के अनुसार निस्तारित की गई सम्पत्तियों के विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त की गई दरों का विवरण तैयार कर कृपया तुलनात्मक अध्ययन कर प्राधिकरण के बोर्ड को भी इस अध्ययन के परिणाम से अवगत कराते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव।

JS(m)

(पी० एस० चौधरी)
वित्त नियंत्रक/प्रभारी

AE Com.

71

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं. 98/व्याव०अनु/10 दिनाँक 20/5/10

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
बापू भवन
लखनऊ।

विषयः **प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों (व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लैक्स, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, बैंकट हॉल, पैट्रोल पम्प, नर्सिंग होम आदि) के निस्तारण हेतु टू बिड सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की 119वीं बैठक दिनाँक 05.09.09 को मद संख्या–14 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड निर्णय के क्रम में पत्र संख्या 351/व्याव०अनु/09 दिनाँक 14.10.09 (संलग्न) द्वारा प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष विचारार्थ प्रेषित किया गया। शासन द्वारा पत्र संख्या 1266/आठ–1–2010–01 ज़ीडीए/10 दिनाँक 23.04.2010 (संलग्न) द्वारा यह निर्देश दियें गये कि समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पूर्व में शासन द्वारा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त शासनादेश संख्या 378/9–आ–1--सम्पत्तियाँ/आ.ब./2001 दिनाँक 26.06.01 (संलग्न) जारी किये गये, जिसमें निर्देश दिये गये कि "यदि किसी बिन्दु पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण किसी विशेष व्यवस्था/परिवर्तन की

आवश्यकता हो, तो इस प्रकार का बिन्दु अभिकरण के बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त लागू कर शासन को भी सूचित कर दिया जाये।"

उक्त शासनादेश के प्राविधानों तथा प्रश्नगत विषय के सम्बन्ध में गत मासिक समीक्षा बैठक में शासन स्तर पर हुए विचार–विमर्श में दिये गये मार्गदर्शन के कम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में टू बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के कम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अनावासीय भूखण्डों (व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लैक्स, कन्वीनियेन्ट शॉपिंग, बैंकट हॉल, पैट्रोल पम्प, नर्सिंग होम आदि) को टू बिड सिस्टम के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक :–

1. टू बिड सिस्टम लागू किये जाने की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित पत्र संख्या 351/व्याव॰अनु/09 दिनाँक 14.10.09 की छायाप्रति।
2. शासन के पत्र संख्या 1266/आठ–1–2010–01 जीडीए/10 दिनाँक 23.04.2010 की छायाप्रति।
3. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा टू बिड सिस्टम लागू किये जाने हेतु परिचालन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति।
4. टू बिड सिस्टम से सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु आवेदन पत्र व नियम एवं शर्तों के प्रारुप की प्रति।

भवदीय,

20.05.10

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष

73

मद सं.– 15

विषय : सैक्टर–23, राजनगर गाजियाबाद स्थित डॉ. अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में।

कृपया संजयनगर योजना सैक्टर–23 में पूर्व में डॉ. अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार मन्दिर का अनाधिकृत निर्माण बुद्ध विहार समिति द्वारा किया जा चुका है। अध्यक्ष, बुद्ध विहार समिति ने पूर्व में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य संस्थाओं को किये गये आवंटन की तरह उक्त भूमि को नियमित किये जाने की माँग की। संस्था के अनुरोध के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 24.09.05 में मद सं.–19 पर बुद्ध विहार मन्दिर व अम्बेडकर भवन की भूमि का आवंटन वर्तमान सैक्टर दर पर संस्था के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये जो पूर्ण गणना/तथ्यों/तकनीकी पहलुओं की जाँच करके अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समिति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (एस), विशेष कार्याधिकारी (एच), मुख्य अभियन्ता, वित्त नियंत्रक तथा अपर जिलाधिकारी (एल.ए.), गाजियाबाद को नामित किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय के क्रम में गठित समिति के सदस्यों का स्थानान्तरण होने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी। शासन द्वारा पत्र संख्या यू.ओ.–213/ 8–3–2008 दिनाँक 08.12.2008, यू.ओ.–213/8–3–2010 दिनाँक 30.07.2010, यू.ओ.–213(2)/ 8–3–2010 दिनाँक 18.10.2010, एवं पत्र संख्या 5482/8–3–2010 दिनाँक 17.03.2011 द्वारा संजयनगर योजना सैक्टर–23 में डॉ. अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार मन्दिर की भूमि को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से शासन को अवगत कराने हेतु कहा गया। उक्त के क्रम में पुनः प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 25.04.2011 में मद संख्या–13 पर राजनगर सैक्टर–23, स्थित डॉ. अम्बेडकर भवन एवं बुद्ध विहार मन्दिर हेतु भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें अपर जिलाधिकारी (एल.ए.) गाजियाबाद, सी.ए.टी.पी., मुख्य अभियन्ता व वित्त नियंत्रक/प्रभारी व्यावसायिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य नामित किये गये। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 25.04.2011 के निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 30.08.2011 को आहूत की गयी। बैठक में समिति ने पूर्व में इसी प्रकृति के दो प्रकरणों संजयनगर सैक्टर–23 में मस्जिद तथा अतिरिक्त सिहानी गेट में गुरु रविदास टैम्पल ट्रस्ट की भूमि नियमित किये जाने पर लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण में स्थल पर डॉ. अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार मन्दिर निर्मित होने तथा जनहित का प्रकरण होने के दृष्टिगत बुद्ध विहार समिति को 1360.12 वर्गमी. भूमि को योजना की वर्तमान आवासीय सैक्टर दर रु. 9000.00 प्रति वर्गमी. (10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त) लेते हुए निम्न शर्तों के साथ नियमित किये जाने की संस्तुति (कार्यवृत्त संलग्न) की गयी :–

1. बुद्ध विहार समिति स्थल का उपयोग केवल धार्मिक/सामुदायिक प्रयोजन हेतु ही करेगी तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा।

नरेन्द्र कुमार
सचिव

74

2. रोड वाइडनिंग की भूमि को छोड़कर अवशेष भूमि ही पैमाईश के बाद कब्जे हेतु हस्तान्तरित की जायेगी। यदि भूखण्ड परिसर में सड़क की चौड़ाई से प्रभावित भूमि सम्मिलित है तो रजिस्ट्री से पूर्व उक्त से कब्जा हटाना होगा।

समिति की संस्तुति के कम में उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डॉ० अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की 1360.12 वर्गमी० भूमि संजयनगर योजना की वर्तमान आवासीय सैक्टर दर रु० 9000.00 प्रति वर्गमी० (10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त) लेते हुए बुद्ध विहार समिति के पक्ष में नियमित किये जाने की स्वीकृति दिनाँक 15.09.2011 को प्रदान की जा चुकी है।

कृपया प्राधिकरण बोर्ड की 124वीं बैठक दिनाँक 25.04.2011 में मद सं०-13 पर प्रदत्त निर्णय के कम में निस्तारण आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

18/09/11

सचिव

सैक्टर–23, संजयनगर गाजियाबाद स्थित डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की भूमि को नियमित करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 30.08.2011 का कार्यवृत्त

संजयनगर योजना सैक्टर–23 में पूर्व में डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार मन्दिर का अनाधिकृत निर्माण किया जा चुका है। अध्यक्ष, बुद्ध विहार समिति ने पूर्व में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य संस्थाओं जैसे नेहरु यूथ सैन्टर, डॉ॰ अम्बेडकर यूथ सैन्टर, रविदास टैम्पल ट्रस्ट, कालीबाड़ी मन्दिर तथा मस्जिद सैक्टर–23 संजयनगर की तरह उक्त भूमि को नियमित किये जाने की माँग की। शासन द्वारा भी पत्र संख्या वी.आई.पी.–204/9–आ–1–99–68जीडीए/99 दिनाँक 14.06.99 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बुद्ध विहार समिति के अनुरोध के कम में प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 24.09.05 में मद सं॰–19 पर बुद्ध विहार मन्दिर व अम्बेडकर भवन की भूमि का आवंटन वर्तमान सैक्टर दर पर संस्था के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इस हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये जो पूर्ण गणना/तथ्यों/तकनीकी पहलुओं की जाँच करके अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा समिति में निम्न सदस्यों को नामित किया गया :–

1. विशेष कार्याधिकारी (एस), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
2. विशेष कार्याधिकारी (एच), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3. मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
4. वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
5. अपर जिलाधिकारी (एल.ए.), गाजियाबाद

प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय के कम में गठित समिति के सदस्यों का स्थानान्तरण होने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पायी। शासन द्वारा पुनः पत्र संख्या यू.ओ.–213/8–3–2008 दिनाँक 08.12.2008, यू.ओ.–213/8–3–2010 दिनाँक 30.07.2010, यू.ओ.–213(2)/8–3–2010 दिनाँक 18.10.2010, एवं पत्र संख्या 5482/8–3–2010 दिनाँक 17.03.2011 द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने हेतु कहा गया। उक्त के कम में पुनः प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 25.04.2011 में मद सं॰–13 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सैक्टर–23 संजयनगर गाजियाबाद स्थित डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की भूमि को नियमित करने हेतु सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी जिसमें अपर जिलाधिकारी (एल.ए.) गाजियाबाद, सी.ए.टी.पी., मुख्य अभियन्ता व वित्त नियंत्रक/प्रभारी व्यावसायिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य नामित किये गये। पुनः शासन द्वारा पत्र संख्या 106 सी.एम./8–3–2011 दिनाँक 11.05.2011 व 106 सी.एम.(1)/8–3–2011 दिनाँक 23.06.2011 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 25.04.2011 के निर्णय के कम में बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 30.08.2011 को आहूत की गयी। पूर्व में इसी प्रकृति के निम्न दो प्रकरणों पर लिये

गये निर्णय के सम्बन्ध में व्यावसायिक अनुभाग द्वारा निम्नानुसार वस्तुस्थिति की आख्या दी गयी :–

1. संजयनगर योजना में प्राधिकरण की आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि पर अंजुमन इस्लाहुल मिल्लत, गाजियाबाद द्वारा मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया। संस्था के अनुरोध पर संजयनगर योजना में धार्मिक प्रयोग हेतु आरक्षित 400 वर्ग गज भूमि को संस्था को आवंटित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 20.03.1982 में मद संख्या 22 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय दिया गया कि सैक्टर–23 जी.एम.पी. संजयनगर में मस्जिद के निर्माण हेतु 200 वर्ग गज भूमि वर्तमान आवासीय सैक्टर दर पर आवंटित की जाये। पुनः प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 22.04.83 में मद संख्या 32 पर प्रस्ताव रखा गया कि संस्था ने मस्जिद हेतु किसी नये स्थल को आवंटित करने के बजाय इसी मस्जिद को नियमित करने की माँग की गयी है। प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि कब्रिस्तान/शमशान घाट एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए स्थान सुरक्षित करके प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। प्राधिकरण बोर्ड निर्णय दिनाँक 22.04.83 की अनुपालन आख्या में बोर्ड को सूचित किया गया कि मास्टर प्लान का संशोधन होने पर इन स्थानों हेतु प्राविधान कर दिया जायेगा, अभी इस प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात प्राधिकरण के पत्र संख्या 217/प्रशासन अनुभाग/85/संस्था दिनाँक 02.09.1985 द्वारा संस्था को सूचित किया गया कि सैक्टर–23 में अनाधिकृत रुप से प्राधिकरण की 1122.30 वर्गमी॰ भूमि पर निर्माण करने के कारण इस भूमि की प्रीमियम प्राधिकरण के निर्णय अनुसार रु॰ 250.00 प्रति वर्गमी॰ की दर से रु॰ 2,80,575.00 होती है। अतः उक्त धनराशि प्राधिकरण में 1 माह में जमा कराने की व्यवस्था करें। उक्त धनराशि कालान्तर में संस्था द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करा दी गयी।

2. गुरु रविदास टैम्पल ट्रस्ट द्वारा अतिरिक्त सिहानी गेट में 4624 वर्गमी॰ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया था और इस भूमि पर अनाधिकृत रुप से मन्दिर, समाधि इत्यादि बना लिये गये थे, जिसके कम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 05.05.90 में लिये गये निर्णय के कम में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के 4 सदस्यों की गठित समिति की बैठक में ट्रस्ट को प्रश्नगत भूमि रियायती मूल्य पर दिये जाने की संस्तुति की गयी। समिति की संस्तुति के कम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 05.03.1991 में निर्णय लिया गया कि गुरु रविदास टैम्पल के अनाधिकृत कब्जे को नियमित किया जाये तथा विशेषाधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण विधिवत कम्पाउन्डिंग प्लान प्राप्त कर स्वीकृति दे दें। रविदास टैम्पल ट्रस्ट द्वारा कम्पाउन्डिंग फीस जमा करा दी गयी। धनराशि की देयता के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 10.02.2000 में निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट द्वारा जितनी भूमि पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है उतनी भूमि हेतु वर्ष 1991 की व्यावसायिक दर निर्धारित की जाये तथा गैर व्यावसायिक उपयोग व ओपन स्पेस हेतु दर निर्धारण के लिए पूर्व गठित उपसमिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये, जिसके कम में समिति की संस्तुति के अनुसार रविदास टैम्पल ट्रस्ट द्वारा निर्धारित धनराशि जमा कराकर भूमि का 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित करा लिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में चूँकि संस्था द्वारा स्थल पर डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार मन्दिर का निर्माण कर लिया गया है तथा जनहित का प्रकरण होने के कारण स्थल पर निर्मित डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की भूमि को प्राधिकरण द्वारा वापिस लेने में अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभियन्त्रण खण्ड द्वारा इस भूमि की 1360.12 वर्गमी॰ माप प्रेषित की गयी है। उक्त भूमि का क्षेत्रफल टेन्टेटिव है। रोड वाइडनिंग की भूमि को छोड़कर अवशेष भूमि ही पैमाईश के बाद आवंटित की जायेगी। यदि भूखण्ड परिसर में सड़क की चौड़ाई से प्रभावित भूमि सम्मिलित है तो रजिस्ट्री से पूर्व उक्त से कब्जा हटाना होगा। अतैव पूर्व में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णयों के आलोक में तथा प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि न हो इसलिए उपरोक्त वस्तुस्थिति के कम में समिति सम्यक विचारोपरान्त सैक्टर–23 संजयनगर गाजियाबाद स्थित डॉ॰ अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की 1360.12 वर्गमी॰ भूमि को संजयनगर योजना की वर्तमान आवासीय सैक्टर दर रु॰ 9000.00 प्रति वर्गमी॰ लेते हुए इस शर्त के साथ नियमित किये जाने की संस्तुति करती है कि संस्था उक्त स्थल का उपयोग केवल धार्मिक/सामुदायिक प्रयोजन हेतु ही करेगी तथा स्थल पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा। उक्त भूखण्ड कॉर्नर का है अतः इस भूखण्ड पर नियमानुसार 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज रु॰ 900.00 प्रति वर्गमी॰ भी अतिरिक्त देय होगा।

वित्त नियंत्रक | सी.ए.टी.पी. | मुख्य अभियन्ता | अपर जिलाधिकारी (एल.ए.) | सचिव

विषय :–गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2011 के मद संख्या–5 पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 702/8–6–2021 दिनांक 01 मार्च, 2011 द्वारा अधिसूचित 9 गावों हेतु विस्तारित विकास क्षेत्र के लिए तैयार गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 (प्रारूप) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 (प्रारूप) पर आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुपालन में गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021(प्रारूप) पर दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान टाईम्स" में सूचना प्रकाशित कराते हुए दिनांक 8–11–2011 से 8–12–2011 तक आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये गये (प्रकाशित सूचना की छाया प्रति संलग्न है) । निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कुल 19 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए । प्राप्त आपत्ति/सुझावों के सम्बन्ध में आपत्तिकर्ताओं की दिनांक 22–12–11 को शासनादेश संख्या 4816(1)/9–आ–3–2003–9महा/2002 दिनांक 20–12–2003 एवं 1747/9–आ–3–04–9 महा/2002 दिनॉक 08–6–2004 में गठित समिति द्वारा सुनवायी की गयी तथा समिति द्वारा प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर अपनी संस्तुति प्रस्तुत की गयी है (समिति की संस्तुति की छाया प्रति संलग्न है)

समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों में मुख्यतः निम्न बिन्दु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारणीय हैं:–

1– ग्राम–हसनपुर–लोढा में स्थित झील को गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 में दर्शाया गया है । उक्त झील को विकसित करने सम्बन्धी विशेष उल्लेख महायोजना प्रस्तावों में किया जाये ।

2– महायोजना में यथा–सम्भव तालाब–पोखर आदि दर्शाये गये हैं । महायोजना प्रत्यावेदन में इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि यदि राजस्व अभिलेखों में कोई तालाब–पोखर आदि दर्ज है तो उसका भू–उपयोग यथावत तालाब माना जायेगा ।

3– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से अनापत्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है । अतः गाजियाबाद विस्तारित महायोजना पर एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की जाए ।

4– महायोजना में हाईटेक टाउनशिप के प्रस्तावों को समायोजित कर आवासीय दर्शाये गये हैं । अतः देय समस्त शुल्कों को लिये जाने का प्राविधान महायोजना में किया जाए ।

5– ग्राम–हसनपुर–लोढा का अधिकांश भाग महायोजना में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है । आवास विकास परिषद द्वारा इस क्षेत्र में दो इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु लाईसेंस जारी किये गये हैं, अतः प्रश्नगत क्षेत्र में भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में शासन/आवास विकास परिषद द्वारा निर्णय लिया जाए ।

6– प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में हाईटेक टाउनशिप की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार उसकी सीमा को तदनुसार समायोजित किया जाए ।

समिति की उपरोक्त संस्तुतियों को संकलित करने पर गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 में संशोधन पर कुल नगरीयकरण क्षेत्र 1355 हैक्टेयर के स्थान पर 1358 हैक्टेयर हो जायेगा एवं आवासीय भू–उपयोग में 3.0 हैक्टेयर की वृद्धि हुई है ।

समिति की उपरोक्त संस्तुतियों को समाहित करते हुए प्रक्षेपित 4 लाख जनसंख्या हेतु तैयार गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 को समिति की संस्तुतियों में उल्लिखित शर्तो के साथ उ0प्र0 शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

80

SUNDAY अमर उजाला
नई दिल्ली | रविवार | 6 नवंबर 2011

गुमशुदा लड़की की तलाश

पायल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की नाम पायल पिता का नाम व पता नामालुम दिनांक 20.07.2011 थाना सफदरजंग इनक्लेव अधिकार क्षेत्र में पाई गई जिसे एसओएस उपवन निवासी 13/5/21 रखा गया है। लड़की किसी अज्ञात स्थान से लापता है। बहुत कोशिश के बावजूद इसके घर एवं माता–पिता का पता नहीं लगाया जा सका है।

इस संदर्भ में D.D. No. 33-B दिनांक 20.07.2011 को थाना सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली में दर्ज है।

जिसका विवरण इस प्रकार है:–उम्र: 5 वर्ष, कद: 3 फुट, लम्बा चेहरा, साफ रंग, दुबला शरीर। जो सफेद कमीज व हल्की नीली रंग की हाफ पैंट और फ्लिप चप्पल पहनी हुई है।

इस गुमशुदा लड़की के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी /सुराग मिले तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें।

ई-मेल: cic@cbi.gov.in
फैक्स: 011-24368639
फोन: 011-24368638
011-24368641

थानाध्यक्ष,
थाना, सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली
फोन: 011-24106345, 24106346

DP/882/SD/11

आवास एवं विकास परि

लोकायुक्त की ज मेें आए 15 अ

महाबीर सेठ

- गाजियाबाद में भी तैनात अधिकारी की मिलीभगत
- तीन पीसीएस व 12 परि अधिकारियों की सूची तैय

लखनऊ। वर्ष 2003 से 2010 के बीच उप्र. आवास एवं विकास परिषद की संपत्तियों की नीलामी और आवंटन में गड़बड़ियां करने वाले तीन पीसीएस अधिकारियों समेत 15 परिषद अधिकारियों की सूची तैयार है।

वहीं, लोकायुक्त की जांच में फंसे सहायक आवास आयुक्त अनिल कुमार की सेवाओं का विवरण आवास विकास के अधिकारियों ने लोकायुक्त कार्यालय भेजा है। इसमें संपत्ति प्रबंधक के पद से लेकर सहायक आवास आयुक्त बनने तक की गई सेवाओं का उल्लेख है।प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा योजनाओं में प्लॉट और भवनों की नीलामी व आवंटन में हेराफेरी की शिकायत की जांच शुरू होते ही परतें खुलने लगी हैं। पूरी गड़बड़ी में गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और फिरोजाबाद में तैनात पीसीएस अधिकारी समेत 15 लोगों की मिलीभगत सामने आई है। इसमें सहायक आवास आयुक्त बाबुओं इसक न्यायमूि भेजी ग लोगों के अलग स वर्ष 20 सचिव आवास सहायक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. - 9001:2000 एवं I.S.O. - 14001:2004 प्रमाणित संस्था)
गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद्‌द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र हेतु तैयार गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) की प्रदर्शनी उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के प्राविधान के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण हेतु दिनांक 08.11.2011 से 08.12.2011 तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग में लगाई जा रही है। विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 (प्रारूप) की प्रदर्शनी प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। कोई भी व्यक्ति/संस्था गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना प्रारूप–2021 पर अपनी आपत्ति/सुझाव उपरोक्त दिवसों में मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक कार्यालय (0120–2790910) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद में तीन प्रतियों में जमा करा सकता है।

उपाध्यक्ष

वेबसाइट : www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर ... आपका सहयोग

बिहार ... सरकार

रक्तदान महादान

मिश्रा को गंभीर म

आईबी ने गृह मंत्रालय को

गुंजन कुमार

नई दिल्ली। खुफिया एजेंसी आईबी ने उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के डीआईजी देवेंद्र दत्त मिश्रा के मामले की जांच की अंतरिम रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मिश्रा की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। जहां तक उनकी मानसिक हालत का सवाल है, वह हालात की वजह से परेशान हो सकते हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होने के नाते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मिश्रा के मामले की खुफिया रिपोर्ट तलब की थी। 1978 में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में आए और 1992 में आईपीएस का कैडर हासिल करने वाले डीडी मिश्रा ने

गड़बड़ियों ने डीआईजी मिश्रा

लखनऊ (ब्यूरो)। डीआईजी डीडी मिश्रा को अवसाद विभाग की गड़बड़ियां ही जिम्मेदार हैं। घटिया उपकरणों सामानों की खरीद में घोटाले अग्निशमन विभाग में सालों पहले भी एक अफसर सशर्त चिकित्सा अवकाश पर चले जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा घटिया ब्रीथिं कभी जांच तक नहीं होने दी गई। मिश्रा से पहले कई अ खुलासा विभागीय स्तर पर कर चुके हैं।

...AL... Negd. 35/21 Ahmedabad 32/17 Jaipur

...PSM 300-D... ...40042252 ALT...	
...T MODULE PSM 31... ...NO. 40042254...	
...CIRCUIT MODULE PSM 320-... ...EMD. PT. NO. 40042256 RE...	
...SHEETS) ...PANEL MODULE FCF 301-D... ...EMD. PT. NO. 40058133 ALT L...	
...SHEETS) ...CIRCUIT MODULE ADA 305-DRG. ...EMD. PT. NO. 40058136 ALT F	2
...SHEETS) 14. PANEL MODULE TLF 301-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40077482 ALT C	3
...SHEETS) 15. CIRCUIT MODULE DIO 300-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40030373 ALT AA	3
(21 SHEETS)/40133976 16. DISPLAY ASSEMBLY. COMPUTER-TACTILE-HIGH VOLTAGE CABINET DRG. NO. EMD. PT. NO. 40052356	2
ALT D2 17. CIRCUIT MODULE PRG 301-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40081644	5
18. CIRCUIT MODULE COM 304-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40087667	3
19. CIRCUIT MODULE CPM 401-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40104546 ALT A1	3
20. PANLE MODULE DVR 301-DRG. NO. EMD. PT. NO. 40106746 ALT G1	3
21. FUSE & INDICATOR ASSLY-DRG. NO. EMD. PT. NO. 8407729 ALT D	75

...F.A. Berlin at firm's premises before dispatch (for foreign Supplies) and ...firm's premises (for indigenous supplies). 2. Bid Guarantee Rs. 91,900/- ...3. Bidders to keep their offer open for 180 days from the date of opening ...performance guarantee bond for 10% of the contract price will have to ...the bidder in the event of contract being awarded to them. 4. The offers ...respect will be received up to **11.25 hrs.** and will be opened at **11.30 hrs.** ...specified above. Note:- 1. Non-tranferable bid documents may be had from ...Controller of Stores against payment of cost either in cash or by crossed ...payable to FA & CAO, Northern Railway, New Delhi, The Sale of ...will be closed on a day prior to opening date. 2. Above Tenders are uploaded ...website i.e. www.nr.railnet.gov.in/stores/dept/index.htm. If the firm ...the tender documents from the website, then firm should deposit the cost of ...documents separately (in addition to the Bid Guarantee) in the form of Demand ...to FA & CAO, Northern Railway, New Delhi

2279/2011

...rving Customers with a Smile

शुद्धि पत्र

...5685/13 यात-रा.मा.-10/2011 दिनाक: 2.11.11

...कार्यालय के निविदा सूचना ...5167/13 याता-रा.मा.- ...2011, दिनांक 26.09.2011 एवं ...पत्र 5445/13 याता-रा.मा.- ...2011, दिनांक 15.10.2011 तथा ...पत्र 5616/13 याता-रा.मा.- ...2011, दिनांक 22.10.2011 द्वारा ...त निविदायें दिनांक 10.11.2011 ...राजकीय अवकाश होने के कारण, ...निविदायें दिनांक 11.11.2011 को ...अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी ...दिनांक 14.11.2011 के अपरान्ह ...00 बजे खोली जायेंगी।

अन्य समस्त शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

अधीक्षण अभियन्ता,
...वां रा.मा. वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।

...6048/सू.एवं.लो.स.वि./4.11.11

Mehra, Rajiv and Jyotsana Mehra
Children and Great Grand Children

Read the news as it breaks!

Download the hindustantimes ipad app

Available on App store.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. 9001-2000 एवं I.S.O. 14001-2004 प्रमाणित संस्था)

गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र हेतु तैयार गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना 2021 (प्रारूप) की प्रदर्शनी उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के प्राविधान के अन्तर्गत जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण हेतु दिनांक 08.11.2011 से 08.12.2011 तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग में लगाई जा रही है। विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 (प्रारूप) की प्रदर्शनी प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। कोई भी व्यक्ति / संस्था गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना प्रारूप–2021 पर अपनी आपत्ति / सुझाव उपरोक्त दिवसों में मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक कार्यालय (0120–2790910) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद में तीन प्रतियों में जमा करा सकता है।

उपाध्यक्ष

वेबसाइट : www.gdaghaziabad.com

P. T. 6/11/11

गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 के प्रारूप पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 22.12.2011 में की गई सुनवाई का कार्यवृत्त तथा समिति की संस्तुति

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशों के कम में गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 तैयार की गई है जिस पर जनसामान्य से दि0 08.11.2011 से दिनांक 08.12.2011 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये है। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु समिति की बैठक दिनांक 22.12.11 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण सभा कक्ष में आयोजित की गई तथा उपस्थित आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई की गई। बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. श्री बसन्त लाल, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. श्री रामकिशन शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, गाजियाबाद (जिलाधिकारी, गाजियाबाद के प्रतिनिधि)।
4. डा0 कंचन सरन, सिटी मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर (जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की प्रतिनिधि)।
5. श्री डी0सी0 गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ, (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि)।
6. श्री एस सी गौड, प्रभारी, मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /प्रतिनिधि चीफ कार्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 सेल गाजियाबाद।

प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 08.12.2011 तक प्राप्त कुल 19 आपत्तियों एवं दिये गये सुझावों का सार एवं समिति की संस्तुति निम्नवत् हैः–

क. सं.	आपत्ति प्राप्ति की दिनांक	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्तियों/सुझावों का विवरण	समिति की संस्तुति
1	93/ PRO/ 05/12/2011	श्री राजेन्द्र पुत्र रणसिंह, श्री श्यामवीर पुत्र रणसिंह, श्री सुखवीर पुत्र रणसिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की खाता/खसरा सं0–27, 28, 210, 277, 778, 799, 1170, 1171, 2300, 1329, 1326, 1327, 1331, 910, 160, 1277, 1017, 1025, 1224, 1212, 1213, 1472, 148, 1269, 1270, 702, 1116, 774, 780, 55, 344, 464, 1151, 1048, 1016, 1327, 1116,702, 1269, 1279 ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉं मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉं उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित करायें जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉं जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता	1– उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनु–6 अधिसूचना संख्या 702/आठ–6–2011–2 गठन/10 दिनांक 01.03.2011 द्वारा ग्राम हसनपुर लोढा को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत, महायोजना तैयार करने का उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है। 2– आवेदक द्वारा 7 या 8 अक्टूबर 2011 को आपत्ति आमंत्रण का सन्दर्भ दिया गया है। इसकी सूचना प्राधिकरण में नही है। विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 पर आपत्ति दिनांक 08.11.2011 से 08.12.2011 तक आमंत्रित की गई है। 3– उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम द्वारा यह क्षेत्र गाजियाबाद विकास क्षेत्र में

			है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4—जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है। 5—यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है। जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है। 6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है। जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न ही इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/ अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर—पर की लडाई के लिये तैयार है। 2015—2016 के आस—पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है। 7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व	सम्मिलित किया गया है। अतः इस क्षेत्र की महायोजना तैयार किया जाना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उत्तर दायित्व है। महायोजना प्रारूप में नगरीयकरण हेतु क्षेत्र उ0प्र0 शासन की नीति के अन्तर्गत विकसित की जा रही टाउनशिप को ही रखा गया है। कुल 2810 हैक्टैयर क्षेत्रफल में से 1355 हैक्टेयर क्षेत्रफल कृषि भू—उपयोग के अन्तर्गत ही है। 4— गाजियाबाद विस्तारित क्षेत्र की महायोजना बनाने से पूर्व सर्वेक्षण कार्य किया गया है एवं महायोजना प्रतिवेदन के साथ वर्तमान भू—उपयोग का मानचित्र भी पुस्तिका में संलग्न है। 5— महायोजना में विभिन्न राजकीय विभागों एवं निजी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को समायोजित किया गया है तथा नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार महायोजना तैयार की गई है। 6— नगरीय भूमि पर बढते हुए दबाव के दृष्टिगत भूमि के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु महायोजना तैयार की गई है। जिससे कि विस्तारित क्षेत्र का समग्र विकास हो सकें। 7— महायोजना प्रतिवेदन के साथ विद्यमान भू—उपयोग मानचित्र संलग्न है। महायोजना में हाईटैक टाउनशिप के प्रस्तावों को समायोजित कर आवासीय दर्शित किया गया है। अतः देय समस्त शुल्कों को लिये जाने का प्राविधान महायोजना में किया जाये। प्रश्नगत प्रकरण एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड को पत्र संख्या 62/नियो0अनु0/11 दिनांक 15.11.2011 द्वारा संदर्भित किया गया है। तदोपरान्त समस्त विवरण सहित अनापत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु एन0सी0आर0 सेल गाजियाबाद को प्राधिकरण के पत्र संख्या 225/मा0प्लान/2011 दिनांक 19.12.2011 द्वारा प्रेषित किया गया है। अभी तक एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है। एन0सी0आर0 प्लानगि बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अतः विस्तारित क्षेत्र महायोजना पर एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की जाये। महायोजना में नया इंस्टीटयूशनल क्षेत्र प्रस्तावित नहीं किया गया है। एन0एच0—24 पर पिलखुवा महायोजना 2021 प्रस्तावित थी जिनकों

			की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	विस्तारित क्षेत्र महायोजना में यथावत समायोजित किया गया हैं। विस्तारित क्षेत्र महायोजना में ग्राम हसनपुर लोढा में स्थित झील को दर्शाया गया है। उक्त झील को विकसित करने सम्बन्धित विशेष उल्लेख महायोजना प्रस्तावों में किया जाये। महायोजना में यथासम्भव तालाब पोखर आदि दर्शाये गये है। महायोजना प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख कर दिया जाये कि यदि राजस्व अभिलेखों में कोई तालाब, पोखर आदि दर्ज है उसका भू–उपयोग यथवत तालाब माना जायेगा। विस्तारित क्षेत्र महायोजना–2021 में सैटेलाईट सर्वे के आधार पर आधार मानचित्र तैयार किया गया है तथा वर्तमान भू–उपयोग का मानचित्र महायोजना पुस्तिका के साथ संलग्न किया गया है।
2	100/ PRO/ 05/12/2011	श्री महावीर सिंह, सतबीर सिंह, ओमवीर सिंह, वेदपाल सिंह, देवेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र न्यादर नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31, पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1003, 934, 555, 561, 556, 557क रकबई 12–3–12 ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्व्तम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ

			आपराधिक षडयंत्र है। 7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 के अनुसार लैण्ड यूज क्या था। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोई भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
3	101/ PRO/ 05/12/2011	श्री प्रकाश पुत्र नदान सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0 931 रकबई 0.075 हैक्टेयर ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व घोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

			2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्व दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है। 7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदेलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोई भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
4	102/ PRO/ 05/12/2011	श्री अजयपाल सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1301, 188, 189, 183, 1246, 1196 रकबई 3.084 हैक्टेयर व 0.619 हैक्टेयर ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फ्राड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी

कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोईै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।

आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है।

मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों।

मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये।

प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।

5	99/ PRO/ 05/12/2011	श्री पीतम पुत्र जयसिंह, सतवीर, गंगाशरन, छोटू, जगशरण आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0 222, 223, 41, 45, 473ग, 49ग, 639, 748, 749, 1174, 1041, 1205, 1042, 1031, 1251, 493क, 1015, 1197 रकबई लगभग 45 एकड ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है। 5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्त्तम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है। जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है। 6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

91

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोईै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।

आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है।

मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों।

मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये।

प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31

92

			किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
6	103/ PRO/ 05/12/2011	श्री जगपाल सिंह, ब्रहमपाल सिंह पुत्र सियाराम नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–534, 546, 935 रकबई 0.0540, 2.2080, 0.9350 हैक्टेयर ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही करायॉ था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है। 5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है। जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

93

दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर—पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015—2016 के आस—पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लियें कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।

आज तक किसी भी संस्था ने ईस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है।

मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों।

मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका

95

			उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
7	98/ PRO/ 05/12/2011	श्री जयपाल सिंह त्यागी, श्री रामकृपाल सिंह त्यागी, श्री जयराज त्यागी, श्री कंवरपाल नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1122, 1023, 1045, 1016, 1010, 1048, 1197 रकबई 1.0070 हैक्टेयर ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है। 5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है। जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

95

भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नहीं। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्च चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोईै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।

आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया

			जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
8	97/ PRO/ 05/12/2011	श्री अशोक कुमार, श्री जयप्रकाश आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1263, 1262, 1025, 1183, 521, 1236, 1087, 17, 117, 1285, 997, 277ग, 224, 1063, 1069, 1229, 1402, 892, 893, 894, 1103, 817 रकबई लगभग 45 एकड ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है। 5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये कोई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरुरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर—पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015—2016 के आस—पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरुरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व
मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह
जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।
प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसनपुर लौढा में 1200
बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर
विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों
तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोई भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।
आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं
पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं

98

			मास्टर प्लान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकतां है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
9	96/ PRO/ 05/12/2011	श्री ओमपाल सिंह नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1051 ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें। जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5—यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्तम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर—पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015—2016 के आस—पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों

			तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोई भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
10	95/ PRO/ 05/12/2011	श्री जसवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह, रविन्द्र, नरेन्द्र, सुनील आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1266, 1283, 814, 1149, 1150, 1201, 1122 ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फाड व	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

10

धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह

			जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
11	94/ PRO/ 05/12/2011	श्री जतन सिंह, सुनील कुमार, जयराज सिंह, अनिल कुमार आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1264, 1285, 1262, 1069, 1078, 1087, 887, 987, 172, 1232, 1125, 1262, 1234, 17, 117, 1214, रकबई लगभग 50 एकड ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें। 3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4—जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फ्राड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5—यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर—पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015—2016 के आस—पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

			मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइ्र भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
12	108/ PRO/ 07/12/2011	श्री सुखपाल शर्मा, मनोज, अमित, सुमित आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–1072, 1201, रकबई 11–4–0 ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लियें मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

105

आपत्तियाँ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फ्राड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्त्तम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र हैं।

106

			7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फ्राड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
13	43/ PRO/ 01/12/2011 693/ PRO/ 02/12/2011	श्री जगदीश, सतीश, राकेश कुमार, कुलदीप, सुशीला देवी पत्नी श्याम सिंह, मुकेश कुमार, महेश कुमार, जयपाल सिंह, रामकृपाल सिंह आदि नि0 ग्राम हसनपुर लौढा	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार हैः– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–892, 893, 894, 817, 1103 रकबई 22 एकड ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है। 2– जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियॉं मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

107

मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियॉं उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी–2 आपत्तियॉं जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3– माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4–जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फ्राड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5–यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6– अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा–21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात

			करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है। 7— जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जी0डी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी। मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है। प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसपनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है। आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरुरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों। मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जाता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये। प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।	
14	130/ PRO/ 08/12/2011	श्री चन्द्रभान, श्री किरन सिंह पुत्रगण श्री अनूप सिंह निवासी ग्राम हसनपुर लौढा।	जी0डी0ए0 मास्टर प्लान–2021/31 पर आपत्तियां निवासीगण ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर द्वारा निम्न प्रकार है:– 1– यह कि प्रार्थी की भूमि खाता/खसरा नं0–518मि0, 544, 549मि0, 551मि0 रकबई 2.0880 हैक्टेयर ग्राम हसनपुर लौढा तहसील धौलाना, जिला पंचशीलनगर में स्थित है न कि गाजियाबाद जिले के अन्दर हैं अतः जी0डी0ए0 अपनी सीमाओं से बाहर की सिंचित कृषि भूमि का मास्टर प्लान नही बना सकता है। अगर बनाया है तो मास्टर प्लान निश्चित	आपत्ति संख्या 1 के अनुसार

तौर पर अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

2— जी0डी0ए0 ने 7 या 8 अक्टूबर 2011 में हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नई दुनिया इत्यादि में मास्टर प्लान 2021/31 के खिलाफ आपत्तियाँ मागी थी। प्रार्थी को आपत्ति है कि जी0डी0ए0 ने अखबारों के अंदर कोई मास्टर प्लान 2021/31 का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित नही कराया था। ब्यौरा प्रकाशित नहीं होने की वजह से प्रार्थी को मास्टर प्लान 2021/31 की विस्तृत जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थी क्या आपत्तियाँ उठायें। अतः जी0डी0ए0 पहले मास्टर प्लान 2021/31 को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित कराये, प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मास्टर प्लान 2021/31 प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह जी0डी0ए0 का कतर्व्य है कि सभी किसानों के लिये मास्टर पलान 2021/31 को अखबारों में प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रकाशित कराये जिससे सभी प्रभावित किसाना अपनी-2 आपत्तियाँ जी0डी0ए0 में प्रस्तुत कर सकें।

3— माननीय सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशानुसार किसी भी सिंचित कृषि भूमि का उपयोग बदलकर गैर कृषि के लिये नही किया जा सकता है। इसका अपवाद केवल देश की सुरक्षा, रेलवे या कोई हाईवे ही हो सकता है। प्रार्थी को आपत्ति है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि नहरों से सिंचित कृषि भूमि है, अतः मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार खेतीहर सिंचित भूमि का मास्टर प्लान गैर कानूनी, अवैध, मनमाना व अतार्किक है।

4—जी0डी0ए0/कोई और दूसरी संस्था को किसी भी भूमि का मास्टर प्लान बनाने से पहले सर्वे कराना जरूरी है। प्रार्थी जानना चाहता है कि जी0डी0ए0 ने कोई सर्वे कराया है या नहीं। यदि कोई सर्वे कराया है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रार्थी की सिंचित भूमि को बंजर, उसर, बेकार दिखा दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह एक बहुत बडा फ्राड व धोखा है। अतः प्रार्थी को सर्वे रिपोर्ट सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम के नाम व पतो के साथ उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रार्थी सर्वे करने वाले अधिकारी/टीम पर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उचित समय पर की जा सकें।

जी0डी0ए0 द्वारा बनाये गये मास्टर प्लान की न्यायिक समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती की सुनवाई के समय जी0डी0ए0 द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट एक अहम सबूत की तरह पेश की जा सकती है।

5—यह कि जी0डी0ए0 ने यह मास्टर प्लान 2021/31 विशेष तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्वतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी बिल्डर या प्राईवेट कम्पनी या मल्टीनेशलन कम्पनी के लिये काई भी सरकारी संस्था जैसे जी0डी0ए0/आवास विकास कृषि भूमि का मास्टर प्लान या अधिग्रहण प्लान नहीं बना सकते है।

जी0डी0ए0 ने मास्टर प्लान बनाने से पहले, जिन गावों का मास्टर प्लान 2021/31 बनाया है उन गावों की ग्राम पंचायत की सहमति ली थी या किसी अन्य प्रकार का सम्पर्क यह जानने के लिये किया था कि किसान अपनी कृषि भूमि पर कोई मास्टर प्लान बनवाना या लाना चाहते है या नही। किसी भी योजना के लिये 80 प्रतिशत किसानों की सहमति की जरूरत होती है। सिंचित खेतीहर भूमि के किसी भी मास्टर प्लान या योजना के लिये जी0डी0ए0 को विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वन व पर्यावरण, कन्द्रीय प्रदूषण व पर्यावरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है जो जी0डी0ए0 ने नहीं लिये है। अतः मास्टर प्लान की अवधारणा ही अवैध मनमानी व अतार्किक है। यह किसानों पर दबाव डालकर बिल्डरों को फायदा पहुँचाने का घिनौना षडयंत्र है।

6— अभी केन्द्रीय सरकार ने सभी के लिये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है इस प्रकार यदि सरकारी संस्था जेसे जी0डी0ए0/आवास विकास खेतीहर सिंचित भूमि को कंकरीट के जंगलों में बदलते रहे या बदलने का षडयंत्र करते रहे तो केन्द्रीय सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्या होगा। देश में बढती हुई आबादी के लिये खाद्यान्य उपलब्ध नहीं है। इसलिये तो महंगाई दावानल की तरह बढती ही जा रही है।

जी0डी0ए0/आवास विकास या और दूसरे सभी विकास प्राधिकरण की अवधारणा ही पर जीवितापर आधारित है। उपरोक्त संस्थाओं के पास कोई भी रचनात्मक कार्य नही हैं और न हीं इन संस्थाओं के पास कानूनी तौर पर अपने खर्चे चलाने के लिये कोई वैधानिक विकल्प जैसे टैक्स इत्यादि वसूलना उपलब्ध है। यह सभी संस्था भस्मासुर की तरह गरीब किसानों की सिंचित जमीन कुछ रूपये प्रति गज खरीद/अधिग्रहित कर लाखों रूपये प्रति गज बिल्डरों को नीलाम करते हैं जो संविधान प्रदत्त धारा—21 के तहत समानता के कानून का खुल्लम खुल्ला उलंघन है। कोई भी कम्पनी महंगाई के नाम पर जब चाहे अपने उत्पाद के मूल्य बढा लेती है केवल गरीब किसान के पास कोई ऐसा

अधिकार नहीं है। ऐसा अब लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। किसान यदि विरोध करता है तो उसे गोलियों का शिकार सरकारी मशीनरी द्वारा बनाया जाता है। या किसान बेघर होका भूखें करने या आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाता है। अब किसान आर–पर की लडाई के लिये तैयार है।

2015–2016 के आस–पास हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता नही रहेगी। इस प्रकार हमे खाद्यान्न आयात करना होगा। इस समय देश में केवल 30 से 35 प्रतिशत सिंचित भूमि है। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित नही की है। इससे बडा देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इस पर भी विभिन्न सरकारी संस्थायें कृषि योग्य सिंचित भूमि पर गिद्ध दृष्टि लगाये हुये है। यह देश व समाज के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र है।

7– जिस समय कृषि योग्य सिंचित भूमि का मास्टर प्लान बनाया गया उस समय जीडी0ए0 क अनुसार लैण्ड यूज क्या था।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय क्या लैण्ड यूज में बदलाव किया गया। यदि बदलाव किया गया तो राजस्व की हानि तो नही होगी। यदि होगी तो कितनी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाते समय एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और शासन से अनुमति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं ली गयी तो क्यों नहीं ली गयी।

मास्टर प्लान 2021/31 बनाकर लैण्डयूज चेंज करने की जरूरत क्यों पडी। गाजियाबाद में जिते इन्जीनियरिंग व मैनेजमेन्ट के प्रोफेशनल कॉलेज बनवा दिये गये है उनमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटे खाली रह जाती है। अतः मास्टर प्लान में इन्स्टीटयूशनल एरिया बनाने के पीछे क्या सोच है।

प्रार्थी के अनुसार जी0डी0ए0 में किसी भी अधिकारी को आज तक यह पता नही हैं कि हसनपुर लौढा में 1200 बीघे में नैसर्गिक प्राकृतिक पानी की झील है जिसमें सर्दियों के मौसम में साईबेरिया से विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर विहार करते है। अतः यह एक प्रकार से प्राकृतिक पक्षी विहार है। केन्द्रीय कानून के अनुसार इस पक्षी विहार के चारों तरफ दस किलोमीटर एरिया में कोइै भी कंकरीट का परमानेन्ट निर्माण नही किया जा सकता है।

आज तक किसी भी संस्था ने इस झील को विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हैं आओं पहले इसका पता लगायें कि किसी भी संस्था को ऐसी किसी झील की जानकारी भी हे या नहीं। यदि जानकारी नहीं है तो मास्टर पलान 2021/31 में इस पक्षी विहार को संरक्षित करने के लिये क्या प्रयोजन किया है। आज तक जी0डी0ए0 या और अन्य संस्था ने इस झील को पिकनिक स्पॉट की तरह से विकसित करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की जरूरत क्यों नही समझी। अभी भी देर नहीं हुई है इस झील को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी तालाब, झील, वाटर बॉडी या पोखर को दूषित नही किया जा सकता है और न ही किसी प्राईवेट बिल्डर या संस्था को व्यक्तिगत लाभ के लिये दिया जा सकता है।

मास्टर प्लान 2021/31 में गावों में तालाब, पोखर, झीलों का सर्वे करा लिया गया है यदि नही तो क्यों।

मास्टर प्लान 2021/31 मे गावों में एलएमसी की जमीन/चारागाह की जमीन का सर्वे कराया गया है या नही। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन जमीनों को संरक्षित रखा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि इनका उपयोग किसी और रूप में किया जार्ता है तो ग्राम पंचायत को उपरोक्त एलएमसी/चारागाह का मार्किट मूल्य चुकाना होता है। क्या जी0डी0ए0 ने इस पर गणना की है यदि की है तो प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाये।

प्रार्थी की उपरोक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में जी0डी0ए0 द्वारा मास्टर प्लान 2021/31 अवैध, गैर कानूनी, मनमाना व अतार्किक है। प्रार्थी के अनुसार मास्टर प्लान में कोई भी योजना बेघर किसानों के लिये पुर्नस्थापना व पुर्नवास की योजना नही है। अगर मास्टर प्लान के साथ पुर्नस्थापन व पुर्नवास की योजना नही है तो मास्टर प्लान 2021/31 किसानों के साथ धोखा व बहुत बडा फाड है। कोई भी किसान अपनी सिंचित खेतीहर जमीन का मास्टर प्लान नही चाहता है। इसलिये जी0डी0ए0 की यह सारी मास्टर प्लान कार्यवाही अवैध, गैरकानूनी, मनमानी व अतार्किक है। इतनी सब आपत्तियों के बाद प्रार्थी को आशा है कि जी0डी0ए0 अपने मास्टर प्लान 2021/31 को निरस्त कर देगा। अगर मास्टर प्लान 2021/31 निरस्त नही होता है तो प्रार्थी मास्टर प्लान 2021/31 की न्यायिक समीक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में गुहार लगायेगा। इस अवस्था में सारी जिम्मेदारी जी0डी0ए0 की होगी।

15	37/ PRO/ 01/12/2011	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।	कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांकः 63/नियो0अनु0/11 दिनांक 16.11.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि उत्तर प्रदेश शासन को अधिसूचना संख्या 702/8–6–2011 दिनांक 01.03.2011 के द्वारा 8 ग्रामों को गाजियाबाद विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु जारी की गयी है, एवं बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विभिन्न विभागों से अनापत्ति/सुझावं की अपेक्षा की गयी है, का अवलोकन उपरान्त भविष्य में महायोजना–2021 को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित अग्निशमन सेवा हेतु मसूरी क्षेत्र में 03 यूनिट का एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना वृहद जनहित एवं क्षेत्रफल के दृष्टिगत आवश्यक है। महायोजना–2021 में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण एवं वाहनो/मशीनों का कय व्यय भी महायोजना में सम्मिलित करने की कृपा करें।	सुझाव उचित है। महायोजना जोनिंग रेगुलेशन में फायर स्टेशन को पार्क एवं हरित पटटी भू–उपयोग को छोड कर अन्य सभी भू–उपयोगों में अनुमन्य किया के अन्तर्गत रखा गया है। अतः सुझाव पहले से ही महायोजना जोनिंग रेगुलेशन में समाहित है।
16	759/ PRO/ 09/11/2011	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	ग्राम हसनपुर लौढा परगना–डासना, तहसील हापुड, जिला पंचशीलनगर में आवास एवं विकास परिषद द्वारा दो विकासकर्ताओं मै0 एलाइंस प्रामेटर्स एवं मै0 ओपस बिल्डटेक प्रा0लि0 को आवासीय योजना के कियान्वयन हेतु लाईसेन्स प्रदान किया गया है। अतः गाजियाबाद के विकास क्षेत्र में परिषद द्वारा पूर्व में अधिसूचित ग्राम हसनपुर लौढा को परिषद क्षेत्र/इण्टीग्रेटिड आवासीय योजना दर्ज कराने का कष्ट करें।	ग्राम हसनपुर लौढा का अधिकांश भाग महायोजना में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत दर्शाया गया है। आवास विकास परिषद द्वारा इस क्षेत्र में इन्टीग्रेटिड आवासीय योजना हेतु लाइसेन्स जारी किये गये है परन्तु उनके द्वारा लाईसेन्स क्षेत्र का खसरावार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ हैं। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में शासन/आवास विकास परिषद स्तर पर निर्णय लिया जाये।
17	585/MP/11 05/12/2011	मै0 सनसिटी हाईटैक इन्फा0 प्रा0लि0,	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 के प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 7.10.2011 को हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला में सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त विकास क्षेत्र में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा हाईटैक टाउनशिप (सन ग्रीनटैक सिटी) विकसित की जा रही है। जिसकी डी0पी0आर0 प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 में सन ग्रीनटैक सिटी की सीमा ग्राम शादीपुर छिडौली में त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी है उक्त ग्राम की भूमि का आंशिक भाग (ग्राम शादीपुर छिडौली में दर्शित झील के उत्तर दिशा में) जो हाईटैक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत है, को उक्त विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना में कृषि भू–उपयोग दर्शाया गया है। हाईटैक टाउनशिप की सीमा को संशोधित करते हुए महायोजना में दर्शित उक्त आंशिक भाग को आवासीय किया जाना आवश्यक है। अतः महोदय से अनुरोध है कि गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना–2021 में हाईटैक टाउनशिप की सीमा को संशोधित करते हुए महायोजना में दर्शित उक्त आंशिक भाग को आवासीय भू–उपयोग में दर्शाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।	गजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना में जिन भी हाईटैक टाउनशिप की डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई है। उनकी सीमा को तदानुसार समायोजित किया जाये।
18	22/PRO/ 07/12/2011	भूपेन्द्र त्यागी, सचिन त्यागी, राहुल त्यागी, श्रीमति सुधा त्यागी, महेन्द्र, देवेन्द्र, संजीव, ब्रहमजीत, जीतपाल, जनक सिंह आदि कृषक।	खसरा नम्बर–346 से 390 स्थित ग्राम गालन्द परगना डासना तहसील हापुड जिला पंचशीलनगर की भूमि को इंस्टीटयूशनल एरिया में आरक्षित करानें के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्रः– निवेदन है कि ग्राम गालन्द परगना डासना के खसरा संख्या –330 से 340 तक की भूमि को इंस्टीटयूशनल एरिया के लिए रक्खा गया है जोकि इंस्टीटयूशनल के लिए बहुत कम एरिया है। इंस्टीटयूशनल के लिए ग्राम गालन्द के खसरा संख्या–346 से 390 तक की भूमि खसरा संख्या–330 से 340 तक के समीप स्थित है ऐसी दशा में खसरा संख्या 346 से 390 तक को भूमि को इंस्टीटयूशनल एरिया में शामिल किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि जनहित में खसरा संख्या–346 से 390 स्थित ग्राम गालन्द परगना डासना की भूमि को इंस्टीटयूशनल एरिया में शामिल किया जाये।	गजियाबाद विस्तारित क्षेत्र महायोजना में पूर्व में प्रभावी पिलखुवा महायोजना के प्रस्ताव समायोजित किये गये है। अतः प्रभावी महायोजना में कोई संशोधन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

19	21/PRO/ 07/12/2011	सचिन त्यागी, राहुल त्यागी, महेन्द्र सिंह त्यागी, सुखबीर आदि कृषक।	खसरा नं0 389, 342, 343, 344, 345 स्थित ग्राम गालन्द परगना डासना तहसील हापुड जिला पंचशीलनगर की भूमि को कामर्शियल/आर जोन घोषित कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्रः– निवेदन है कि ग्राम गालन्द परगना डासना की भूमि को जी0डी0ए0 को महानगर योजना 2021 के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन आया है। उपरोक्त भूमि व्यवसायिक/आर जोन दृष्टिकोण से जनहित के लिए उपयोगी भूमि है जिसे जनहित में कार्मिशलय/आर जोन घोषित किया जाकर जी0डी0ए0 को महानगर योजना 2021 में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त भूमि को जनहित में कामर्शियल/आर जोन घोषित किया जाये एवं जी0डी0ए0 की महानगर योजना–2021 में शामिल किया जाये आपकी अति कृपा होगी।	आपत्ति संख्या 18 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार समिति की संस्तुतिया प्राधिकरण बोर्ड के विचार हेतु प्रस्तुत है।

22/12/11
(एस सी गौड)
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।/प्रतिनिधि–चीफ कार्डिनेटर प्लानर
एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद।

22/12/11
(डी0सी0 गुप्ता)
सहयुक्त नियोजक, मेरठ,
प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।

22/12/11
(डा0 कंचन सरन)
सिटी मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
प्रतिनिधि–जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

(रामकिशन शर्मा)
अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, गाजियाबाद।
प्रतिनिधि–जिलाधिकारी,गाजियाबाद।

(बसन्त लाल)
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

1

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

उपाध्यक्ष /मा0 अध्यक्ष महोदय

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 24–12–2011 का कार्यवृत्त तैयार कर लिया गया है । कृ0 अनुमोदित करना चाहें ।

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव
24/12/11

कृ. अनुमोदनार्थ ।
24.12.11

अध्यक्ष महोदय

नरेन्द्र कुमार चौधरी
उपाध्यक्ष
24.12.11

सचिव
24.12.11

नरेन्द्र कुमार चौधरी
उपाध्यक्ष
24/12/11

6.1.12

का० अधी०/038

कृपया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24-12-2011 का कार्यवृत्त प्राप्त हुआ है। कार्यवृत्त की प्रति बोर्ड के मा० सदस्य एवं प्राधिकरण के सभी अनुभागों में भेजे जाने हेतु आलेख बनाया गया है। आलेख सहमति की दशा में अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

07/1/2012
दीनानाथ राय
लिपिक

7.1.12
कार्यालय अधीक्षक
गा० वि० प्रा०

7.1.2012
आर०पी० पाण्डेय
ओ०एस०डी०
जी०डी०ए० गा०बाद

7/1/12

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 127 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 24.12.2011 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 127 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 24.12.2011 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया::-

1. श्री रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
3. श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन), जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ।
4. श्री बसन्त लाल, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद ।
5. श्री एन.आर. वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ.प्र. लखनऊ/ चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद। ।
6. श्री वसी मौहम्मद, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ -विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि ।
7. श्री सी0के0 त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता,, उ.प्र. जल निगम, गाजियाबाद-प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि ।
8. श्री हरिमोहन कौशिक गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद), गा.वि.प्रा।
9. श्री प्रेमचन्द्र भारती,सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद), गा.वि.प्रा।
10. बिजेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा.वि.प्रा.।
11. मुकेश गर्ग, सदस्य (गैर सरकारी) (नगर निगम, गाजियाबाद) गा.वि.प्रा.।
12. श्रीमती सुषमा रानी, (गैर सरकारी) नामित सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

13- श्री एस0बी0 सिंह, उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद विशेष आमंत्री ।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त सर्व-सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

मद सं0		विषय		निर्णय

1–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।		बोर्ड द्वारा दिनॉक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
2–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 19.9.2011 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।		बोर्ड द्वारा दिनॉक 19.9.2011 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई तथा निम्न निर्देश दिये गये :– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तृतीय चरण चिन्हित भूमि पर कार्य करने में आने वाली अवरोधों को दूर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाये । नगर निगम द्वारा सब स्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही की जाये । सिंचाई विभाग से ली जानी वाली भूमि का मूल्यांकन कराकर कब्जा प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाये । दिल्ली–यमनोत्री हाईवे के एलाइन्मेंट का इस दृष्टि से परीक्षण कर लिया जाए कि कन्सेशनायर द्वारा किसी "कम्पीटिंग रोड" पर आपत्ति न उठाई जाए । शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने हेतु जिन मार्गों पर सेतु निर्माण की आवश्यकता है, उसके लिए सेतु निगम द्वारा सर्वे करा लिया जाये । हिन्डन नदी पर पुल निर्माण, मोहननगर चौराहे व हापुड चुंगी चौराहे पर पुलों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता

		बताई गई, अतः प्रथमतः इन स्थानों पर सेतु निगम द्वारा सर्वे कराया जाये । गालन्द में सोलिड वेस्ट मैंनेजमेंट हेतु नगर निगम को 10 एकड भूमि एक सप्ताह में एवं अवशेष भूमि एक पक्ष के अन्दर प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जाये । ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार व मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में दी जा रही छूट को सामानुपातिक रूप से अन्य उच्च श्रेणी के भवनों व सम्पत्तियों के मूल्यांकन में क्रॉस लोडिंग करने की कार्यवाही की जाये जिससे कि जो छूट इन भवनों के मूल्य में दी जा रही है, उसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण को हो सके । गाजियाबाद विकास क्षेत्र में निर्मित इंजीनियरिंग / डेन्टल कालेजों हेतु जिन कालेजों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, के प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत निरस्त करने की कार्यवाही की जाये । सिटीजन चार्टर में कम्पाउन्डिंग की सीमा, नियम व उपविधि के प्रावधानों , का भी उल्लेख किया जाये । गाजियाबाद महायोजना में विसंगतियों के संशोधन हेतु सी0टी0सी0पी0, प्राधिकरण व एन0सी0आर0 सेल के अधिकारी शीघ्र बैठक कर अपना प्रस्ताव तैयार करें एवं इसे आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

3–	शासनादेश संख्या 1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु–18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106 /9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया । यह भी अपेक्षा की गई कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट में सरप्लस होने वाली धनराशि का उपयोग मैट्रो की फाईनेन्सिंग हेतु विचार किया जाए । शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण की विकसित योजनाओं के अन्तर्गत् भूमि के सम्परीक्षण हेतु जी0आई0एस0 तकनीक के साथ – साथ रेवेन्यू प्लान पर गूगल मैप तथा ले आऊट प्लान को भी सुपरइम्पोज किया जाए । फ्लाईओवर एवं आर0ओ0बी0 के निर्माण में साईकिल ट्रैक का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए ।
4–	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकार किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
5–	गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक / इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं में लाईसेंस की स्थिति, भू–उपयोग

				परिवर्तन व इस पर आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही, लैण्ड एसेम्बली, निर्माण एवं विकास की स्थिति व अन्य प्रगति अवलोकित की गई ।
6–		ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति के विवरण के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों, नर्सिंग होम्स व होटल्स की प्रगति अवलोकित की गई ।
7–		श्री आसिफ रजा जैदी, अवर अभियन्ता के ईलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
8–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर शासन द्वारा निर्गत पेन्शन नियमावली लागू किये जाने के संबंध में अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।
9–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को मानव हास्पिटल एण्ड लेजर सैन्टर में ईलाज कराने पर भुगतान किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
10–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य / अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होम गार्डस नियुक्त किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

11–	संजयनगर योजना हेतु ग्राम ढरगल परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 1092 का अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का अभी तक अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण बदले में 55 प्रतिशत भूमि की मॉग किये जाने के संबंध में ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि समायोजन हेतु वर्तमान योजना में कोई भूमि नहीं है । निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु सुविचारित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये ।
12–	प्राधिकरण की मधुबन /बापूधाम योजना के अन्तर्गत ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 691 की 407 वर्ग मीटर अनार्जित भूमि अवस्थापना/सुविधाओं के अन्तर्गत आ जाने के कारण उक्त के बदले 50 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
13–	इन्दिरापुरम योजना शक्ति खण्ड–2 में हाईस्कूल भूखण्ड संख्या–16 व हास्पीटल भूखण्ड पर निर्माण अवधि बढाये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई । यह भी निर्देश दिये गये कि चूँकि प्रकरण शासनादेश से विचलन का है, अतः विचलन के संबंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाये ।
14--	अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण में प्रचलित टू बिड सिस्टम के अनुसार विक्रीत सम्पत्तियों के विवरण के संबंध में ।	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि एक समिति गठित कर प्रस्ताव का सर्किल रेट से तुलनात्मक अध्ययन कर ले एवं यदि कोई संशोधन वांछित हो, तो आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें ।

15–		सैक्टर–23 राजनगर,गाजियाबाद स्थित डा0 अम्बेडकर भवन बुद्ध विहार की भूमि को नियमित करने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
16–		गाजियाबाद विस्तारित विकास क्षेत्र महायोजना –2021 की स्वीकृति के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि महायोजना अन्तर्गत ग्राम समाज भूमि (एल0एम0सी0) को भी प्रदर्शित किया जाये ।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(नरेन्द्र कुमार)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(रवीन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
प्रमुख सचिव–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।